सहरिया जनजाति का आवास, अर्थव्यवस्था और समाज : एक भौगोलिक अध्ययन

HABITAT, ECONOMY & SOCIETY OF SAHARIYA TRIBE : A GEOGRAPHICAL STUDY

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की भूगोल विषय में पीएच.डी. उपाधि हेतु

शोध प्रबन्ध

2015-16

शोध निर्देशक

डॉ. एल. सी. अग्रवाल

एम.फिल., पीएच.डी.

व्याख्याता–भूगोल

शोधार्थी

सन्तोष मीणा

एम.फिल. (भूगोल)

भूगोल विभाग

राजकीय महाविद्यालय, कोटा

(कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान)

Dr. L.C. Agrawal
M.Phil., Ph.D.
Lecturer in Geography
Government College, Kota

Residence :
Behind Natraj Cinema,
Station Road
Kota Jn.-324002

CERTIFICATE

It is certified that the

- Thesis entitled "Habitat, Economy and Society of Sahariya Tribe : A Geographical Study" submitted by Santosh Meena is original piece of research work carried out by the candidate under my supervision.
- Literary presentation is satisfaction and the thesis is in a form submitted for publication.
- Candidate has put at least 200 days of attendance every year.

Signature of supervisor with date

आभार

सर्वप्रथम मैं, इस शोध कार्य की पूर्णता पर मेरे शोध निदेशक डॉ. लक्ष्मीचन्द अग्रवाल व्याख्याता – भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा के प्रति हृदय के अन्तरतम से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपके कुशल निर्देशन, श्रेष्ठ मार्गदर्शन अमूल्य अपनत्व से परिपूर्ण सहयोग के द्वारा यह शोधकार्य पूर्ण किया जा सका है। मैं, राजकीय महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉ. टीकमचन्द लोया का विशेष ऋणी हूँ तथा उनके प्रति आभार प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ जिनके सहयोग एवं आशीर्वाद से यह कार्य पूरा करना संभव हो पाया है। साथ ही मैं, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय कोटा के प्राचार्य डॉ. बाबूलाल शर्मा के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनका सहयोग इस कार्य हेतु मुझे प्राप्त हुआ।

मैं राजकीय महाविद्यालय कोटा भूगोल विभाग के डॉ. एम.जेड.ए. खान, डॉ. एच. एन. कोली तथा डॉ. एन.के. जेतवाल विभागाध्यक्ष भूगोल, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनका मार्गदर्शन मुझ समय–समय पर प्राप्त होता रहा है।

मैं, इस शोधकार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए मेरे मित्र डॉ. मोहम्मद हनीफ खान, श्री रवि कुमार, बन्टेश कुमार मीणा, श्री सुरेशचन्द वैश्णव, श्री बनवारी लाल मीणा का विशेष आभारी हूँ, जिनसे मुझे शोधकार्य करने में अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है।

राजकीय महाविद्यालय, बारां, भूगोल विभाग, जिला कलक्टर कार्यालय जिला पुस्तकालय बारां, सहरिया विकास परियोजना कार्यालय शाहबाद, जिला बारां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनका शोधकार्य करते समय विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है।

राजकीय महाविद्यालय, बारां भूगोल विभाग के डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने शोधकार्य में मुझे अमूल्य सहयोग प्रदान किया साथ ही राजकीय महाविद्यालय बारां राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष राजनीति

विज्ञान डॉ. संदीपसिंह चौहान का भी विशेष आभार जिन्होंने विषय सम्बन्धी जानकारी दी तथा मार्गदर्शन कर सहयोग प्रदान किया।

इस शोधकार्य की प्रेरणा उत्साहवर्धन व हर संभव सहयोग मुझे मेरे पूजनीय पिताजी प्रो. विजयराम मीणा एवं मेरी परम स्नेही माता श्रीमती ललिता मीणा से अनवरत प्राप्त हुआ। इसके लिए संभवतः आभार और धन्यवाद जैसे शब्द मुझे मातृ–पितृ ऋण से मुक्त नहीं कर सकते तथापि मैं हृदय के अन्तरम् से इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

मैं इस शोधकार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु मेरे अनुज भ्राता राजेश मीणा एवं ज्ञानेश मीणा के प्रति एवं पत्नि श्रीमती सीमा मीणा के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग, इस शोधकार्य को पूर्ण करने में प्राप्त हुआ है।

मैं मेरे अतिप्रिय मित्र नासिर खान के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस शोधकार्य को संगणक तकनीक द्वारा पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं, अपने पूजनीय माता–पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना अपना परम कर्तव्य एवं सौभाग्य समझता हूँ, जिनके प्यार, आशीर्वाद एवं जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन से सफलता मिली और यह शोधकार्य भी पूर्णता को प्राप्त कर पाया हूँ।

अन्त में, मैं, इस शोधकार्य को मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री अर्जुनलाल मीणा एवं स्वर्गीय दादीजी श्रीमती कजोडी देवी को समर्पित करता हूँ जिनके शुभाशीष से मैं, आज इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ।

सबसे आखिर में मैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनकी कृपा से ही मैं यह शोधकार्य पूर्ण कर पाया हूँ।

संतोष मीणा

अनुक्रमणिका

मानचित्र सूची *(iii)*

आरेख सूची *(iv)*

तालिका सूची *(v-vi)*

छायाचित्र सूची *(vii)*

अध्याय योजना **पृष्ठ सं.**

प्रथम अध्याय – परिचय **1–21**

1.1 अध्ययन का उद्देश्य

1.2 परिकल्पनाऐं

1.3 शोधकार्य का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व,

1.4 साहित्य का पुनरावलोकन

1.5 विधि तंत्र

1.6 अध्ययन क्षेत्र

1.7 अध्याय योजना

द्वितीय अध्याय – अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विवरण **22–55**

2.1 अवस्थिति

2.2 भौतिक स्वरूप

2.3 अपवाह तंत्र

2.4 जलवायु

2.5 मृदा

2.6 वनस्पति एवं जीवजन्तु

2.7 जनसंख्या

2.8 शिक्षा

2.9 आवासीय स्कूल

2.10 निराश्रय बच्चों को आश्रय

2.11 चिकित्सा

तृतीय अध्याय – मानवीय आवासों का प्रारूप **56–68**

3.1 आवासों का प्रकार

3.2 आवासों की बनावट

चतुर्थ अध्याय – सहरिया जनजाति के जीवन की गुणवत्ता **69–91**

4.1 जीवन शैली

4.2 व्यवसाय

पंचम अध्याय – सहरिया जनजाति की आर्थिक संरचना **92–111**

5.1 कृषि

5.2 पशुपालन

5.3 मजदूरी

षष्ठम अध्याय – सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन **112–120**

6.1 रीति-रिवाज

6.2 मान्यताऐं

6.3 रहन-सहन

6.4 सामाजिक व्यवस्था

सप्तम् अध्याय – सहरिया जनजाति के विकास हेतु सरकारी प्रयास **121–143**

7.1 सरकार की योजनाऐं

7.2 स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग

7.3 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

अष्टम् अध्याय – निष्कर्ष एवं सुझाव **144–169**

परिशिष्ट **170–184**

संदर्भ ग्रन्थ सूची **185–194**

मानचित्र सूची

मानचित्र संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	जिला बारां : अवस्थिति मानचित्र	23
2	जिला बारां : उच्चावच	25
3	जिला बारां : अपवाह तंत्र	28
4	जिला बारां : जलवायु दशाएँ	30
5	जिला बारां : जनसंख्या वितरण	36
6	जिला बारां : जनसंख्या घनत्व तहसीलानुसार (2011)	40

आरेख सूची

आरेख संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	तहसीलानुसार वर्षा का वितरण, जिला बाराँ (2011)	32
2	महिला–पुरूष जनसंख्या व लिंगानुपात	41
3	तहसीलवार शैक्षिक संरचना, जिला बाराँ	88
4	सहरिया जनजाति की व्यावसायिक संरचना (वर्ष–2011)	91
5	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2010–2011)	98
6	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2011–2012)	99
7	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2012–2013)	101
8	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2013–2014)	102
9	सहरिया जनजाति का पशुपालन विवरण (वर्ष–2011)	109
10	सहरिया जनजाति का मजदूरी की दृष्टि से विवरण (वर्ष–2011)	111
11	सहरिया क्षेत्र में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)	123

तालिकाओं की सूची

ालिका सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
2.1	वर्षा का वितरण (वर्ष 2011)	31
2.2	बाराँ जिले में जनसंख्या का वितरण, तहसीलानुसार (1991–2011)	35
2.3	बाराँ जिले में तहसीलानुसार जनसंख्या घनत्व (1991–2011)	40
2.4	महिला–पुरूष जनसंख्या	43
3.1	आवास निर्माण सहायता	65
3.2	सहरियाओं को प्राप्त मद (12वीं पंचवर्षीय योजना)	66
4.1	तहसीलवार शैक्षिक संरचना, जिला बाराँ	87
4.2	सहरिया जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय	90
5.1	सहरिया जनजाति की व्यावसायिक संरचना (2011)	94
5.2	आर्थिक विवरण (2006–07)	95
5.3	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2010–11)	97
5.4	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2011–12)	97
5.5	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2012–13)	100
5.6	सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2013–14)	100

5.7	सहरिया जनजाति द्वारा पशुपालन का विवरण (2011)	108
5.8	मजदूरी की दृष्टि से सहरिया जनजाति का वितरण (2011)	110
6.1	बाराँ जिले में तहसीलवार सहरिया गाँवों एवं परिवार का विवरण (2011)	117
6.2	सहरियाओं के गोत्र	119
7.1	सहरिया क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण	122
7.2	शाहबाद व किशनगंज में आवासों का विवरण	125
7.3	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का विवरण	127
7.4	सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का विवरण	128
7.5	कृषि योजनाओं का विवरण	130
7.6	स्वच्छ परियोजना द्वारा संचालित योजना	138
7.7	IIRD द्वारा सहरिया आवास निर्माण का विवरण	141
8.1	छात्राओं को देय सामग्री का विवरण	157
8.2	सहरिया विकास परियोजना अन्तर्गत खर्च का ब्यौरा	160

छायाचित्र सूची

छायाचित्र सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	राजकीय जनजाति (बालक) आवासीय विद्यालय, रामगढ़, जिला बाराँ	44
2	राजकीय जनजाति (बालक) आवासीय विद्यालय छात्रावास, राजगढ़, जिला बाराँ	44
3	नवनिर्मित बालिका छात्रावास, रामगढ़, जिला बाराँ	47
4	छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाऐं	47
5	सहरिया जनजाति के चद्दर से निर्मित मकान, जिला बाराँ	59
6	सहरिया जनजाति का घास एवं लकड़ी से निर्मित आवास, जिला बाराँ	59
7	सहरिया मिट्टी व लकड़ी का मकान, जिला बाराँ	62
8	सहरिया जनजाति का आवास स्थल, जिला बाराँ	62
9	बालिका छात्रावास में विश्राम गृह की स्थिति	64
10	सहरिया एकल आवास, जिला बाराँ	72
11	सहरिया हैलमेट बस्ती प्रारूप	72
12	सहरिया लकड़ी पत्तों का मकान, जिला बाराँ	76
13	मिट्टी से बना सहरिया मकान, जिला बाराँ	76
14	पठारी प्रदेश, जिला बाराँ	96
15	कृषि भूमि, जिला बाराँ	96
16	पार्वती नदी का विहंगम दृश्य, जिला बाराँ	104

अध्याय – प्रथम

परिचय

1.1 अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्य

1.2 परिकल्पनाऐं

1.3 शोधकार्य का भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक महत्व

1.4 साहित्य का पुनरावलोकन

1.5 विधितंत्र

1.6 अध्ययन क्षेत्र

1.7 अध्याय योजना

अध्याय – प्रथम

परिचय

भारत में विभिन्न संस्कृति एवं सभ्यताओं का निवास देखने को मिलता है। भारत में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। जिन्होंने अपने आप को कई धर्मों एवं कई जातियों–जनजातियों में विभाजित कर रखा हैं। इनको मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। जबकि जनजातियों के लोग समाज में अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को साथ लेकर चलते हैं।

जनजाति की परिभाषा

सामाजिक विचारक मानते हैं कि 'जनजाति' एक सामाजिक समूह हैं जो साधारणतया निर्धारित अथवा निश्चित भू–भाग, निश्चित भाषा, सांस्कृतिक, मानववादी और सामाजिक उत्पादीकरण को एकीभूत करता है। इसके अर्न्तगत बहुत सारे उप–समूह शामिल कर सकते हैं, जो एक जनजाति साधारणतया संस्कृति को संरक्षण देती है। इस संगठन को साधारणतया धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। ब्रिटेनिका इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार जनजाति ''एक छोटा समूह है जो सामान्य परम्पराओं द्वारा पारिभाषिक और पारिवारिक स्तर पर स्थायी और अस्थायी राजनैतिक व्यवस्था रखता है, और एक ही भाषा, एक संस्कृति तथा एक मनोविज्ञान अर्थात एक विचार रखता हो।''

बहुत से अन्य विश्लेषकों ने उनकों अलग–अलग नामों से चिन्हित किया है। रिसलें के अनुसार– ''जनजाति परिवार और परिवार

के समूह का संग्रह है। जिनका एक साधारण नाम होता है, जो कोई जातिगत व्यवसाय प्रदर्शित नही करता है, ये लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं और देश के निश्चित प्रदेश या क्षेत्र में निवास करते हैं।''

ए.वी. थंकर ने उनकों ''पहाड़ी जनजातियाँ'' के नाम से पुकारा है। (Sir bennsanth ropology P.P. 112-113) सेल्जविक एवं मार्टिन ने उनको एनीमीस्ट कहा हैं। - (Talents sense of India 1921 PP. 125)

प्रगतिशील भारत के मानवशास्त्री और समाज शास्त्री डॉ. जी. एस. धुरिये ने उन्हें ''पिछड़ें हिन्दु'' कहा है। डॉ. डी. एस. मजूमदार ने उनकी पुस्तक ''भारत की जाति और संस्कृति'' में जनजातियों का वर्णन किया है कि जनजातियाँ परिवार व परिवारों के समूहों का संग्रह है, जिनका सामान्य नाम सामान्य क्षेत्र में रहता है और सामान्य भाषा बोलते हैं। शादी व व्यवसायों में कुछ प्रतिबन्धों को अपनाते हैं या मानते हैं तथा व्यवहारों में अच्छी आधुनिक व्यवस्था को विकसित करते हैं।''

दूसरे प्रसिद्व मानवशास्त्री पिडिगटन कहते हैं कि ''जनजाति सामान्य लोगों का एक समूह है जो सामान्य भाषा बोलते हैं, सामान्य प्रदेश में निवास करते हैं और उनकी संस्कृति की सजीवता को प्रदर्शित करते हैं''। हॉबेल के अनुसार ''जनजाति सामाजिक समूह हैं, जो एक सामान्य भाषा बोलते हैं, और एक सामान्य संस्कृति को धारण करते हैं, जो इन्हें दूसरी जातियों से अलग प्रदर्शित करते हैं।

जनजातियों की ऊपर दी गई विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताऐं देखते हैं, जो निम्न प्रकार से हैंः

जनजातियों की विशेषताएँ

1. अनुसूचित जनजातियाँ भारत के वास्तविक निवासी है, और उनमें भी कुछ समूह बहुत अधिक पुराने हैं।

2. सामान्यतौर पर वह अकेले रहना पसन्द करते हैं और जंगलों में, गावों में या कस्बे के बाहरी ओर निवास करते हैं। गावों में स्वयं के स्थानीय सामान्य संगठन को प्रदर्शित करते हैं, जो एक अलग पहचान बनाते हैं।

3. उनका इतिहास बहुत घृणास्पद माना जाता है, और शिक्षा की कमी के कारण वे उनके भूतकाल के इतिहास को मानने से इंकार करते हैं।

4. वे अपनी स्वंय की भाषा, संस्था व प्रथा में विश्वास रखते हैं।

5. वे एक सामान्य धर्म को मानते हैं और पौराणिक कथा एवं भूत, पिशाच में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं।

6. पहले वे पूर्ण रूप से जंगल के उत्पादों पर ही निर्भर थे और आज के समय मं उनमें से कुछ खेतों में श्रमिकों की तरह कार्य करते हैं।

7. उनमें से बहुत से शाकाहारी हैं तथा माँस और शराब पीने से छुटकारा पा चुके हैं।

8. वे तीन प्रजातियों नीग्रो, आस्ट्रोपोलों और मंगोलिया में से ही एक हैं।

9. इन लोगों का आर्थिक विकास का स्तर बहुत निम्न हैं।

10. वे अपनी सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं।

इस प्रकार जनजाति लोग वह हैं जो भौतिक गुणों को अत्यधिक प्रदर्शित करते हैं एवं एक क्षेत्रीय भाषा में ही बात करते हैं। एक अलग प्रकार की आर्थिक व्यवस्था से और आधुनिक कारणों से इनके समूह में स्थिरता आ गई हैं। इन लोगों के समूह पूरे भारत में फैले हुऐ हैं।

अनुसूचित जनजाति की उत्पत्ति

अनुसूचित जनजाति की उत्पत्ति पुरानी है और भारत में इनकी उत्पत्ति के बारें मे संविधान में वर्णन किया गया है। इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। पहले ये बहुत प्रकार के नामों से जाने जाते थे, जैसेः– एब्रोजिनल जंगली जनजातियाँ, पहाड़ी जनजातियाँ आदि। 1919 तक वे पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में शामिल थे। इन जनजातियों के विभिन्न नामों के आधार पर इनका विभाजन निम्न प्रकार किया गया हैः

1. अपराधी और घुमक्कड़ जनजातियाँ।
2. अत्याधुनिक जनजातियाँ।
3. अस्पर्शीय जनजातियाँ।

भारत में 1931 के आँकडों में इन जनजातियों को ''आदिम जनजाति'' और जंगली जनजातियों व पहाड़ी जनजातियों के नाम से भी पुकारा जाता था, लेकिन 1941 के आँकड़ों क अनुसार ये साधारण नाम ''जनजाति'' से पुकारे जाने लगे थे, लेकिन आज प्रजातान्त्रिक भारत में जनजातियाँ अनुसूचित है, और यह ''अनुसूचित जनजातियों के नाम से प्रसिद्व है।

भारत संसार में अत्यधिक जनजातियों वाला एक बहुत बड़ा देश है। श्री गोविन्द वल्लभ पंथ ने जनजातियों को अधिक महत्व देते हुए कहा है –''भारत विभिन्न संस्कृतियों से सम्पन्न एक विस्तृत देश है'' और इसी अर्थ में हमारें जनजातिय भाइयों का होना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन जनजातियों के लोग अभावग्रस्त शान शोकत से रहित है, क्योंकि वे भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व भारत देश के विभिन्न हिस्सों में निवास करते थे। जनजातिय लोग भारतीय सामाजिक ढाँचें में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वे हमारे समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हैं, और बहुत अधिक गरीबी में गुजारा करते हैं। इन जनजाति के लोग देश के अत्यधिक पिछड़े लोग हैं।

भारत में जनजातियों के वितरण में विभिन्नता पाई गई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1210193422 हैं। जिसमें जनजाति जनसंख्या 104,281,034 हैं, जो कुल जनसंख्या का 8.60 प्रतिशत हैं। जिसमें ग्रामीण 93819162 तथा शहरी 10461872 जनजाति जनसंख्या सम्मिलित हैं।

राजस्थान में जनजातियाँ सामान्य तौर पर जंगलों में, दुर्गम क्षेत्रों में व पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करती है। यह जनजाति अपना भरण–पोषण जंगली उत्पाद व थोड़ी मात्रा में खेती करके करती हैं, जो मानसून की कृपा पर निर्भर है। सहरिया जनजाति अभावों से पीड़ित और जीवन से संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है।

राजस्थान में कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 6 करोड़ 86 लाख 21हजार 12 हैं। जिसमें सें 9238534 जनजाति जनसंख्या हैं। जो कि कुल जनसंख्या का 13.5 प्रतिशत भाग है। इसके अनुसार राजस्थान में प्रमुख जनजाति मीणा

जनजाति है जो कि कुल जनजाति का 51.13 प्रतिशत भाग रखती है। राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति भील है, जो कि 42.10 प्रतिशत है, तीसरी मुख्य जनजाति गरासिया है जो 2.70 प्रतिशत है तथा चौथी जनजाति क रूप में सहरिया जनजाति आती है जो कि कुल जनजाति का 0.54 प्रतिशत भाग है।

सहरिया जनजाति राजस्थान की अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई है। सरकार ने सहरियाओं के आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए कई विकास कार्यक्रम चला रखे हैं। लेकिन वर्तमान समय तक वे इन उपायों से बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हुये हैं।

अतः प्रस्तुत शोध का सरकार के द्वारा चलाये जा रही सहरिया विकास योजनाओं को जानना और विभिन्न संगठनों के द्वारा सहरिया परिवारों को अधिकतम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।

सहरिया जनजाति का अधिकांश निवास राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता हैं, जिसमें बाराँ जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में राजस्थान के लगभग 90 प्रतिशत सहरिया जनजाति निवास करती है।

अध्ययन क्षेत्र में उक्त तहसीलों के अतिरिक्त मांगरोल एवं अटरू में भी कुछ सहरियाओ के निवास देखे जा सकते हैं। इसलिए अध्ययन विषय के अन्तर्गत बाराँ जिले को सम्मिलित किया गया हैं।

सहरिया का अर्थ

सहरियाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है परन्तु बहुत सारे पूर्व अनुमान हैं जो इस प्रकार हैः

1. यह अनमान लगाया गया है कि शब्द ''सहारा'' का अर्थ होता है रेगिस्तान। इसका अर्थ यह है कि सहरिया रेगिस्तान के नागरिक थे। जेम्स टोड़ ने राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले सहरियाओं का कुछ वर्णन किया है।

2. पारसी शब्द ''सहारा'' का अर्थ होता हैं जंगल। सहरियाओं के इस अर्थ के अनुसार ये जंगल के निवासी रहे होगें। सामान्य अर्थों में सहरिया घने जंगलों में रहने वाले हैं और यह शर्त इस समुदाय पर उचित रूप से लागू होती है।

3. कुछ सामाजिक विचारक इस सिद्वान्त को प्रतिपादित करते हैं कि पारसी शब्द ''सहर'' का अर्थ होता है 'सुबह का नाश्ता' और इस सुबह के नाश्तें को सहरी कहा जाता है, जो मुस्लिम लोग रमजान के माह में लेते हैं। जिसका अर्थ होता है भोजन की तुच्छ मात्रा और जैसा की सहरिया सामान्य रूप से भोजन की कम मात्रा पर ही जीवित रहते हैं और इसलिए सहरी शब्द से उनकों सहरिया नाम से जाना जाता है।

4. दूसरे सिद्वान्त के अनुसार शब्द सहरिया का विभाजन ''सह + आर्य'' होता हैं, जिसका अर्थ हैं सह+आर्य (साथ+आर्य) और साधारण रूप से हम कह सकते

हैं कि आर्यों के सहायक। भारतीय इतिहास की पूर्व अवधि में जब आर्य सभ्यता देश में विकसित होने लगी और जब भगवान श्री रामचन्द्र वनवास के लिए आगे बढ़े और जंगल में रहने लगे तो इस जाति के लोग जो मिट्टी के सच्चे सपूत थे, आर्यो के सामने आये और प्रत्येक सम्भव तरीके से उनकी सहायता की, इसलिए राम की इस सहायता के लिए जो आर्य समुदाय के प्रमुख मार्गदर्शक व्यक्ति थे, उन्होंने इस जाति को सह+आर्य कहा और धीरे–धीरे यह शब्द सह+आर्य ''सहरिया में परिवर्तित हो गया।

5. कुछ दूसरे विचारकों के अनुसार प्राचीन समय में चम्बल तथा यमुना के बीच के क्षेत्र को ''सहारा'' कहा जाता था और सम्भावित रूप से इसके निवासियों को सहरिया कहा जाने लगा। बोध धर्म ग्रन्थों में एक सहरिया का वर्णन है। जिसके द्वारा इन क्षेत्रों में रहने वाली सहरिया जाति का नेतृत्व किया गया।

इस तरीके से सहरियाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के पूर्व अनुमान प्रचलित हैं। यहाँ तक की अबुल फजल ''आइनें अकबरी'' के प्रसिद्व लेखक ने सहरिया जाति के नाम का उल्लेख किया है। उनके पूरे साहस और ईमानदारी का भी वर्णन किया है।

मुग़ल काल के समय इस समुदाय को ''सहरी'' कहा गया हैं। जिनका वर्णन शाहबाद तहसील के प्रचीन तथा मूल निवासी के रूप में किया गया है। भारत की स्वतन्त्रता के बाद इन लोगों को सहरिया कहा कहा जाने लगा।

प्राचीन समय से विशेष तौर पर सहरिया तथा भील जाति के लोगों के लिए यह प्रदेश निवास स्थान रहा है। किशनगंज तहसील में नाहरगढ़ के पास आठ किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में ''वरूनी'' नदी के बायं किनारे पर प्राचीन असालपुर कस्बे के अवशेष हैं। जो सामान्य रूप से भील समुदाय द्वारा सौंपा गया था और यहाँ तक की इस महल का राजा भी ''भील'' था और इस प्रकार से यह एक भील राज्य था। बड़ी संख्या में बिखरे हुए कलात्मक पत्थर यह दर्शाते हैं कि भीलों का यह प्राचीन शहर उस समय बहुत ही समृद्द शहर रहा होगा, और यहाँ उस समय उच्च स्तर की सभ्यता रही होगी। परन्तु बदलते समय के कारण ये लोग बहुत ही गरीब होते गये और जनजाति समुदाय के रूप में समझे गये।

यहाँ तक कि कुछ सामाजिक विचारक विश्वास करते हैं कि सहरियाओं के भील समुदाय से भी सम्बन्ध के बहुत सारे गौत्र प्रचलित हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे पुराने और खण्डित शहर शाहबाद के पास पहाड़ी प्रदेशों में हैं जो भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा अनुसंधान का एक अच्छा विषय है। यह सर्वेक्षण उन सहरियाओं की सभ्यता, संस्कृति तथा लोगों पर अधिक प्रकाश डाल सकता है।

1.1 अध्ययन का उद्देश्य

राजस्थान में जनजातियाँ सामान्यतौर पर जंगलों में दुर्गम क्षेत्रों में व पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करती हैं। इसी में सहरिया जनजाति राजस्थान के बाराँ जिले कि किशनगंज व शाहबाद तहसीलों के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निवास करती है। इन जनजातियों का

भरण–पोषण जंगली उत्पाद व थोड़ी सी मात्रा में कृषि पर निर्भर होता है। जो मानसून की कृपा पर निर्भर है। यह सहरिया जनजाति अभावों से पीड़ित जीवन से संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। यह सहरिया जनजाति राजस्थान की अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुइ है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य में उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को प्रदर्शित करना है, और इसके साथ–साथ सहरिया जनजाति की उन्नति के उपायों की ओर संकेत करना भी है, जिससे यह आगे चलकर स्वतंत्र व प्रजातन्त्रात्मक भारत में एक सम्मानीय नागरिक की तरह अच्छा व खुशहाल जीवन जी सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने शाहबाद व किशनगंज तहसील के गाँवों का सर्वेक्षण किया है। जहाँ अधिकाधिक सहरिया जनजाति की संख्या निवास करती है। यहाँ पर सरकार ने सहरियाओं के आर्थिक विकास को उन्नत करने के लिए कई विकास कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन वर्तमान समय तक वे इन उपायों से बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हुए हैं। अतः इस अध्ययन का उद्देश्य उन उपायों के उद्देश्य एवं व्यवस्था को जानना और इस संगठन का उन्नत और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नये तरीकों को निर्देशित करना है।

शोधकार्य के मुख्य उद्देश्य

- सहरिया आदिवासी जनजातिय क्षेत्र के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- सहरिया बस्तियों की संरचना तथा उनके क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

- सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना।
- सहरिया जनजाति के धार्मिक रीति–रिवाजों का अध्ययन करना।
- सहरिया जनजाति के विकास को प्रभावित करने वाली विभिन्ना आर्थिक, भौतिक, सामाजिक समस्याओं को चिन्हित् करना तथा उनका समाधान अनुशंसित करना।
- उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन को प्रगतिशील बनाने हेतु योजनाएँ अनुशंसित करना।
- सहरिया जनजाति के आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु सरकार द्वारा किये गये कार्यों तथा योजनाओं का मूल्यांकन करना।

1.2 परिकल्पनाऐं

1. जिन क्षेत्रों में सहरिया जनजाति का संकेन्द्रण अधिक हैं वहाँ विकास का स्तर निम्न है।

2. पिछले 20 वर्षों में सहरिया क्षेत्र में विकास स्तर की दर एक समान रही है।

1.3 शोध का भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक महत्व

भौगोलिक दृष्टि से शोध के विभिन्ना तथ्यों को प्रकट किया जा सकता हैं। किसी भी स्थान की स्थिति एवं वहाँ की भौगोलिक दशा उस प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करती है। इसी के आधार पर कई प्रदेशों में तुलनात्मक वितरण

देखने को मिलता है। देश में विभिन्ना दशाऐं विद्यमान हैं और इन दशाओं के आधार पर विभिन्ना संस्कृति एवं सभ्यताओं का जन्म होता है।

शोध विषय इन्हीं सभ्यताओं में से एक हैं जिनकी संस्कृति भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि सहरियाओं के निवास क्षेत्र साधारणतया वन क्षेत्र होते हैं, इनका स्वभाव आखेटक प्रवृत्ति का होने के कारण इनका निवास स्थल निर्धारित हैं। आदिम जनजाति होने के कारण यह सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुये हैं। इस जनजाति में अभी तक भी कई प्रकार की प्राचीन संस्कृतियाँ देखी जा सकती हैं। वर्तमान परिवेश से परे यह जनजाति केवल अपनी जीवन शैली को ही पंसद करते हैं। आधुनिक परिवेश से बहुत कम मात्रा में यह जनजाति प्रभावित हुई है। इसीकारण इनकी आर्थिक दशा भी पिछड़ी हुई हैं क्योंकि जीविकोपार्जन के विभिन्ना संसाधन प्राचीन परिवेश के हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुये शोध विषय के रूप में सहरिया जनजाति का आवास, अर्थव्यवस्था और समाज का एक भौगोलिक अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

1.4 साहित्य का पुनरावलोकन

बाराँ जिले में सहरिया जनजाति का निवास राजस्थान में सर्वाधिक हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से आखेटक, श्रमिक एवं कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह अत्यधिक पिछड़े हुये हैं, इसी कारण आधुनिक परिवेश इनको प्रभावित नहीं कर पाया है, जिसके कारण इनके रहन–सहन का तरीका अत्यधिक प्राचीन है। निवास एवं स्वच्छता के अभाव में कई प्रकार की बीमारियाँ यह जनजाति स्वयं पैदा करती हैं। कई वर्षों से सहरिया क्षेत्रों में कुपोषण, मलेरिया, टाइफाईड जैसी गंभीर बीमारियाँ पाई गई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्ना योजनाऐं इनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन

को समृद्द बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इन योजनाओ का उद्देश्य सहरिया जनजाति को एक नई दिशा प्रदान करना है। इस संदर्भ में कई विद्वानों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किये जिनमें से मुख्य अध्ययन निम्नलिखित हैंः

- अन्सारी, एम.ए. ने जनजाति के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुये कहा कि लोक संस्कृति एक जाति बोधक शब्द की भांति प्रतिष्ठित हो गई हैं, जिसके अर्न्तगत पिछड़ी जातियों में प्रचलित अथवा अपेक्षित समुन्नत जातियों के असंस्कृत समुदाय में अवशिष्ठ, विश्वास, रीति–रिवाज, कहानियाँ, गीत तथा कहावतें आती हैं। लोक संस्कृति के अन्तर्गत लोकप्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, रहन–सहन, खान–पान, वेशभूषा, लोकगीत, लोक कथायें आदि आती हैं।
- चट्टोपाध्याय के अनुसार सहरिया जनजाति के लोगों में स्वभाव की एक प्रमुख विशिष्ठता, उनकी सरलता, सज्जनता एवं भोलापन होता है। स्वभाव से यह लोग नम्र एवं मिलनसार होते हैं। जंगल से इनका गहरा रिश्ता होता है, दुर्गम जंगलों में रास्ते ढूंढना, निशाना लगाना, वृक्ष, जड़ों, पत्तियों की पहचान करना आदि विशेषताऐं इस जनजाति के लोगों में देखने को मिलती हैं।
- वंसत निरगुणें ने लिखा हैं कि सहरियाओं को भूत–प्रेत की बाधाओं का अक्षर भय होता हैं। उनके रोकथाम क लिए भूत–प्रेतों से बड़ी औघड़ शक्ति के देवता जिन्ना की पूजा प्रति 3 वर्षों में की जाती है। सहरियाओं की मान्यता है कि यदि जिन्ना की पूजा करके उन्हें प्रसन्ना नहीं रखा गया तो वह लोगों को अकारण ही

सताते हैं। गर्भावस्था में मृत्यु, बच्चा पैदा होत समय ही मृत्यु, जानवर द्वारा खा लिए जाने पर चुडेल बन जाते हैं, ऐसी मान्यता सहरियाओं में बतायी गई।

- विद्यार्थी राय (1934) ने सहरियाओं के धार्मिक संस्कार में लिखा हैं कि इस जनजाति के लोग परम्परा, मान्यता एवं अन्धविश्वास से परिपूर्ण होते हैं।
- आर.एन. मिश्रा ने ''जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर अध्ययन किया''। उसमें बताया कि इस जनजाति के लोग आर्थिक दृष्टि से एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। इनके रीति–रिवाज एवं विभिन्ना प्रथाऐं लोक प्रचलित हैं।
- विलियम इलेव ने आवास, मानव एवं पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया। जिसमें इनके शोधकार्य में सहरियों के आवास को झोपड़ीनुमा बताया गया। इनकों मुख्य रूप से अखेटक बताया जिसके कारण उन लोगों के सम्बन्ध प्रकृति से गहरे होते हैं।
- क्लार्क एवं इवांस (1954) ने निकटतम पडौसी के सम्बन्ध के माध्यम से जनसंख्या एवं पारिस्थितिकी के मध्य सांमजस्य सम्बन्ध स्थापित किया।
- डुबोस (1966) ने ''मानव पर्यावरण की गुणवत्ता'' पर अपना शोध कार्य किया। जिसमें इन्होनें मानव की जीवन शैली को आदिवासियों की जीवन शैली के साथ तुलनात्मक व्यावहारिक अध्ययन की पुष्टि की।

- आर.एल.सिंह (1972) ने मानूसन एशिया के ग्रामीण बसाव पर आधारित अधिवास परिकल्पना की पुष्टि की जिसमें इन्होनें बसाव को पूर्ण रूपेण से केन्द्रित रखा।
- एस.पी. सिंह (1973) ने निकोबार द्वीपसमूहों की जनजातियों के आवास, अर्थव्यवस्था और समाज का अध्ययन कर वहाँ की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया।
- कार्सन डानिल (1974) ने मानवीय आवास और पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन कर शोध पत्र प्रकाशित किया।
- जे.पी. गुप्ता (1975-80) ने उदयपुर जिले की जनजाति का अध्ययन कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रसास किया।

1.5 विधि तंत्र

इस महत्वपूर्ण कार्य को अधिक विश्लेषणात्मक, गहनतापूर्वक व विस्तार से अध्ययन उद्देश्य से अनुभावात्मक एवं वैज्ञानिक, सांख्यिकी, सामाजिक आदि विधियों का समावेश किया है। शोधकार्य में अपनायें गये विधि तंत्र का उल्लेख इस तरह से है :

1. इस कार्य हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों को एकत्रित करके इनका परीक्षण अनुभावात्मक एवं प्रायोगिक विश्लेषण के आधार पर किया गया। प्राथमिक समंक एवं जानकारी एकत्रित करने के लिए एक प्रश्न समूह एवं सूची बनाई गई। जिसमें जनजाति के आवास, कार्य क्षेत्र, जनसंख्या, प्रथाएँ, संस्कृति आदि से

सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित किये गए। साथ ही इनके रहन–सहन, क्रियाकलापों में होने वाला परिवर्तन, आय में परिवर्तन, साक्षरता जैसी सूचनाओं के विषय में जानकारी एकत्रित की गई। प्राथमिक समंक के लिए मुख्य रूप से दो तहसीलों (किशनगंज व शाहबाद) के गाँवों का प्रतिदर्श चयन किया गया।

प्राथमिक समंकों के विपरीत द्वितीयक संमक विभिन्न संगठनों जैसे– राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जनजाति कल्याण विभाग–जयपुर, जिला सांख्यिकी विभाग–बाराँ, राजकीय चिकित्सालय–बाराँ, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग–जयपुर, जिला मुख्यालय–बाराँ आदि के द्वारा प्राप्त किए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों से जानकारियाँ इनकी वेबसाइट से एकत्रित की गई।

2. इन एकत्रित किए गए संमकों का अध्ययन करके उनकों सारणीयन किया गया है ताकि समंक व्यवस्थित विशलेषण किया जा सकें।

3. अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित सभी मानचित्र व आलेख तैयार किए गये हैं ताकि सभी क्षेत्रों का मानचित्रों की सहायता से विश्लेषण एवं उन्हें समझाया जा सकें।

4. अध्ययन को अधिक विस्तृत व शोध परख बनाने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा R.F. 1:250000 एवं 1:50,000 पर बने स्थलाकृतिक पत्रकों की सहायता से भूमि उपयोग एवं बस्तियों का चयन किया गया है।

5. निकटतम पड़ौसी सहसम्बन्ध : (Nearest Neighbour Analaysis)

$$Rn = \frac{\bar{ro}}{\bar{re}}$$

Rn = Nearest Neighbour Statistic for Measuring the Degree of Randomness

ro- = Observed Mean Distence of Exisiting Pattern.

Re- = Expected Mean Distance if point were distributed at Random

6. एन्ट्रोपी विश्लेषण : (Entropy Analaysis)

$$Pi = \frac{Mi}{\sum Mi}$$

Shannon formula

$$Hs = \sum_{i=1} (Pi \log_2 Pi)$$

7. क्वाड्रेट विश्लेषण : (Quadrat Analaysis)

$$C = \frac{Ns + Au}{At} \times 100$$

Ns - is the number of settlement

Au - is the total unoccupied area

At - is the total area of the ragion

1.6 अध्ययन क्षेत्र

बाराँ जिला जो इस अध्ययन के लिए चुना गया है, यह राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी भाग में $24^0 24'$ से $25^0 26'$ उत्तरी अक्षांश तथा $76^0 12'$ से पूर्वी देशान्तर

के मध्यप्रदेश का मुरैना जिला, पूर्व में गुना व शिवपुरी जिले, दक्षिण में झालावाड़ जिला एवं पश्चिम, उत्तर–पश्चिम में कोटा जिला आता है। जिसकी प्राकृतिक सीमा कालिसिंध एवं परवन नदी बनाती है। बॉरा जिले की उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई 110 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 120 किलोमीटर है।

बाराँ जिले का क्षेत्रफल 7000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या (2011 के अनुसार) 12,22,755 है जो 6992 वर्ग किलोमीटर में निवास करती है।

बाराँ जिले का अधिकांश भाग शैल, सैण्ड स्टोन व चूना पत्थर से निर्मित है जो विंध्यन कगार ग्रुप का भाग है। दक्कन ट्रेप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है जो दक्षिणी–पूर्वी भाग में विस्तृत है। पार्वती का मैदानी भाग जलौढ़ मिट्टी से निर्मित है। इस भाग में काली कछारी मिट्टी मिलती है।

वनस्पति की दृष्टि से यहाँ मानसूनी एवं आर्द्र एवं शुष्क प्रकार के वन पाये जाते हैं जिनमें सागवान, बांस, पीपल, खेजड़ा, धोंकडा आदि के वृक्ष प्रमुख है। जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश के अन्तर्गत आने वाला बारां जिला नदी एवं वर्षा की उपलब्धता में राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहाँ की सामन्य औसत वर्षा 90 सेमी. है जो वर्षा प्राप्ति में राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर अधिकतम तापमान जून के माह में 46 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान जनवरी में 10 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है।

इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है। इस क्षेत्र में रबी व खरीफ की फसलें उगाई जाती है। रबी की फसल में गेंहू, जौ, चना, सरसों प्रमुख है। खरीफ की फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का व तिल प्रमुख है। इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें है। साथ ही सिंचाई परियोजनाओं में परवन लिफ्ट परियोजना, बिलास परियोजना एवं बेथली परियोजना प्रमुख है। नहरों के साथ–साथ कुऐं तथा नलकूप भी प्रमुख साधन हैं।

अध्याय योजना

प्रथम अध्याय – परिचय

1.1 अध्ययन क्षेत्र का उद्देश्य

1.2 परिकल्पनाऐं

1.3 शोधकार्य का भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक महत्व

1.4 साहित्य का पुनरावलोकन

1.5 विधितंत्र

1.6 अध्ययन क्षेत्र

1.7 अध्याय योजना

द्वितीय अध्याय – अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विवरण

2.1 अवस्थिति

2.2 भौतिक स्वरूप

2.3 अपवाह तंत्र

2.4 जलवायु

2.5 मृदा

2.6 वनस्पति एवं जीवजन्तु

2.7 जनसंख्या

2.8 शिक्षा

2.9 आवासीय स्कूल

2.10 निराश्रय बच्चों को आश्रय

2.11 चिकित्सा

तृतीय अध्याय – मानवीय आवासों का प्रारूप

3.1 आवासों का प्रकार

3.2 आवासों की बनावट

चतुर्थ अध्याय – सहरिया जनजाति के जीवन की गुणवत्ता

4.1 जीवन शैली

4.2 व्यवसाय

पंचम अध्याय – सहरिया जनजाति की आर्थिक संरचना

5.1 कृषि

5.2 पशुपालन

5.3 मजदूरी

षष्ठ्म अध्याय – सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन

6.1 रीति–रिवाज

6.2 मान्यताएँ

6.3 रहन–सहन

6.4 सामाजिक व्यवस्था

सप्तम् अध्याय – सहरिया जनजाति के विकास हेतु सरकारी प्रयास

7.1 सरकार की योजनाएँ

7.2 स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग

7.3 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

अष्ठ्म अध्याय–निष्कर्ष एवं सुझाव

8.1 सहरियाओं की समस्याऐं

8.2 सहरियाओं के कल्यानार्थ सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति

8.3 सहरिया विकास परियोजना शाहबाद द्वारा संचालित विविध योजनाऐं

8.4 सुझाव

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

परिशिष्ट

द्वितीय–अध्याय

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विवरण

2.1 अवस्थिति

2.2 भौतिक स्वरूप

2.3 अपवाह तंत्र

2.4 जलवायु

2.5 मृदा

2.6 वनस्पति एवं जीवजन्तु

2.7 जनसंख्या

2.8 शिक्षा

2.9 आवासीय स्कूल

2.10 निराश्रय बच्चों को आश्रय

2.11 चिकित्सा

अध्याय–द्वितीय

अध्ययन क्षेत्र का भौगोलिक विवरण

2.1 अवस्थिति

अध्ययन क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी–पूर्वी भाग में बाराँ जिले के अन्तर्गत आता हैं। बाराँ की स्थापना चौदहवीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों द्वारा बारह गांवों के लोगों को मिलाकर की गई थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पुनगर्ठन म कोटा जिले के उपखंड का दर्जा दिया गया। 10 अप्रेल 1991 को कोटा से अलग कर जिले के रूप में अस्तित्व में आया। बाराँ जिले की अक्षांश स्थिति $24^0$25' से $25^0$26' उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तर स्थिति $72^0$12' से $76^0$26' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं। जिसका क्षेत्रफल 6992.00 वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तर–दक्षिण में 110 किलोमीटर एवं पूर्व पश्चिम में 120 किलोमीटर तक विस्तृत हैं। जिसमें 6909.82 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण एवं 82.18 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। (मानचित्र सं.1)

2.2 भौतिक स्वरूप

यह क्षेत्र उच्चावच की दृष्टि से मालवा पठार का भाग है जो कि दक्षिण पठार के अन्तर्गत आता है। उच्चावच स्वरूप की विलक्षणताओं के कारण अध्ययन क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता हैः (मानचित्र सं.2)

• शाहबाद का उच्च प्रदेश : क्षेत्र के पूर्वी भाग में उच्च भूमि स्थित हैं, जिसे शाहबाद उच्च भूमि प्रदेश कहा जाता है। यह क्षेत्र 300 मीटर समोच्च रेखीय ऊँचाई से घिरा हुआ है। पश्चिम की ओर ढाल होने के कारण ऊँचाई कम होती जाती है, और यह ऊँचाई 50 मीटर तक पहुँच

Location Map

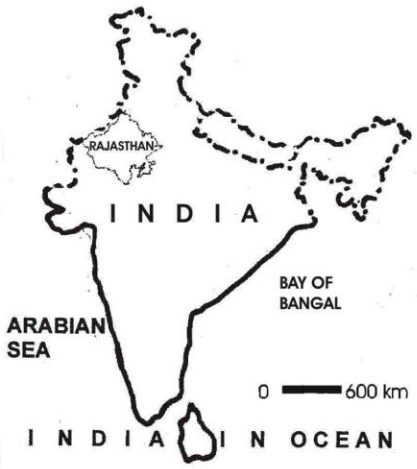

DISTT. BARAN

Shahbad & Kishanganj Tehsil

मानचित्र संख्या–1

जाती है। इस भाग का सबसे ऊँचा स्थान कस्बाथाना है, जो समुद्र तल से 456 मीटर ऊँचा है।

शाहबाद और किशनगंज तहसील के क्षेत्र को दो भागों में बाँट सकते हैंः ऊँची भूमि (ऊपरी भूमि) तथा तलहटी (निचली पहाड़ी भूमि)। ऊँची भूमि में किशनगंज तहसील तथा शाहबाद तहसील का पश्चिम भाग स्थित है। तलहटी क्षेत्र में शाहाबाद तहसील का शेष भाग आता है। ऊपरी क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं से अधिक उपजाऊ है। जबकि तलहटी क्षेत्र कम उपजाऊ है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी 'पार्वती' सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगली नदी 'कुनों' है। जिसकी दो सहायक नदियाँ 'कराई' तथा 'रीयोपि' है। यद्यपि कुनो नदी तलहटी क्षेत्र में बहती है परन्तु अनुपजाऊ भूमि होने के कारण इस क्षेत्र के लोग बहुत गरीब हैं।

इस क्षेत्र में रामगढ़ पहाड़ी स्थित है, जो कि तश्तरीनुमा आकार में है। इसे उल्का निर्मित पहाड़ी माना जाता है। यह घोड़े की नाल की आकार में फैली हुई है। इस पहाड़ी की ऊँचाई 728 फुट है।

शाहबाद उच्च भूमि प्रदेश वनाच्छादित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जिले की सर्वाधिक वन सम्पदा पाई जाती है।

• पठारी प्रदेश : इस प्रदेश के अन्तर्गत छबड़ा–छिपाबडौद एवं झालावाड़ के समीपवर्ती भाग आते हैं जो कि दक्कन ट्रेप का भाग हैं। यहाँ पर लेटेराईट मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। इस प्रदेश में काली, लाल, भूरी मिट्टी का जमाव अधिक है।

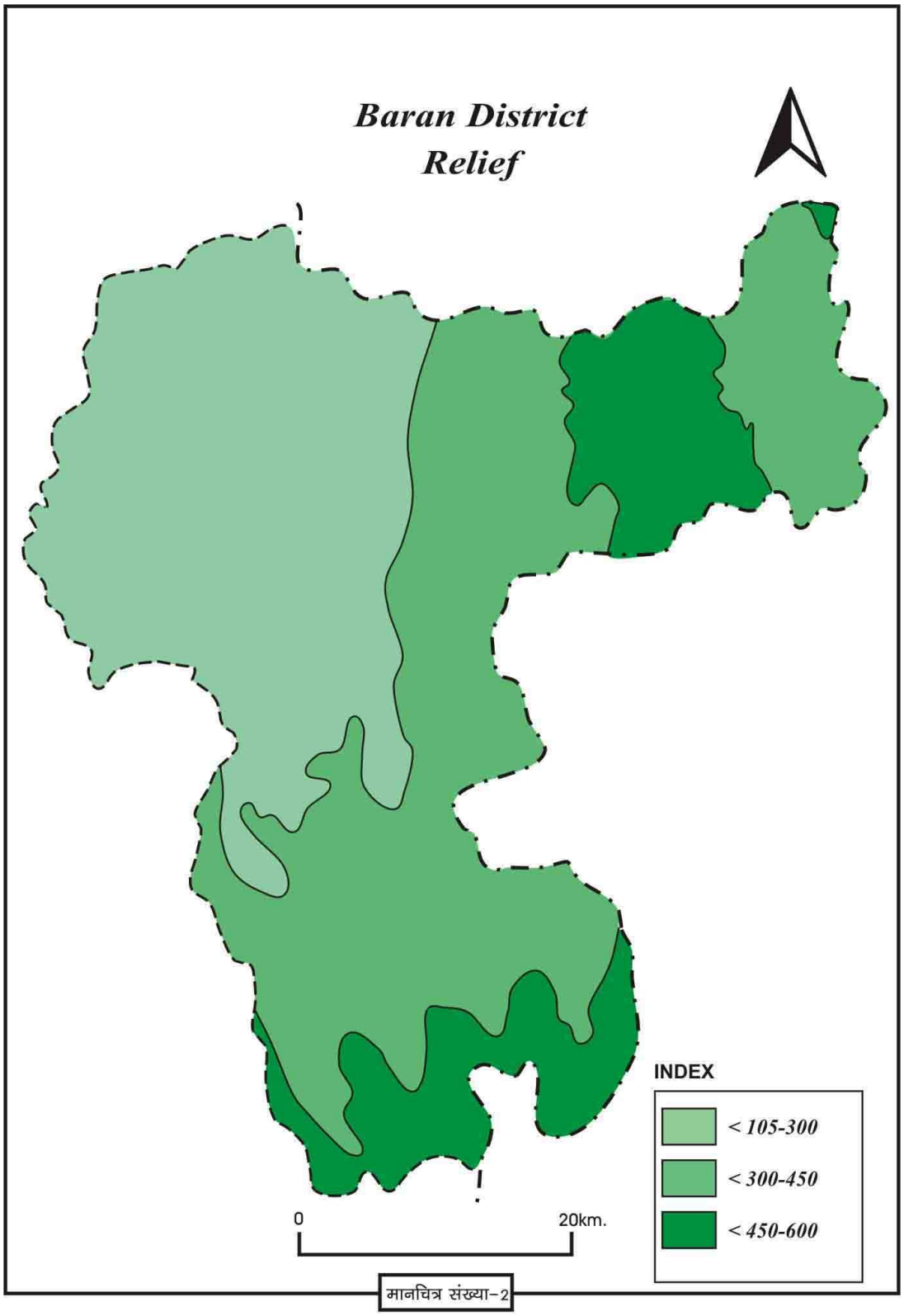

मानचित्र संख्या–2

• कृषि योग्य समतल भूमि : बाराँ जिले में सर्वाधिक भूमि इस भौतिक भू–भाग के अन्तर्गत रखी जाती हैं, जिसमें 65,263 हैक्टेयर भूमि में कृषि की जाती है। यहाँ पर गेंहू, जौ, धनियाँ, सरसों, सोयाबीन, तिल, मूंगफली आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह भाग उपजाऊ होने के कारण सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। इसके अन्तर्गत अन्ता, मांगरोल, बाराँ, किशनगंज को सम्मिलित किया जाता है।

• बाराँ जिले का औसत तापमान अधिकतम 42.6 डिग्री सेन्टीग्रेड एवं न्यूनतम 10.6 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है।

2.3 अपवाह तंत्र

बाराँ जिले की नदियों का अपवाह तंत्र चम्बल नदी तंत्र के अन्तर्गत आता है, जिसमें सामान्यतः नदियों का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। वर्षाकाल में छोटे नदी नालों का वेग बढ़ जाता है। बाराँ जिले में मुख्यरूप से कालीसिंध, पार्वती, अंधेरी, बाणगंगा, परवन, कुन्नू आदि नदियाँ हैं जो वर्षाकाल में अत्यधिक वेगवती हो जाती है, तथा इन सभी नदियों के कारण इनके किनारों पर वर्षाकाल में बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। नदियों द्वारा सामान्यतः अवनालिका का अपरदन देखने को मिलता है। इन नदियों द्वारा विभिन्न तहसीलों की प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण किया जाता हैं। (मानचित्र सं.3)

उच्चावच स्वरूप एवं ढ़ाल नदी के अपवाह तंत्र का निर्धारण करता है। बाराँ जिले में मालवा पठार से लेकर निम्न भूमि तक नदियों का विस्तार अनवरत बढ़ता जाता

हैं। छोटे से इस क्षेत्र में कई छोटी–छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। धरातलीय ढाल उत्तर की ओर होने के कारण सभी नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। बाराँ जिले की प्रमुख नदियों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता हैः

- **कालीसिंध**

इस नदी का उद्‌गम मध्यप्रदेश से होता हैं, जहाँ से प्रवाहित होती हुई यह नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करके कोटा, बाराँ जिले की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी बाराँ जिले में लगभग 32 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए चम्बल नदी में मिल जाती है।

- **परवन नदी**

इस नदी का उद्‌गम भी मध्यप्रदेश से होता है, जो कोटा, बाराँ व झालावाड़ की सीमा का निर्धारण करती है। बाराँ जिले में यह 132 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई कालीसिंध नदी में मिल जाती है।

- **पार्वती नदी**

यह नदी मध्यप्रदेश से निकलकर बाराँ जिले में प्रवेश करती हुई 128 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चम्बल नदी में मिल जाती है। यह नदी मध्यप्रदेश व राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है।

- **बाणगंगा नदी**

यह पार्वती नदी की सहायक नदी है जो अटरू के खडलीगंज गाँव के विभिन्न नालों से मिलकर बनती है।

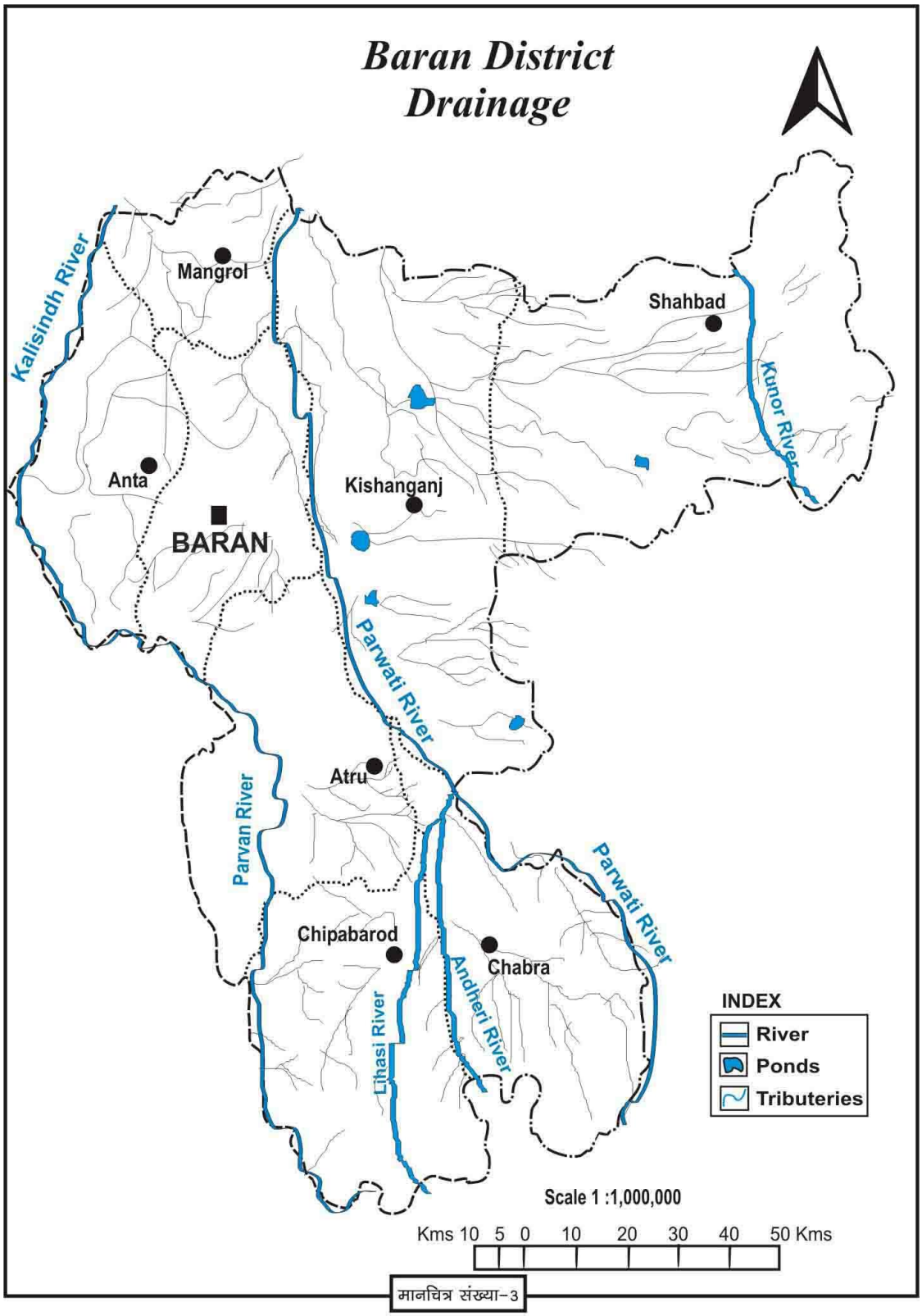
Baran District
Drainage
Kalisindh River
Mangrol
Shahbad
Kunor River
Anta
Kishanganj
BARAN
Parwati River
Atru
Parvan River
Parwati River
Chipabarod
Chabra
Andheri River
Lihasi River
INDEX
River
Ponds
Tributeries
Scale 1 :1,000,000
Kms 10 5 0 10 20 30 40 50 Kms

मानचित्र संख्या–3

लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पार्वती नदी में मिल जाती है।

- **कुनू नदी**

बाराँ जिले के शाहबाद तहसील में प्रवाहित होने वाली यह नदी मध्यप्रदेश से प्रवाहित होती हुई पुनः मध्यप्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यह नदी शाहबाद को दो भागों में बांटती है।

- **अन्य नदियाँ**

बाराँ जिले के अन्तर्गत उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त कुल नदी, सारणी, बेथली, लासी, कराल, तिलपासी, राणपी, अन्धेरी आदि नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं।

2.4 जलवायु

किसी प्रदेश की जलवायु वहाँ की अक्षांशीय स्थिति एवं धरातलीय स्वरूप पर निर्भर होती है। बाराँ जिला वनाच्छादित होने के कारण अधिक वर्षा वाले जिलों की श्रेणी में रखा जाता है। बाराँ जिले में विभिन्न ऋतुओं को समय के अनुसार तीन भागों में बांटा जा सकता हैः

1. शीत ऋतु : नवम्बर से फरवरी तक
2. ग्रीष्म ऋतु : मार्च से जून तक
3. वर्षा ऋतु : जुलाई से अक्टूबर तक

शीत ऋतु में सबसे ठण्डा महिना जनवरी होता हैं तथा शीतकाल में चक्रवाती वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं।

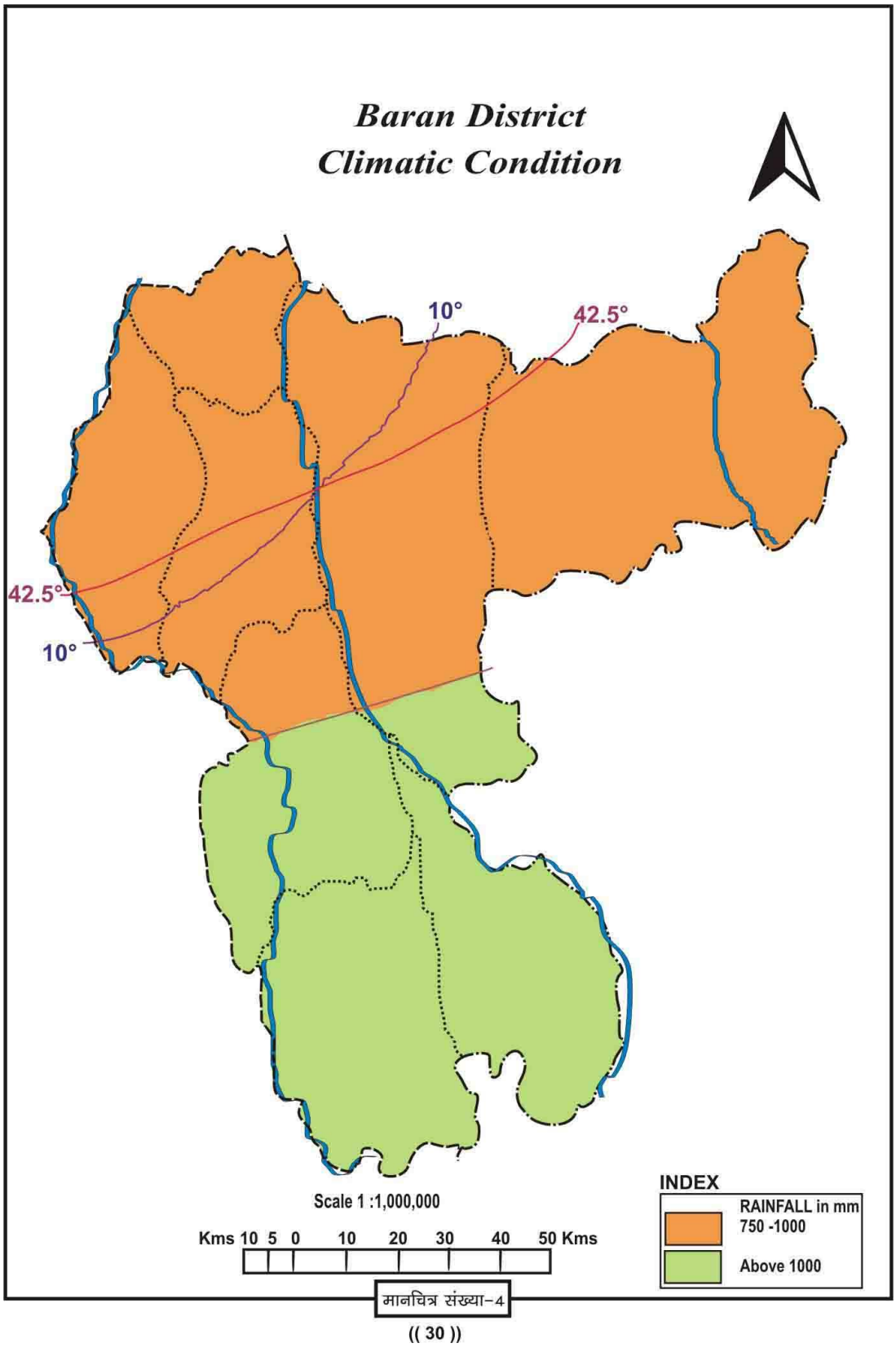

Baran District
Climatic Condition
10°
42.5°
42.5°
10°
Scale 1 :1,000,000
Kms 10 5 0 10 20 30 40 50 Kms
INDEX
RAINFALL in mm
750 -1000
Above 1000

मानचित्र संख्या-4

- **तापमान**

बाराँ जिले में औसत तापमान 3200 रहता है। जनवरी माह में कभी–कभी तापमान 10 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर तापमान सामान्यतः समशीतोष्ण कटीबन्धीय है। (मानचित्र सं.4)

- **आर्द्रता**

जैसे–जैसे ताप बढ़ता जाता हैं वैसे–वैसे आर्द्रता कम होती जाती है। आर्द्रता एवं तापमान में विपरीत सम्बन्ध होने के कारण बाराँ जिले में आर्द्रता अधिक होती है जबकि तापमान सामान्य है।

- **वर्षा**

बाराँ जिले में वार्षिक वर्षा मुख्य रूप से 100 सेन्टीमीटर के लगभग होती है। वर्षाकाल जुलाई से अक्टूबर माह में होने के कारण इसी काल में वर्षा होती है। बाराँ जिले की विभिन्न तहसीलों में तापमान का विवरण निम्न प्रकार हैः

सारणी 2.1 : वर्षा का वितरण (वर्ष 2011)

तहसील	सामान्य वर्षा (सेमी.)	वास्तविक वर्षा (सेमी.)	वृद्धि एवं कमी (सेमी.)
शाहबाद	88.5	105.32	16.82
किशनगंज	90.83	115.5	24.67
अटरू	97.79	108.4	10.61
अन्ता	82.44	102.3	19.86
मांगरोल	82.3	103.9	21.6
छबड़ा	91.32	78.1	-13.22
छीपाबडौद	103.5	82.75	-20.75
बारां	94.67	93.14	-1.53
कुल औसत वर्षा	**91.42**	**98.68**	**7.26**

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी रूपरेखा, बाराँ

आरेख संख्या–1 : तहसीलानुसार वर्षा का वितरण, जिला बाराँ (वर्ष–2011)

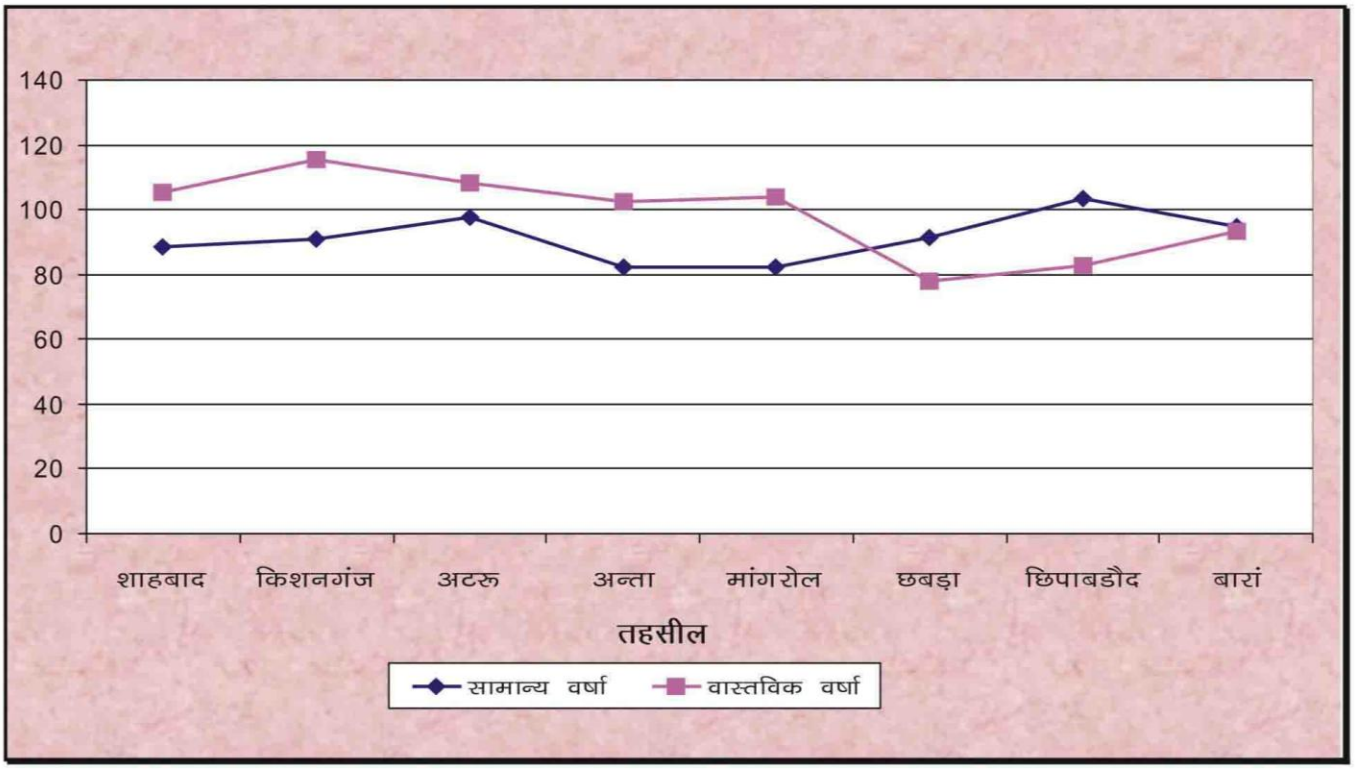

2.5 मृदा

बाराँ जिले में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं परन्तु काली एवं कछारी मिट्टी अधिक देखने को मिलती हैं। कालीसिंध, पार्वती, परवन के सहारे पीली एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है तो मांगरोल, अन्ता, बाराँ तहसील में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है जो गेंहूँ, सोयाबीन, तिलहन, दलहन के लिए उपयुक्त होती है। छबड़ा एवं छीपाबडौद तहसीलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। जिसमें जिप्सम व पोटाश पर्याप्त मात्रा में तथा ह्यूमस की मात्रा कम पायी जाती है। यह मिट्टी मक्का, ज्वार, तिल, मूंगफली की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है। अध्ययन क्षेत्र की मृदा का निर्माण विभिन्न भौगोलिक प्रक्रमों के द्वारा होने के कारण नदी क तराई क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा के निक्षेप है जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी है तथा पहाड़ी व पठारी ढलानों पर कम गहरी मृदा पायी जाती है जिसमें सामान्यतः पशुचारण व आदिवासी स्थानान्तरित कृषि करते हैं।

2.6 वनस्पति एवं जीवजन्तु

यहाँ के वनस्पति में महुवा, आँवला, बहेड़ा, बिलपत्र, अनार, तेन्दु, डाकप्लास, बबूल, खेजडी, आम, जामुन, नीम आदि के पैड़–पौधें मिलते हैं। यहाँ के वनों में राजस्थान की सर्वाधिक जैव–विविधता देखी जा सकती है। किशनगंज व शाहबाद में क्रमशः 410.98 एवं 497.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैले हुये हैं। जिसमें शाहबाद में 497.49 वर्ग किमी. पर संरक्षित वन एवं 0.09 वर्ग किमी.

अवर्गीकृत वन तथा किशनगंज में 410.37 संरक्षित एवं 0.61 अवृर्गीकृत वन हैं। यहाँ जंगली वृक्ष तथा पेड़–पौधें ही राज्य सरकार की आय का अच्छा साधन नहीं हैं, बल्कि सहरिया समुदाय की आजीविका के लिये यह आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत भी हैं।

बाराँ जिले में शेरगढ़, नाहरगढ़, केलवाड़ा, सोरसन प्रमुख अभ्यारण्य हैं। सोरसन राज्य पक्षी गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। जिले के अभ्यारण्यों में विभिन्न प्रकार के जीव–जन्तु पाये जाते हैं, जिसमें लंगूर, जरख, सियार, गिलहरी आदि प्रमुख हैं तथा पक्षियों में तोता, कोयल, मोर, तीतर, उल्लू, बटेर, सारस आदि प्रमुख हैं।

2.7 जनसंख्या

किसी भी प्रदेश में जनसंख्या का आकार और क्षेत्रफल जिस पर जनसंख्या बसी हुई है, जनसांख्यिकी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह मानव के जीवन स्तर को प्रभावित करते है। इसलिए जिले में सहरिया जनजाति का अध्ययन करने के साथ जिले की जनसंख्या के वितरण का अध्ययन करना आवश्यक है।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार बाराँ जिले की कुल जनसंख्या 12,22,755 है जो 6992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करती है। बाराँ जिले का क्षेत्रफल राजस्थान का समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.04 प्रतिशत है। यहाँ पर राज्य की कुल जनसंख्या का 1.78 प्रतिशत भाग निवास करता है।

सम्पूर्ण राजस्थान की भांति बाराँ जिले में भी जनसंख्या वितरण में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है। जिले में सर्वाधिक सघन जनसंख्या बाराँ एवं छीपाबड़ौद तहसील में मिलती है। जिले का पठारी व उबड़–खाबढ़ एवं जलाभाव वाले क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले है। जिले में जनसंख्या का सघन जमाव उपजाऊ जलोढ़ मैदानी क्षेत्रों में, परिवहन केन्द्रों के आस–पास अध्ययन के दौरान पाया गया है। लगातार इस क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

सारणी–2.2 : बाराँ जिले में जनसंख्या का वितरण, तहसीलानुसार (1991–2011)

तहसील / वर्ष	1991	2001	2011
बाराँ	138588	181807	213555
छीपाबड़ौद	116044	143885	170886
किशनगंज	108345	135218	166864
अटरू	107431	132944	149959
शाहबाद	83028	108146	142061
छबड़ा	97976	122268	152429
अन्ता	....	103835	120038
मांगरोल	158914	93550	106963
बाराँ जिला	**810326**	**1021653**	**122755**

स्त्रोत : जिला जनगणना प्रतिवेदन, राजस्थान सरकार, जयपुर

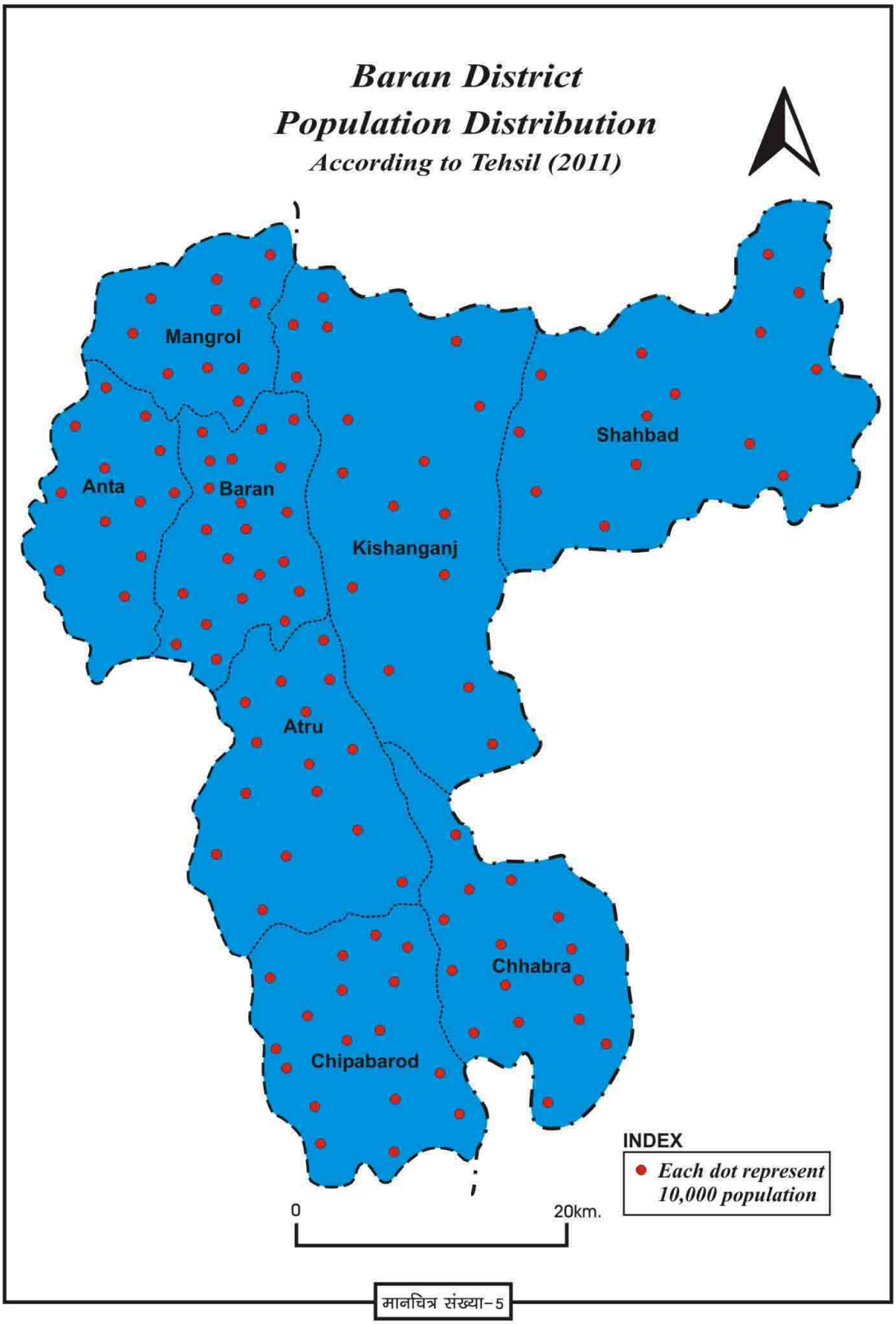
Baran District
Population Distribution
According to Tehsil (2011)
Mangrol
Anta
Baran
Kishanganj
Shahbad
Atru
Chhabra
Chipabarod
INDEX
Each dot represent 10,000 population
0
20km.

मानचित्र संख्या–5

सारणी संख्या 2.2 से स्पष्ट है कि 1991 में सर्वाधिक जनसंख्या मांगरोल तहसील में थी जो जिले की कुल जनसंख्या का 19.61 प्रतिशत थी तथा सबसे कम जनसंख्या शाहबाद तहसील में 10.24 प्रतिशत थी। 1991 में जिले में 7 तहसीलें थी जो 1998 में अन्ता नई तहसील बन जाने से 8 हो गयी। 2011 में जिले की सर्वाधिक जनसंख्या बाराँ तहसील में 17.46 प्रतिशत है तथा न्यूनतम मांगरोल तहसील में 8.74 प्रतिशत है।

सन् 1991 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील शाहबाद थी एवं जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.12 प्रतिशत में थी तथा न्यूनतम क्षेत्रफल बाराँ तहसील का 9.00 प्रतिशत था। 2011 में सर्वाधिक क्षेत्रफल शाहबाद तहसील का 21.12 प्रतिशत था तथा न्यूनतम क्षेत्रफल मांगरोल तहसील का 6.56 प्रतिशत है।

जिले की सबसे अधिक जनसंख्या बाराँ तहसील में 46.41 प्रतिशत (2011) में और सबसे कम छीपाबड़ौद तहसील में 7.40 प्रतिशत है। जिले की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किशनगंज तहसील में 17.22 पतिशत है तथा सबसे कम मांगरोल तहसील में 8.45 प्रतिशत है। जिले की किशनगंज व शाहबाद ऐसी तहसील है जहाँ नगरीय जनसंख्या नहीं है।

- **जनसंख्या वृद्धि**

किसी भी जिले की उत्पत्ति के साधनों में जनसंख्या का अधिक महत्व होता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

और जिले की औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति वहाँ पायी जाने वाली जनसंख्या के वितरण, उसके घनत्व, लोगों के स्वभाव एवं कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए जनसंख्या का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। जनसंख्या का अध्ययन प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में किया जा रहा है। जिसे मानवीय ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों ने विश्लेषित किया है। प्रारम्भिक समय में सीमित भूतलीय ज्ञान एवं कम जनसंख्या के कारण केवल जनसंख्या के वृद्धि पक्ष पर ही ध्यान आकर्षित रहा। जनसंख्या के आकार के बारे में सर्वप्रथम प्लूटो और अरस्तु ने अपने विचार दिये थे।

बाराँ जिले में जनसंख्या की वृद्धि निरंतर हो रही है लेकिन यहाँ कि वृद्धि दर राज्य की वृद्धि दर से कम रही है। सन् 1901 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या मात्र 2,25,743 लाख थी जो 2011 में बढ़कर 12,22,755 लाख हो गई अर्थात् 9,97,012 की वृद्धि हुइ।

- **जनसंख्या घनत्व**

जनसंख्या घनत्व एक ऐसा पेरामीटर है जिसके द्वारा मनुष्यों और वसुंधरा के निरंतर परिवर्तनशील सम्बन्ध की जानकारी मिलती है। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या एवं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुपात को कहते है।

अतः अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति की विकास योजनाऐं बनाने के लिए क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की सघनता और विरलता का पता लगाना आवश्यक है।

बाराँ जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 में 175 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल के अनुपात में 19वां स्थान है। जबकि जनसंख्या घनत्व में जिले का 18वां स्थान है। राज्य का औसत जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबकि बाराँ का जनघनत्व 175 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले में जनसंख्या घनत्व असमान है। सन् 1991 में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो 2001 में बढ़कर 146 तथा 2011 में बढ़कर 175 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। सन् 1991 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई।

सारणी 2.3 : बाराँ जिले में तहसीलानुसार जनसंख्या घनत्व (1991–2011)

तहसील / वर्ष	1991	2001	2011
बाराँ	221	288	338
अटरू	125	157	177
किशनगंज	76	95	117
शाहबाद	57	74	98
छबड़ा	124	152	190
छीपाबड़ौद	140	173	206
मांगरोल	167	201	233
अन्ता	..	198	229
बाराँ जिला	**117**	**146**	**175**

स्त्रोत : जिला जनगणना प्रतिवेदन, बाराँ, 2011

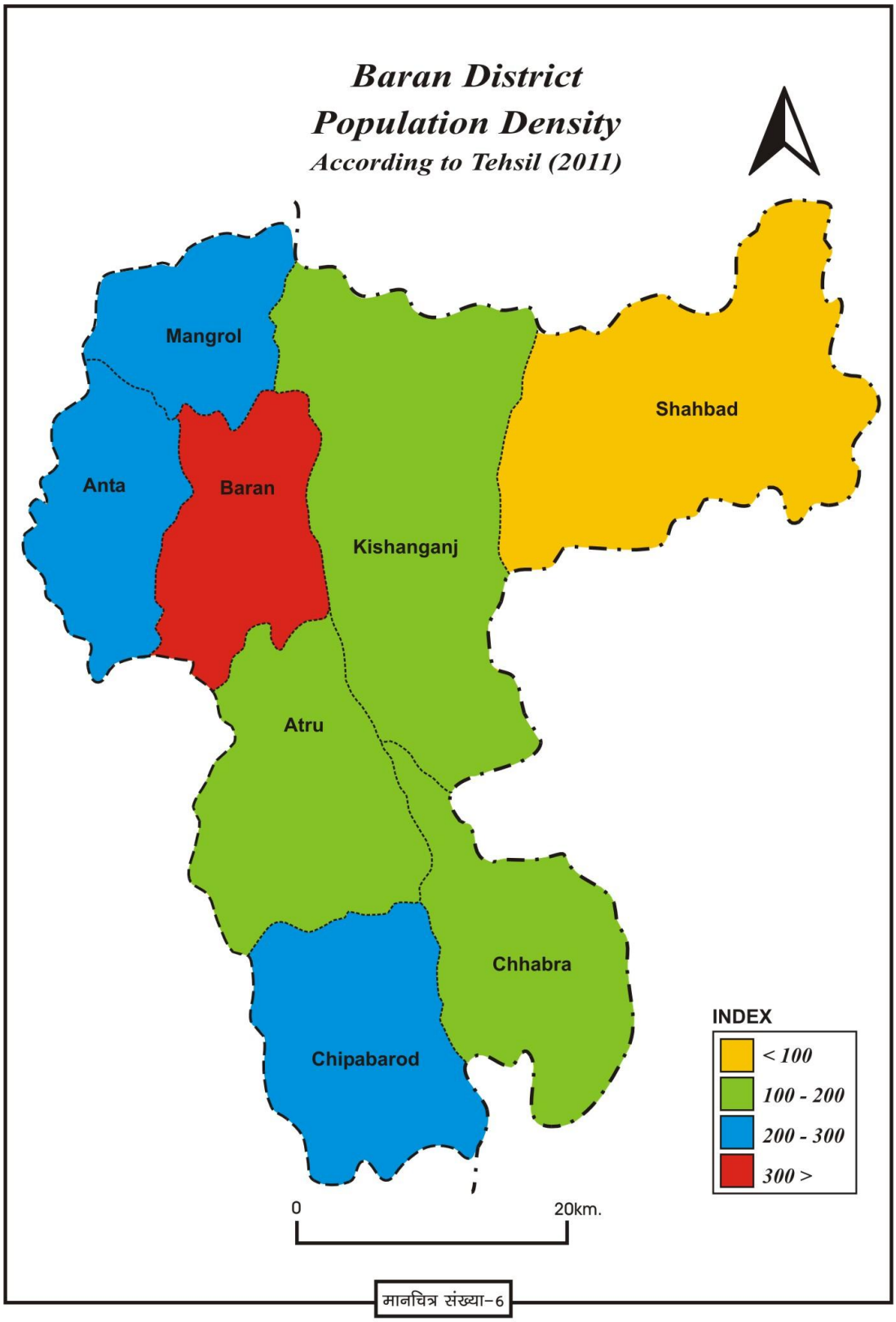
Baran District
Population Density
According to Tehsil (2011)
Mangrol
Anta
Baran
Kishanganj
Shahbad
Atru
Chhabra
Chipabarod
INDEX
< 100
100 - 200
200 - 300
300 >
0
20km.

मानचित्र संख्या–6

आरेख संख्या–2 : महिला–पुरूष जनसंख्या व लिंगानुपात

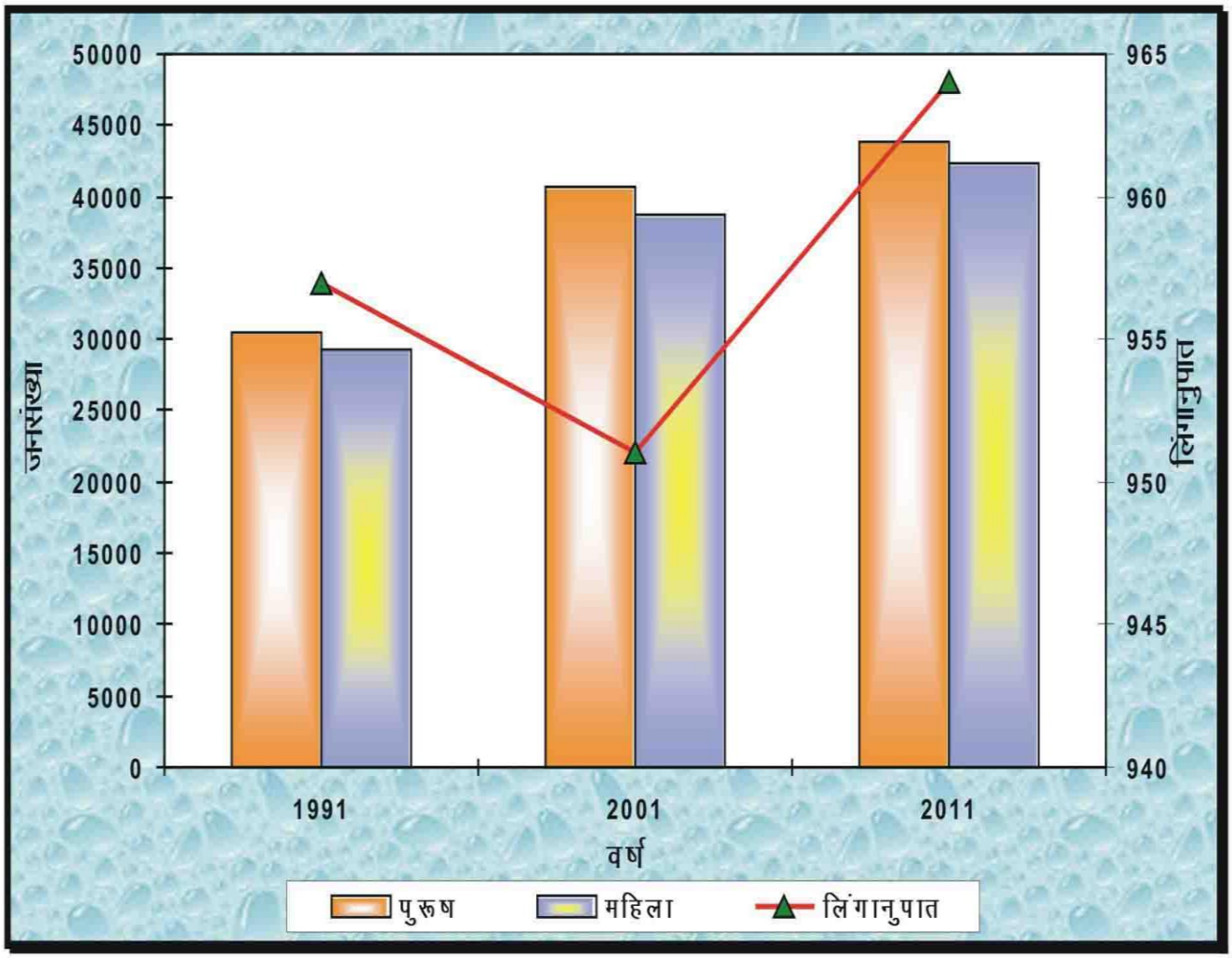

सारणी 2.3 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाराँ जिले की बाराँ तहसील में 338 व्यक्ति, अटरू तहसील में 177 व्यक्ति, किशनगंज तहसील में 117, शाहबाद तहसील में 97, छबड़ा तहसील में 190, छीपाबड़ौद तहसील में 206, मांगरोल तहसील में 233 तथा अंता तहसील में 299 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया गया है।

जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बाराँ, मांगरोल व अंता तहसील में है जो यहाँ कि अनुकूल भौगोलिक दशाओं जैसे—उपजाऊ मृदा, उद्योग एवं शिक्षण स्थल तथा चंबल व पार्वती की नहरों द्वारा सिंचित होने के कारण है।

सहरिया जनजाति की जनसंख्या बाराँ जिले की दो तहसीलों किशनगंज और शाहबाद में संकेन्द्रित है। कुल सहरिया जनसंख्या का लगभग 93.22 प्रतिशत भाग इन दोनों तहसीलों में ही निवास करता हैं। बाराँ जिले की चारों तहसीलों किशनगंज, शाहबाद, अटरू और मांगरोल भी कुल सहरिया जनसंख्या का 48 प्रतिशत भाग पुरूष, 45 प्रतिशत महिलाएँ इन दोनों तहसीलों में निवास करती है।

- **सहरिया जनजाति का लिंगानुपात**

2011 की जनगणना के अनुसार सहरियाओं की कुल जनसंख्या 86187 है जिसमें से 43903 पुरूष एवं 42304 महिलाऐं हैं। इस प्रकार 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 1000 पुरूषों पर महिलाओं की जनसंख्या 964 हैं। अन्य दशकों में लिंगानुपात निम्नानुसार हैं

सारणी – 2.4

महिला–पुरूष जनसंख्या

वर्ष	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला	लिंगानुपात
1991	59810	30555	29255	957
2001	79372	40676	38696	951
2011	86187	43903	42304	964

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

2.8 शिक्षा

सहरिया शिक्षा के प्रति बहुत ही कम जागरूक हैं। वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जबकि सरकार ने उनकी शैक्षणिक उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किये हैं और यह प्रयास वर्तमान में भी जारी हैं। वे बच्चों को स्कूल भेजने की अपेक्षा 13–14 वर्ष का हो जाने क उपरान्त उन्हें कार्य पर ले जाने पर ज्यादा बल देते हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आमदनी ज्यादा नहीं है। इसलिए उनके बच्चों को वे कम उम्र से ही कमाने के लिए भेज देते हैं। इस कारण बच्चों की शिक्षा

छायाचित्र संख्या – 1
राजकीय जनजाति (बालक) आवासीय विद्यालय,
रामगढ़, जिला बाराँ

छायाचित्र संख्या – 2
राजकीय जनजाति (बालक) आवासीय विद्यालय छात्रावास,
राजगढ़, जिला बाराँ

ही नहीं हा पाती। कुछ लोग जो बच्चों को विद्यालय भेजते हैं वह भी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें मजदूरी के लिए भेज देते हैं। इस कारण से विद्यार्थियों को बीच में ही अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ती है। यह एक गम्भीर समस्या है। आर्थिक स्थिति का पिछड़ा होना भी इनके विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ जो एक राज्य स्तरीय संस्था है, ने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ तथा खादी एवं विपेज इंडस्ट्री कमीशन बोम्बे को अपने में मिलाया और जिसने जनजातिय लोगों की जागृति में एक महत्वपूण भूमिका निभाई। सन् 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गाँधी तथा इनके साथ–साथ बहुत से समर्पित कार्यकर्ताओं ने पिछड़े वर्ग की जाग्रति के लिए एक आन्दोलन शुरू किया। ठाकर बाबा इस संस्था के संस्थापक थे। राजस्थान राज्य में सहरियाओं के क्षेत्र में स्वर्गीय माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पाण्ड्या तथा गौरी शंकर उपाध्याय ने उनकी प्रेरणा के साथ अपना सम्पूर्ण जीवन सामाजिक उत्थान (जाग्रति) आन्दोलन में समर्पित कर दिया। इसलिए स्वेच्छा पर आधारित वैज्ञानिक तौर तरीकों तथा अच्छे ढंग से कल्याण सेवाओं को विस्तृत करने के लिए श्री बनवारी लाल गौर अपने समर्पित श्रमिकों की टीम के साथ आगे आये और 14 नवम्बर 1957 को राजस्थान आदिम जाति सेवा संघ नामक संस्था का निर्माण किया। यह राजस्थान समिति अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई (वार्ड़ न. 156, 1558–59)। श्री बनवारी लाल गौर के प्रयासा के कारण इस संस्था ने राजस्थान

के 9 जिलों में इसकी गतिविधियों का प्रसार किया और धीरे–धीरे राज्य स्तरीय जनजाति कल्याण स्वंय सेवक संस्था के रूप में विकसित हुई। जनजातिय लोगों को ऊपर उठाने के लिए इस संस्था ने व्यवसाय तथा शिक्षा सम्बन्धी कई कार्य किये जिनमें मुख्यतया शामिल हैंः जनजातिय छात्रावास, आश्रम वाले विद्यालय, निराश्रय (आश्रय विहिन), बच्चों को कुटिया या झोपड़ियाँ, पालना घर, पोषण से सम्बन्धित सेवायें पुनः निर्वेशन ;पुनः सुविधा प्राप्त करनाद्ध सेवायें, युवा शिक्षा कार्यक्रम आदि।

2.9 आवासीय स्कूल

6 से 11 वर्ष तथा ऊपर तक के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कृषि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यवसाय ज्ञान रेशम के कीड़ों का पालन, पशु पालन, जंगल लगाने की कला तथा ऐसे ही अन्य कार्यों की कला में प्रवीणता लाने के लिए आश्रम विद्यालय बाराँ जिले की शाहबाद तहसील में बहुत ही प्रभावशाली तरीकों से कार्य कर रहे हैं।

सर्वप्रथम सन् 1955 में भील सेवा मण्डल की स्थापना होने के बाद सहरियाओं के लिए एक छात्रावास खोला गया जिसका नाम सरदार पटेल छात्रावास था। जिसमें सबसे पहले 25 विधार्थियों ने प्रवेश लिया परन्तु राजस्थान आदिम जाति सेवक सघं की स्थापना के बाद सहरिया लोगों के उत्थान के लिए स्वर्गीय श्री माणिक्य लाल वर्मा ने एक विशेष कार्यक्रम का निमाण किया। उनके प्रयासों के कारण

छायाचित्र संख्या – 3
नवनिर्मित बालिका छात्रावास, रामगढ़,
जिला बाराँ

छायाचित्र संख्या – 4

छात्रावास में अध्ययरत बालिकाऐं

ही 100 विधार्थियों को सन् 1959 में शाहबाद में प्रवेश दिलाया गया। इन सबके बावजूद सन् 1967 में कस्बाथाना और नाहरगढ़ में इसी जनजाति के लिए नये छात्रावास खोले गये। सन् 1960 में केलवाड़ा के छात्रावासों में लड़कों को लड़कियों के साथ शिक्षित करने के लिये प्रयास किया गया, परन्तु सहरियाओं की अज्ञानता के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा है। परन्तु सहरियाओं के बच्चों के साथ सरकारी विद्यालयों में सौतेला व्यवहार किया गया क्योंकि उनको दास, नीच–जाति तथा अस्पृश्यता वाले समझा जाता था। इसलिए सहरयाओं के लिए पृथक से विद्यालय उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गई और 1960 में शाहबाद में गुजरात के तौर तरीकों को आधार मानकर उनकी शिक्षा प्रारम्भ की गई। केवल 25 विधार्थियों के साथ इस तरीके से राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ के निरीक्षण में शाहबाद में आदिवासी आश्रम विद्यालय केवल 25 विधार्थियों के साथ खोला गया और 90 प्रतिशत अनुदान राजस्थान सरकार से मिला।

राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ जयपुर के तत्वाधान में 15 मई 1953 में सरदार पटेल सहरिया छात्रावास खोला गया।

2.10 निराश्रय बच्चों को आश्रय

अनाथ तथा निराश्रित बच्चो को पुनर्निवेशन तथा उनकी देखभाल को महत्व देने के लिए एक अप्रेल 1975 को शाहबाद में यह खोला गया है। इस कार्यक्रम के लिए

प्रस्तावित बजट 31150/— रूपयें है। जिसके अंतर्गत 1975—76 म केवल 21 छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा इसके बाद वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गयी।

आदिवासी छात्रावास — (कस्बाथाना और नाहरगढ़)

ये छात्रावास सन् 1967 से क्रमशः कस्बाथाना तथा नाहरगढ़ में खोले गये।

बेहतर परिणाम

एक आश्रम विद्यालय शाहबाद में तथा कस्बाथाना, नाहरगढ़ व शाहबाद में छात्रावास खोलकर सहरिया बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन संस्थाओं द्वारा भरसक प्रयत्न किये गये और धीरे—धीरे इन्होंने सहरियाओं के मध्य शिक्षा का प्रसार किया। यह एक गर्व की बात हैं कि बहुत सारे सहरिया विधार्थी जो इन संस्थाओं द्वारा शिक्षित हुए, वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में सम्मानजनक पद पर सेवा कर रहे हैं।

बदन सिंह वर्मा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता

बदनसिंह वर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिलें की 'खेर' तहसील के जबलपुर गाँव के निवासी तथा जाति से जाट थे। उन्होनें अपना जीवन अपने मामा बलवन्त सिंह की प्रेरणा के तहत एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया। जब 15 मई 1955 में स्वर्गीय माणिक्य लाल वर्मा ने भी शाहबाद में सरदार पटेल छात्रावास प्रारम्भ किया परन्तु सहरियाओं की अज्ञानता के कारण यह प्रगति नही

कर सका तो इस छात्रावास को सन् 1957 में राजस्थान आदिम जाति सेवक सघं के निरीक्षण में रखा गया। इसलिए श्री बदन सिंह को 2 अगस्त 1959 को शाहबाद भेजा। शाहबाद में आश्रम विद्यालय 28 मार्च 1960 को खोला गया और शिक्षा विभाग की अनुमति से पाँचवीं तक कक्षाऐं आरम्भ की गई। श्री बदन सिंह ने सहरियाओं के कल्याण के लिए कई गतिविधियाँ प्रारम्भ की और प्रत्येक सम्भव तरीके से शिक्षा में तथा सरकार द्वारा मदद दिलाने में उनकी सहायता की। उनकी स्वंय सेवा द्वारा सहरिया समुदाय ने अच्छी उन्नति प्राप्त की और इसके लिए श्री बदन सिंह जी को सहरिया समुदाय के मध्य एक सम्मानजनक स्थान मिला।

इस प्रकार से निजि संस्थान स्कूल द्वारा शिक्षा के मामले में सहरिया समुदाय अत्यधिक लाभान्वित हुआ। जिसको कि राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ जयपुर द्वारा चलाया गया था। जो एक स्वयं सेवक सामाजिक संस्था है, जिसने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की।

यहाँ तक कि राजस्थान सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए सहरिया बच्चों को मुफ्त भोजन तथा रहने की सुविधायें देने के लिए, सहरियाओं को अलग से शिक्षा देने के लिए छात्रावास विद्यालयों का निर्माण अलग से करवाया गया।

सन् 1961 में सहरिया समुदाय में साक्षरता का स्तर बहुत कम था। इस मामले में पुरूष 2.3 प्रतिशत तथा महिलाओं का प्रतिशत केवल 0.2 ही था।

सन् 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का कुछ प्रतिशत भारत सरकार के प्रयासों के कारण बढ़ा और निजि संस्थाओं के निर्माण से साक्षरता का प्रतिशत 10.27 हो गया। महिलाओं के मामले में प्रतिशत बढ़कर 1.20 प्रतिशत हो गया हैं।

आजकल सहरिया समुदाय शिक्षा के प्रचार–प्रसार से अधिक समझदार हो गया है। यह समुदाय अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजने में भी रूचि ले रहे हैं परन्तु महिलाओं के मामल में यह अभी भी पिछड़े ही हैं। इसलिए ही महिलाओं में शिक्षा का प्रचार–प्रसार नहीं हो रहा है। सामान्य रूप से लड़कियाँ अपनी आजीविका को कमाने के लिए कुछ हस्तशिल्प तथा घरेलू कार्यों में रूचि रखती हैं। परन्तु एक आशा की जाती है कि भविष्य में सहरियाओं की यह प्रवृत्ति जरूर ही बदलेगी। स्कूल में बच्चों को नहीं भेजने का मुख्य कारण केवल गरीबी ही है। गरीबी के कारण ही सहरिया बच्चों को अपनी आजीविका कमाने के लिए आकस्मिक कार्य करना पड़ता है।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार सहरिया समुदाय में पुरूष साक्षरता का प्रतिशत केवल 35.29 ही है। महिलाओं की साक्षरता के मामले में यह लगभग 4.42 प्रतिशत था।

वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा सहरिया क्षेत्रों में 304 प्राथमिक विद्यालय, 93 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 17 सैकण्ड्री स्तर के विद्यालय संचालित हैं, जो कि इस क्षेत्र

में रहने वाली सभी जातियों के लिए उपलब्ध हैं। सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में दो आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। बालिकाओं हेतु किशनगंज में आवासीय विद्यालय का संचालन अगस्त 2007 से प्रारम्भ किया गया है। जिसमें कक्षा 6 एवं 7 की 102 छात्राऐं अध्ययनरत हैं।

19 आश्रम छात्रावासों का संचालन भी सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन 19 छात्रावासों में से 15 छात्रावास बालकों के एवं 4 छात्रावास बालिकाओं के हैं। आश्रम छात्रावासों के माध्यम से 833 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

स्वच्छ परियोजना कार्यक्रम के माध्यम से 130 माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिसे शिक्षा से जोड़ा गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत सहरिया क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्तर के बच्चों को निःशुल्क बिस्कुट वितरण का कार्य किया जा रहा है। परिवहन व्यय की लागत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (सहरिया विकास परियोजना) द्वारा वहन की जा रही है।

सहरिया जनजाति एक पिछड़ी जाती है, साथ ही इनमें शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी शिक्षा का भी अभाव पाया जाता है परन्तु सरकार द्वारा इनकों तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में तकनीकी शिक्षा सभी छात्रों को प्रदान करने हेतु एक आई.टी.आई. विद्यालय केलवाड़ा में खोला गया है। जिससे छात्र लाभान्वित हो रहे

हैं और तकनीकी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में सहरियाओं के लिए कुछ और तकनीकी संस्थान खोले जा रहे हैं।

सहरिया जनजाति पिछड़े हुए छोटे–छोटे गाँव में निवास करती हैं, जहाँ जंगल होता हैं तथा शिक्षण संस्थाओं का अभाव पाया जाता है। इस कारण सहरियाओं के बच्चें अपनी शिक्षा नहीं ले पाते और प्राथमिक स्तर के बाद या उससे पहले ही वह अपनी पढ़ाई छोड़ दते हैं। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है तथा उनकी शिक्षा दिलाने के लिए 19 छात्रावास आश्रम खोले गए है, जहाँ सहरियाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 2007–08 में सरकार द्वारा छात्रावास विद्यालय भवन का निर्माण करवाया गया।

इस प्रकार सहरिया में शिक्षा का विस्तार करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। वर्तमान में सहरियाओं की पुरूष साक्षरता 35.29 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 17.2 प्रतिशत है। जो की संतुष्टि का स्तर नहीं है, इसलिए सरकार इनका साक्षरता स्तर बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

सरकार सहरिया छात्रों को शैक्षणिक उन्नति के लिए उन्हें मुफ्त स्टेशनरी सुविधा, पौशाक वितरण, छात्रावास सुविधा, भोजन व्यवस्था, प्रतिभावना छात्रों को छात्रवृत्ति आदि सुविधाएँ प्रदान कर रही है। यह सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

2.11 चिकित्सा

सहरिया जाति के लोग प्रायः अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बीमारियों जैसे मलेरिया, स्माल पोक्स, हैजा, टी.बी., निमोनिया, टिटनेस, एनिमिया तथा अस्थि रोग आदि से ग्रस्त रहते हैं। नहाने के मामलें में भी कुछ खास नहीं हैं। वे कई–कई दिनों तक नहाते भी नहीं हैं। स्वच्छता पर बिल्कुल भी ध्यान नही देते हैं, बासी रखा हुआ एक दिन पुराना खराब भोजन भी ये लोग करते हैं। जिससे ये कई बीमारियों में जकड़े जाते हैं।

सहरिया जनजाति में नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले शराब का नशा करते थे, अब गुटखा (पाऊच) की नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है।

सरकार द्वारा इनके स्वास्थ्य को सुधारने तथा इन्हें जागरूक बनाने के लिए कार्य किए गए हैं। सहरिया गाँवों में स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जहाँ से सहरियाओं को मुफ्त में दवाइयों का वितरण किया जाता है। सरकार द्वारा टी.बी. को दूर करने के लिए मुफ्त में 6 माह का इलाज किया जा रहा है।

परन्तु यह जनजाति अपने स्वास्थ्य पर खुद ही ध्यान नहीं देती है। जैसे की वे जंगल में लकड़िया काटते हैं। तब कभी–कभी उनको उनकी कुल्हाड़ी से चोट लग जाती हैं, जो टिटनस बीमारी का कारण बन जाती है। इसी प्रकार खाँसी होने पर भी वह लापरवाही करते हैं और यह बीमारी बढ़ते हुए टी.बी. जैसी घातक बीमारी में बदल जाती है।

सहरिया अंधविश्वासी होते हैं। सबसे पहले वे जड़ी–बूटियों को काम में लेते हैं और यदि आराम नहीं मिले तो वे बुरी आत्मा या प्रेतात्मा का प्रभाव मानते हैं। ताबीज, टोना करवाते हैं। यदि जादूगर (जादू–टोना करने वाला) भी कोई आराम देने में असफल हो जाता हैं तब कहीं जाकर वे चिकित्सालय जाकर चिकित्सक से सलाह लेते हैं।

अध्याय–तृतीय

मानवीय आवासों का प्रारूप

3.1 आवासों का प्रकार

3.2 आवासों की बनावट

अध्याय–तृतीय

मानवीय आवासों का प्रारूप

सहरिया जाति गाँव के बाहर एक अलग ही स्थान पर निवास करती है जिसे 'सहराना' कहते हैं। यह सहरियाओं के घरों का एक झुण्ड होता है जिसे पंचायत बंगला के नाम से भी जाना जाता है। सहराना में अन्य जाति का कोई भी नहीं रहता है। इस स्थान में छोटे–छोटे मकान सामान्य रूप में गोलाकर आकृति में व्यवस्थित होते हैं जिनमें पशुओं के आश्रय स्थल भी होते ह। मकानों की छतें या तो पत्थरों के अनियमित टुकड़ों से या घास–फूंस से बनी होती हैं। नीचे के फर्श पर गाय के गोबर की परत चढ़ा दी जाती है। केवल एक या मुश्किल से ही दो कमरे होते हैं। कमरे में कोई भी खिड़की नहीं होती है, परन्तु एक दरवाजा होता है, जो सँकरा तथा ऊँचाई में कम होता है। इन कमरों में अन्दर प्रवेश करने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। ये मकान सामान्य रूप से आयताकार होते हैं। मकान में खिड़की नहीं होने से दिन की रोशनी में भी अन्दर बिल्कुल अंधेरा होता है। झोंपड़ी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान 'चूल्हा' होता है। ये चूल्हें सुसज्जित तथा इनके ऊपर परत चढ़ी होती है। मकान में अनाज रखने की एक मिट्टी की कोठी बनाई जाती है। जिसे अच्छी तरह से सजाया जाता है। मकान की दीवारें पत्थर की होती है। जिनके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता है। किसी भी मसालें का उपयोग नहीं किया जाता है।

फर्श को पीट–पीट कर बहुत कठोर कर दिया जाता है। इसे नियमित रूप से मिट्टी के मसालों से ढ़का जाता

है। मकान झण्ड में इस प्रकार बने होते हैं कि सभी की दीवारें एक दूसरे के मकान से जुड़ी रहती है। मकानों के बीच का मैदान साधारण तथा आयताकार होता है। अधिकांशतः मकानों में एक कमरे के साथ छोटा आँगन होता है। सहरियाओं के मकान बिल्कुल साधारण होते हैं और इनकी झोपड़ी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। वे अपने मकानों का निर्माण समतल धरातल पर करते हैं। इनके मकानों के बीच में जगह नहीं होती है। घर का पानी निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था भी नहीं होती है। इस कारण घर का सारा पानी वहीं पर फैलता है। इससे उनके मकान के चारों ओर कीचड़ हो जाता है, जिससे उनके घर का वातावरण हमेशा दूषित रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वह बीमार हो जाते हैं।

परन्तु वर्तमान में सरकार ने अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा सहरियाओं को एक रसोइ के साथ एक कमरा पक्का बना कर दिया जा रहा है। जिसमें एक खिड़की भी है। इससे इनकों स्वच्छ वातावरण प्राप्त होगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी।

3.1 आवासों का प्रकार

मानव अपने परिवार के साथ विभिन्न प्रकार के आवास बनाकर निवास करते हैं। आवास मुख्य रूप से संस्कृति एवं सभ्यता से प्रभावित रहते हैं। ग्रामीण आवास में बस्तियों का आकार तीन प्रकार का हो सकता हैः

विलग बस्तियाँ : इसके अंतर्गत दूरवर्ती खेतों में स्थित एक–दो आवास गृह शामिल हैं। यहाँ कोई भी व्यापारिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न नहीं होती। इस प्रकार की बस्तियों के अन्तर्गत बैराई, खैडी, बिची, उनी, ननोट, अटारी आदि बस्तियों को सम्मिलित किया जाता है।

हैलमेट या पल्ली ग्राम : इनमें दो–तीन से लेकर दस आवास गृह तक हो सकते हैं। मुख्य रूप से संकुचित आवास प्रारूप को इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार के गाँवों के अन्तर्गत टोडियों, खेण्डेला, तेजाजी का डाण्डा, पीजणा आदि गाँवों को सम्मिलित किया जाता हैं।

ग्राम : इसके अन्तर्गत 20 से अधिक घरों के समूहों को सम्मिलित किया जाता हैं जिसमें अधिकतम घरों की संख्या 250 तक हो सकती है। इस प्रकार क गाँवों के अन्तर्गत ब्रह्मपुरा, खुशघरा, कुशालपुरा, ब्रह्माणी, बासखेडा, कस्बाथाना आदि गाँवों को सम्मिलित किया जाता है। अनेक आवास गृह खेत, सड़क तंत्र, धार्मिक स्थल तथा व्यापारिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्थित होते हैं।

इस प्रकार आवास की स्थिति के आधार पर सहरिया अधिवास को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता हैः

1. रेखिक प्रारूप – मुख्य मार्ग एवं अन्य छोटे मार्गो के सहारे विकसित सहरिया अधिवासों को इस श्रेणी में रखा जाता हैं।

छायाचित्र संख्या – 5

सहरिया जनजाति के चद्दर से निर्मित मकान, जिला बाराँ

छायाचित्र संख्या – 6

सहरिया जनजाति का घास एवं लकड़ी से निर्मित आवास, जिला बार

2. आयताकार प्रारूप – इस प्रकार के आवास मुख्य रूप से एक दूसरे से समकोण पर मिलने वाले रास्तों पर विकसित होते हैं। गाँवों में मुख्य रूप से इस प्रकार के अधिवास बहुत सामान्य प्रकार के होते हैं, जो आयताकार क्षेत्र के चारों ओर विकसित होते हैं। ग्रामीण रास्ते भी आयताकार क्षेत्र प्रतिरूप का अनुसरण करते हुये उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम दिशा में निकलते हैं।

3. खोखले आयताकार – इस प्रकार के अधिवास में जब आयताकार आवास प्रारूप के बीच तालाब, पुराना किला, खेत, मैदान, टीला आदि स्थित होने की दशा में इस प्रकार के अधिवास को खोखले अधिवास की श्रेणी में रखा जाता है। शाहबाद में किले के पास एवं सीताबाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के आवास प्रारूप देखे जा सकते हैं। इस प्रकार के आवास में बीच का रिक्त स्थान मुख्य रूप से ग्राम पंचायत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारोह, बैठकों आदि में काम लिए जाते हैं।

4. गोलीय प्रारूप – इस प्रकार का अधिवास प्रारूप मुख्य रूप से शाहबाद घाटी क्षेत्र में देखे जा सकते है जो चारों ओर से घिरी होने के कारण आवास मुख्य रूप से बीच के निम्न स्थान पर मिलते हैं।

5. हैंरिंग बोन प्रारूप – मुख्य मार्ग N.H.-27 के सहारे स्थित किसी अन्य संलग्न मार्ग के सहारे विकसित अधिवास को इस श्रेणी में रखा जाता है। जिसमें मुख्य सड़क से उप सड़क एवं निश्चित कोण बनाती हुई मिलती

है। इस प्रकार के अधिवास मुख्य रूप से कई उप सड़कों के सहारे देखे जा सकते हैं।

6. अरीय प्रतिरूप – इसके अन्तर्गत ग्रामों के कई रास्ते एक केन्द्र पर आकर मिलते हैं, जिसमें गाँव के सभी रास्ते गाँव की चौपाल, मंदिर, स्कूल, तालाब, खाली स्थान आदि पर आकर मिलते हैं। इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता हैं।

7. अश्व–पादाकार प्रतिरूप – शाहबाद की पहाड़ियों एवं रामगढ़ की पहाड़ी की तलहटी पर स्थित अधिवासों को इस श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें पहाड़ी के तली में आवासों का जमाव देखने को मिलता है।

8. अनियत या प्रकीर्णन प्रारूप – इसके अन्तर्गत बिसरे हुए आवासों को रखा जाता है, जिसमें आवास कई प्रकार से फैले रहते हैं। आवास का स्वरूप अनियंत्रित होता है। इस प्रकार के आवास मुख्य रूप से कम जनसंख्या वाले गाँवों में फैली हुई बस्तियों के रूप में देखे जा सकते हैं।

3.2 आवासों की बनावट

सहरिया आवास मुख्य रूप से मिट्टी एवं पत्थर के बने होते हैं। सहरिया घरों के समूह को ''सहराना'' कहते हैं, जिसमें सहरिया घरों की बनावट में सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता के आधार पर आवास की बनावट में अन्तर देखने को मिलता है। आवास की बनावट के आधार पर आवासों का निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता हैः

छायाचित्र संख्या – 7

सहरिया मिट्टी व लकड़ी का मकान, जिला बाराँ

छायाचित्र संख्या – 8

सहरिया जनजाति का आवास स्थल, जिला बाराँ

1. सरकार द्वारा आवास निर्माण सहायता से बने आवास

2. मिट्टी एवं पत्थर के बने आवास

3. मिट्टी, लकड़ी एवं तेन्दू पत्तों से बने आवास

4. झोपड़ीनुमा आवास

1. सरकार द्वारा आवास निर्माण सहायता से निर्मित आवास – इस प्रकार के आवास के अन्तर्गत जहाँ पर केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहायता से आवास निर्माण किये गये आवासों को सम्मिलित किया जाता हैं, जिनकी बनावट आधुनिक युगीन है। सरकार द्वारा कई प्रकार की सहायता से सहरियाओं को पक्के मकान बनाये गये। इसमें वर्तमान में निम्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी सहायता से सहरिया आवास बनाये गयेः

a. सहरिया आवास निर्माण – वित्तीय वर्ष 2008–09 में 583 आवास स्वीकृत किये गये। जिसमें कार्यकारी एजेन्सी ने 509.40 लाख रू. सहायता स्वरूप दिये गये। जिसमें सभी आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में 503 आवास स्वीकृत हुए, जिसमें कार्यकरी एजेन्सी के 439.40 लाख रू. की राशि से कार्य प्रारम्भ किया, जिसमें 503 आवासों का निर्माण किया गया।

b. सहरिया आवासों में रसोई घर एवं पक्का फर्श निर्माण – वित्तीय वर्ष 2012–13 में 334.59 लाख रू. की स्वीकृत राशि के कार्य प्रारम्भ

छायाचित्र संख्या – 9

बालिका छात्रावास में विश्राम गृह की स्थिति

किया गया, जिसमें उक्त आवासों में रसोई घर एवं पक्का फर्श निर्माण किया गया, जिसमें 2009–10 में स्वीकृत आवास 503 में से 146 आवासों का कार्य पूर्ण किया गया। 167 आवासों का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में हैं एवं 213 आवासों का निर्माण शेष है। 2008 में स्वीकृत आवास 583 में से 331 आवासों का फर्श निर्माण पूर्ण हुआ एवं 105 आवासों का कार्य अभी तक नहीं हो पाया ह।

सारणी – 3.1

आवास निर्माण सहायता

वित्तीय वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	लाभार्थी आवास निर्माण स्वीकृति
2008–09	सहरिया आवास निर्माण	509.40	500.00	583 आवास
2009–10	सहरिया आवास निर्माण	439.40	283.30	503 में से 327 आवास कार्य पूर्ण
2010–11	----	----	----	------
2011–12	आवास निर्माण	1190.76	1421.15	1364 मय रसोई
2012–13	सहरिया आवासों में रसोई एवं फर्श	334.59	15.44 + 128.4	
2013–14	आवास निर्माण	660	660	कार्य प्रगति पर

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

वित्तीय वर्ष 2010–11 में कोई काम नहीं हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः 1190.76 लाख, 334.59 लाख एवं 660 लाख रूपये स्वीकृत हुए जिसमें 1364 आवास रसोई घर सहित बनाये गये। इस प्रकार सहरिया आवास सरकारी सहायता के कारण आधुनिक निर्माण के आधार पर निर्मित भी देखे जा सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सहरियाओं को प्राप्त मद निम्न प्रकार हैं–

सारणी – 3.2

सहरियाओं को प्राप्त मद (12वीं पंचवषीय योजना)

योजना का नाम	वर्ष					योग
	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	राशि लाखों में
सहरिया आवास निर्माण	1500.50	1650.00	1996.50	219.50	2415.77	9758.42
सहरिया बंगला निर्माण	480.00	528.00	580.80	638.88	702.77	2930.45

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के भी सहरिया आवास के लिए बजट प्रस्तावित हैं, जिससे सहरिया आवास की बनावट लगभग आधुनिक परिवेश के अनुसार रूपान्तरित हो जाएगी।

2. मिट्टी एवं पत्थर से बने सहरिया आवास – सरकार द्वारा संचालित योजनाए क्रियान्वित हैं, परन्तु कई गाँवों में सहरिया आवास अभी तक भी मिट्टी एवं पत्थर के देखे जा सकते हैं। इन घरों में मिट्टी

पत्थर से एक घर बना होता है, जिसके एक परिवार एवं उसकी संन्तान निवास करती है। शादी के बाद सन्तान अलग से अपना घर बनाकर रहने लग जाते हैं। ऐसी परम्परा सहरिया परिवारों में देखने को मिलती है।

सहरिया परिवार का यह मकान चौकोर आयताकार स्वरूप में होता है, जिसकी दीवारों को मिट्टी एवं गोबर में लेप दिया जाता हैं। नीचे भी मिट्टी एवं गोबर के लेप का प्रयोग किया जाता है। घर के बाहर चूल्हा बना होता है। चूल्हे के ऊपर लकड़ी एवं पत्तों की टप्पर होती है, जो चूल्हें को छाँव में रखने में सहायक है।

3. मिट्टी, लकड़ी एवं तेन्दु पत्तों से बने आवास– सहरिया परिवार की कई जगहों पर दयनीय स्थिति देखने को मिलती है। जहाँ पर पत्थर नहीं जटा पाते हैं, वहाँ पर यह लोग पत्थर की जगह लकड़ी को काम में लेते हैं और लकड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप कर देते हैं। इनकी छत पर ये लोग तेन्दु के पत्ते डाल देते हैं। इस प्रकार लकड़ी, तेन्दु पत्ते एवं मिट्टी की सहायता से ये आवास बनाते हैं।

4. झोपड़ीनुमा आवास – कई जगहों पर ऐसा देखा गया हैं कि सहरिया आवास लकड़ी एवं झोपड़ियों के बने होते हैं जिनमें पोलिथीन से ढकाव किया जाता हैं। इनकी बनावट कई प्रकार की देखी जा सकती हैं। इनकी झोपडियाँ मुख्य रूप से उल्टे "∩" के आकार की होती हैं।

इस प्रकार सहरिया आवास प्रारूप में भी अनेक प्रकार की विभिन्नाताऐं देखी जा सकती हैं। कई आवास संकुचित हैं तो कई बिखरे आवास देखने को मिलते हैं। कई स्थानों पर भौतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं संसाधनों से आवास प्रारूप प्रभावित होता हैं, साथ ही आवास प्रारूप के साथ–साथ आवास की बनावट में भी अन्तर देखने को मिलता हैं। कई आवास उल्टे "∩" के हैं तो कई ष्त्ष् आकार के हैं तथा कई आवास आयताकार स्वरूप में बने हुए है। कई पक्के आवास हैं तो कई कच्चे, लकड़ी, झोपड़ीनुमा आवास हैं। इस प्रकार आवास की स्थिति एवं बनावट के आधार पर कई प्रकार की भिन्नाता देखने को मिलती हैं।

अध्याय–चतुर्थ

सहरिया जनजाति के

जीवन की गुणवत्ता

4.1 जीवन शैली

4.2 व्यवसाय

अध्याय–चतुर्थ

सहरिया जनजाति के जीवन की गुणवत्ता

सहरिया जनजाति की जीवन शैली साधारण होती है। यह लोग मुख्य रूप ये आखेटक की श्रेणी में रखे जाते हैं। आखेट के द्वारा ही ये लोग जीविकोपार्जन करते हैं। आजीविका निर्वहन का मुख्य साधन मजदूरी, श्रम एवं आखेट ही है। इनकी जीवन शैली का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः

4.1 जीवन शैली

I. निवास क्षेत्र

सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ये लोग राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी जिले बाराँ में अधिक संख्या में पाये जाते हैं। मध्यप्रदेश के गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर इत्यादि जिलों के गाँवों में सहरिया जनजाति के लोगों का घना बसेरा है। बाराँ जिले में किशनगंज एवं शाहबाद इन दो तहसीलों में ही सहरियाओं का प्रमुख रूप से बसेरा है। यह क्षेत्र 150 किलोमीटर लम्बा है, जिसका अधिकांश भाग पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ के जंगल कभी सहरियों के आजीविका के मुख्य स्त्रोत हुआ करते थे जो कमोबेस आज भी हैं।

राजस्थान के हाड़ौती अंचल के बाराँ जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील राजस्थान में सहरियाओं का प्रमुख क्षेत्र हैं। किशनगंज पंचायत समिति में सहरिया क्षेत्र 1 हजार 429 वर्ग किलोमीटर है। 203 गाँवों में सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बाराँ के अलावा

बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ आदि जिलों में भी कुछ सहरिया निवास करते हैं।

II. शारीरिक आकृति गठन एवं रंग

सहरिया जनजाति के लोगों की शारीरिक आकृति एक जैसी होती है। स्त्री हो या पुरूष, युवक हो या युवती शारीरिक दृष्टिकोण से यह मोटे न होकर दुबले एवं पतले शरीर वाले होते हैं। सहरिया मध्यम कद, काठी, चौड़ी छाती, गेंहुआ से लेकर सांवला रंग, बाल सीधे व घने, दाढ़ी–मूछ के बाल कम, चपटी नाक, उभरे ओष्ठ व छोटे माथे वाले होते हैं। स्त्रियाँ भी सामान्य कद–काठी की होती हैं। इनका रंग काला, नाक चपटी, घुंघराले बाल, और होठ मोटे होते हैं। सहरिया युवक भी गठीला, आकर्षक नहीं दिखते। युवतियाँ बाल्यावस्था के तुरन्त पश्चात युवा देहरी पर कदम रखते ही आकर्षक एवं गठीले बदन की दिखती हैं। कम उम्र में विवाह एवं बार–बार गर्भधारण करने के फलस्वरूप अधिकांश सहरिया स्त्रियाँ उम्र में अधिक दिखाई पड़ती हैं तथा मातृत्व–बोझ के कारण सारा आकर्षण खो देती हैं। यहाँ तक कि 20–25 उम्र की युवतिया भी आकर्षक नहीं दिखती। शरीर की स्वच्छता एवं चुस्तता पर ध्यान न पुरूष देते हैं, न महिलाऐं। शराब की लत ने सहरियाओं के शरीर पर जबर्दस्त प्रभाव डाला है।

III. सहरिया आवास

सहरिया जनजाति के लोगों के घर गारे–मिट्टी से निर्मित होते हैं। इनकी झोपड़ियों की छत ज्वार के फड़ले,

घास–फूंस, छप्पर खपरैलो (कोल्हू) इत्यादि से छाये जाते हैं एवं रंगीन प्लास्टिक की तरह से ढके होते हैं। इनके घरों की लम्बाई प्रायः 20–25 फीट, चौडाई 12–16 फीट तथा ऊँचाई 5–6 फीट तक होती है। घरों के दरवाजे एवं दीवारें इतनी कम ऊँची होती है कि इसमें बिना झुके प्रवेश संभव नहीं। दीवारों तथा लकड़ी के दरवाजों की ऊँचाई महज 3 से 4 फीट तक होती है। सहरियाओं के घरों के फर्श मिट्टी की बनी होती है, जिसे सहरिया स्त्रियाँ लीप–पोत कर साफ–सुथरा बनाये रखती हैं।

सहरियाओं की झोपड़ी के बाहर टापरी भी मिलती हैं, जिसमें ये छाने या कंडे रखते हैं। जिन सहरिया परिवारों के पास जानवर होते हैं, उनकी जगह बाड़ा में ही होती है। इनकी झोपड़ियों के चारों ओर बबूल या बेर के काँटेदार झाड़ियों की बाड़ या पत्थर के कातलों की बाउंड्री होती है। ये घरेलू कार्य जैसे–स्नान करना, बर्तन धोना, खटिया वगैरह रखकर आराम करना, सब्जी उगाना आदि के कार्य करते हैं। इनकी झोपड़ियों में स्नानागार एवं शौचालय नहीं होता। खिड़की एवं रोशनदान भी प्रायः नहीं होते। ये खुले में हैंडपंप पर या दालान में स्नान करते हैं। बाहर खुले स्थान पर ही ये शौच के लिए जाते हैं।

सहरियाआ की झोपड़ी में मात्र एक कमरा ही होता है। सहरियाओं के घरों में चूल्हें, कुछ स्टील के बर्तन, शीशे में बनी लैंप, खटिया, रस्सी की अलगनी में कुछ कपड़े, कुल्हाड़ी इत्यादि सामान होते हैं। सीढ़ी एवं चौखट पर मन–मोहक चित्रकारी की हुई होती है। अधिकतर सहरियाआ

छायाचित्र संख्या – 10

सहरिया एकल आवास, जिला बाराँ

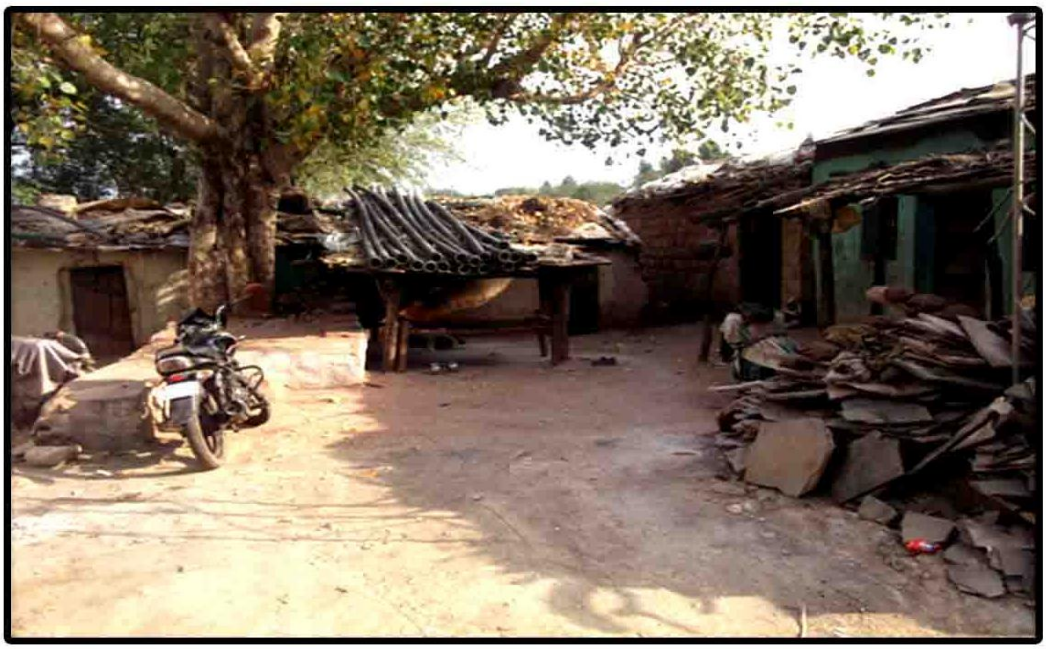

छायाचित्र संख्या – 11

सहरिया हैलमेट बस्ती प्रारूप

के घरों में विद्युत–व्यवस्था नहीं होती। पेयजल हेतु हैंडपंप, कहीं–कहीं नल द्वारा जल की आपूर्ति इनके घरों में होती है, घर बाहर दरवाजे के निकट बनी मिट्टी के चबूतरों पर पानी के मटके रखे होते हैं। सहरियाओं की बस्ती में कुएं नहीं मिलते।

सहरियाओं के यहाँ तीन प्रकार के चूल्हें देखने को मिलते हैं– 1. घर के भीतर मिट्टी से बना चूल्हा, 2. घर के बाहर मिट्टी से बना चूल्हा, 3. स्टैंड में बना चूल्हा। घर के भीतर के चूल्हे की विशेष अवसरों पर लीपा–पोती, रंग–रोगन आदि के द्वारा सुसज्जित कर आकर्षक रूप दिया जाता है।

IV. भोजन, खान–पान एवं पोषण

सहरिया जनजाति सभ्यता के प्रारंभ से वनवासी थे। यहाँ उगने वाले कंदमूल, फल, एवं हरी सब्जियाँ खाने का सहरियाओं का प्रिय शौक है। वे कुत्ते–बिल्ली के अतिरिक्त सब चीजें खाते हैं। इस प्रकार आरंभ में सहरियाओं का जीवन प्रकृति पर आश्रित था। बहुत कम सहरिया परिवार प्रतिदिन दो बार भोजन जुटा पाते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, चावल सहरियाओं का मुख्य भोजन है। यह मौसम के अनुसार सब्जियों का प्रयोग करते हैं। सहरिया विशेष अवसरों पर ज्वार की रोटी–कढ़ी, बेसन बाटी, लड्डूबाटी, पूआ–पकौड़ी, सारा–पूड़ी, हलवा, भांग की पकौड़ी बड़े चाव से खाते हैं। पर्व–त्यौहार पर मांस–मछली विशेष भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। सहरिया अलसी का तेल

प्रयुक्त करते हैं, घी का प्रयोग प्रायः नहीं करते। सहरिया मद्यपान के शौकीन होते हैं। सहरिया भूखे भले ही रह जायें परन्तु शराब उन्हें अवश्य चाहिये। स्त्री–पुरूष दोनों मद्यपान के आदि होते हैं। तेंदू पत्ता में तंबाकू भरकर चुंगी बनाकर पीना, बीड़ी पीना, सुल्फा, हुक्का, सल्फी पीने के भी सहरिया शौक रखते हैं। नयी पीढ़ी के सहरिया युवकों में विमल, माणकचंद, अम्बर गुटखा के प्रति क्रेज भी देखा जाता है।

जंगल में मिलने वाले खाद्य फल बेर, बिला, आम, जामुन, आचार, तेंदू फल, खजूर और कंदमूल शरीर के खनिज आदि तत्वों की पूर्ति करते हैं। इनके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन 200 ग्राम चावल सरकार द्वारा इन्हें मुहैया करवायी जाती है।

इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि आईसीएमआर द्वारा निर्धारित पोषक मात्रा की तुलना में सहरियाओं को पोषण के आवश्यक तत्व यथा–कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन इत्यादि नहीं मिल पाते, जिनके कारण वे कुपोषण के शिकार है। इनके पीछे उनकी आर्थिक निर्धनता है।

v. वस्त्राभूषण

सहरिया जनजाति की आरंभ में अर्धनग्न अवस्था में रहते थे। पुरूष एक छोटा–सा अधोवस्त्र ही पहनते थे। छोटे बालक–बालिकाऐं बिल्कुल नंगे रहते थे। पुरूष केवल घुटनों तक फटी–पुरानी धोती, जिसे पंजा कहा जाता है पहनते हैं, महिलाऐं घाघरा, लूगड़ी व अंगिया पहनती हैं।

सहरिया जनजाति का पहनावा बिल्कुल साधारण होता हैं। सहरिया जाति के लोग चाहे स्त्री हो या पुरूष, बच्चे हो या युवक अथवा युवती अपने पहनावे से अलग से पहचाने जाते थे किन्तु आज ऐसी बात नहीं ह। आज सहरिया जाति के लोग जिनमें 10 वर्ष से ऊपर की सहरिया लड़किया रंगीन सलवार सूट पहनती हैं। उनके सलवार सूट का रंग तड़क–भड़क के लिए प्रायः लाल, गुलाबी, पीले रंग का ही होता है। सहरिया समाज की कुछ लड़किया जींस–टॉपर भी पहनती हैं। लड़कों का पहनावा फुल पैट व शर्ट होता है। कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ सहरिया युवक जींस, टी–शर्ट, बेल्ट व जूता पहनते हैं। इनके हाथों में कड़ा भी देखने को मिलता है। पहले सहरिया नंगे पाव रहा करते थे किन्तु अब वे जूता, चप्पल इत्यादि भी पहनने लगे हैं। बालों की कटिंग, शेविंग पर भो ध्यान देने लगे हैं। इस प्रकार सहरिया जनजाति के लोगों का पहनावा अति साधारण और आडंबरहीन है।

सहरिया जनजाति के लोग आभूषण पहनने का शौक भी रखते हैं। आभूषण पहनने की परिपाटी स्त्री–पुरूष दोनों में आरंभ से दिखाई देती है। सहरिया पुरूष पहले कानों में बाली या चांदी की मुरकी, गले में ताबिज या काले धागे की कंठी या पीतल की जंजीर पहनते थे। अब यह पहनावा धीरे–धीरे लुप्त हो रहा हैं। आज सहरिया पुरूष गले में माला, हाथों में कड़ा, अंगुलियों में अंगूठी तथा स्त्रियाँ नाक में नथन, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ी या बाला, अंगुली में अंगूठी, पैरों में पायल एवं पैरों की

छायाचित्र संख्या – 12

सहरिया लकड़ी पत्तों का मकान, जिला बाराँ

छायाचित्र संख्या – 13

मिट्टी से बना सहरिया मकान, जिला बाराँ

अंगुलियों में बिछिया आदि पहनती हैं। विधवा सहरिया बिछिया नहीं पहनती हैं। अन्य सभी आभूषण पहनने के लिए वह स्वतंत्र हैं। गरीबी एवं अर्थाभाव के कारण सहरियाओं, विशेषकर स्त्रियों के आभूषण सोने, चांदी की जगह पीतल, रांगा, एल्युमिनियम या गिल्ट के ही बने होते हैं।

सहरियाओं का एक मुख्य आभूषण गोदना है। सहरिया जाति की स्त्रियाँ 'गोदना गुदवाने' की बड़ी चाव रखती हैं। लेकिन पुरूष वर्ग में सहरिया समाज में गोदना का निषेध है। सहरिया समाज में यह मान्यता हैं कि यदि कोई पुरूष गोदना गुदवाता है तो उसे अगला जन्म महिला में मिलेगा। फिर भी पुरूष गोदना गुदवाते हैं।

स्त्रियाँ गुदना में अधिकांशतः अपना नाम, फूल वाला गमला एवं दिल की आकृति गुदवाती हैं जबकि सहरिया पुरूष नरसिंहा, बाज, बिच्छू, ओम, साँप व अपना नाम गुदवाते हैं। गोदना सहरिया महिलाओं तथा पुरूषों में अनेक शौक के साथ–साथ उनके सौन्दर्य में चार चाँद लगाने का एक प्रमुख साधन है।

VI. स्वभाव, व्यवहार, आदतें

सहरिया जनजाति के लोगों के स्वभाव की एक प्रमुख विशिष्टता उनकी सरलता, सज्जनता एवं भोलापन है। सरलता, भोलापन, निश्छलता, सहज विश्वासी स्वभाव होने के कारण सहरिया बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता इत्यादि के शिकार हैं। राजस्थान के इस क्षेत्र के लोग काफी मिलनसार व नम्र स्वभाव के होते हैं। चाहे वह वृद्ध हो, युवा हो,

या स्त्री हो, यह सबके–सब बाहर से आये लोगों से मिलने, अपने समाज के बारे में अधिक से अधिक बताने से परहेज नही करते। सहरिया जाति के लोग अपने सहराने में परस्पर मेल–मिलाप एवं प्रेम–सौहार्द के साथ रहत हैं।

सहरिया जाति के लोग 'अतिथि देवों भव' की भावना में विश्वास रखते हैं। इनकी बस्ती, इनके सहराने, इनके चौपाल पर जाने से ये अतिथियों का जोरदार स्वागत करते हैं। राम! राम! कहकर संबोधित करते हुये बड़े हर्ष एवं उत्साह के साथ खटिया पर बैठने के लिए कहेगें एवं टाट उपलब्ध करायेंगे एवं जल के लिए अवश्य निवेदन करेंगे।

सहरिया जाति के लोग भगवान की आस्था में अटूट विश्वास रखते हैं। मुख्य रूप से वाल्मीकि पूजक सहरिया हिन्दू देवी देवता यथा हनुमान, राम, शिव, दूर्गा माता, कैला देवी के प्रति गहरी आस्था रखते हैं।

सहरिया जनजाति के लोगों में पुरूष आलसी एवं महिलाऐं मेहनती होती हैं। इनमें यह कहावत हैं कि– लुगाई कमाती है, पति बैठकर खाता है। सहरिया पुरूष आलसी हैं परन्तु स्वभाव से मनमौजी एवं खुशमिजाज प्रकृति के होते हैं। स्त्रियाँ शांत स्वभाव की होती हैं। घर के अन्दर खाली बैठना उन्हें गवारा नहीं। घरेलू कामों को निबटाकर ये बाहरी कामों एवं मजदूरी आदि में लग जाती हैं।

सहरियाओं का वर्ण काला है परन्तु ह्रदय से यह सच्चे, वफादार एवं कृतज्ञ होते हैं। इनके एक कहावत बन गई हैं कि – एक बार सहरिया को भोजन करा दो, तो आजीवन

वह आपका अहसान मानेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि सहरिया जिनका नमक खाते हैं, उसका अहसान कभी नहीं भूलते।

सहरिया आदिवासियों की आदतों में 'मद्यपान' प्रमुख है। सहरियाओं में शराब पीने की लत जबर्दस्त है। बाराँ जिला के सहरिया आदिवासी करोड़ो रूपयों की शराब पी जाते हैं। खुद आबकारी विभाग इस बात से हैरत में है कि कहने को तो इनके पास खाने की रोटी तक नहीं मिल पाती लेकिन शराब पीने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार को जिले की कुल आबकारी राजस्व का 25 प्रतिशत इन्हीं सहरिया इलाकों से प्राप्त होता है।

आम तौर पर सहरिया जनजाति के लोग बेहद सरल, भोले, नम्र स्वभाव एवं हर संभव अपने विषय में अधिकाधिक जानकारी देने में विश्वास रखने वाले हैं किन्तु नई पीढ़ी के सहरिया बालकों, युवाओं के स्वभाव में काफी परिवर्तन आया है। सहरियाओं की सरलता, सज्जनता एवं स्वाभिमानी प्रवृत्ति नई पीढ़ी के लोगों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है।

VII. लोक संस्कृति–उत्सव, परम्पराऐं

सहरिया लोक–संस्कृति के विविधि रंगों की छटाओं को निम्नांकित शीर्षकों में इस प्रकार देखा जा सकता हैः

a. सहरियाओं के लोक विश्वास, लोक परम्पराऐं एवं लोकमान्यताएँ– सहरिया समाज एवं लोक संस्कृति में अनेक ऐसे लोक–विश्वास, लोक–परम्पराएँ एवं लोक–मान्यताऐं हैं, जिन्हें सहरियाओं ने पूर्वजों से प्राप्त किये हैं। जादू–टोना,

तंत्र–मंत्र, भूत–प्रेत, झाड़–फूँक, जिन्ना–पलीत, आत्मा–परमात्मा आदि में सहरियाओं का अटूट विश्वास हैं। इसी अंधविश्वास के कारण सहरिया समुदाय में भूत, डाकिन, प्रेतात्माओं, मेहतर बाबा, जिन्न बाबा, घासभैरों एवं नगरकोट माता आदि की पूजा एवं आराधना की जाती है तथा जादू–टोने की क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आज के विकसित युग में भी सहरिया आदिम युग से बाहर नहीं निकल पाये हैं।

सहरियाओं के लोकदेवता तेजाजी की पूजा के संबध में सम्पूर्ण सहरिया समाज में यह लोकविश्वास जुड़ा हुआ है कि इनकी पूजा से सर्प नहीं काटता और यदि सर्प काट ले तो उनमें तेजाजी के नाम पर राख से बंधया गांठ लगाने की परंपरा है। सहरियाओं में ऐसी मान्यता भी हैं कि तेजाजी के थानक पर चढ़े दूध से बने प्रसाद की यदि घर के चारों ओर छिड़क दिया जाये तो घरों में जहरीले कीड़े का भय नहीं होता है। सहरिया देव उठनी से पूर्व गन्नाा तोड़ना निषिद्ध मानते हैं। देवउठनी के अवसर पर 5 गन्नो की पूजा करने की परम्परा सहरियाओं में मिलती है। सहरियाओं में की ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीय (आखा तीज) से बढ़कर कोई दूसरा महत्त्वपूर्ण सावा (मुहुर्त्त) नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सहरियाओं में खूब विवाह होते हैं।

b. सहरियाओं के संस्कार – सहरियाओं के संस्कार हिन्दू धर्म के संस्कार से बेहद मिलते जुलते हैं। सहरियाओं में जन्म–संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह

संस्कार, मृत्यु संस्कार, बेलपत्ती या धारी संस्कार, नवमी की रस्म, खच्च आदि संस्कार सम्मिलित हैं।

c. सहरियाओं के मेले– उत्सव धर्मिता का प्रदेश राजस्थान अपने पारंपरिक मेलों, त्यौहारों एवं पर्वों से देश–विदेश में विख्यात है। राजस्थान को अगर नजदीक से देखना हो, महसूस करना हो तो मेलों व पर्वों में भाग लेना किसी सुखद अनुभव से कम नहीं होगा। राजस्थान की प्रसिद्ध मेलों की कड़ी में यदि सहरियाओं के सीताबाड़ी मेला एवं तेजाजी का मेला की बात यदि न की जाये तो मेलों की बात अधूरी होगी।

(i) सीताबडी मेला – 'सीताबाड़ी मेला' आदिवासी सहरियाओं का कुंभ मेला कहा जाता है। यह मेला सहरियाओं की लोक–संस्कृति की जीती जागती तस्वीर है। सहरियाओं के खान–पान, वेश–भूषा, परम्परागत रीति–रिवाज, भाषा–बोली इत्यादि लोक संस्कृति के विभिन्ना पक्षों को यदि देखना हो तो सीताबाड़ी मेले से बढ़कर दूसरा अन्य उदाहरण नहीं मिलेगा। सीताबाड़ी मेला सहरियाओं की धार्मिक आस्था एवं विश्वास का प्रमुख केन्द्र है। बड़पूजन अमावस्या के चलते सीताबाड़ी के पवित्र कुण्डों में बड़ी संख्या में श्रद्धालू स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। ज्येष्ठ माह की बड़पूजन अमावस्या पर होने वाले धार्मिक स्नान का सहरिया समाज में विशेष महत्व है। इस मेले में मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों से माता सीता, भगवान राम एवं लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन करने एवं पवित्र कुण्डों में स्नान कर पुण्य कमाने लोग आते हैं। सीताबाड़ी मेला पशुओं के

खरीद–फरोख्त के लिए मशहूर है तो यह मेला मनोरंजन का भी प्रमुख केन्द्र है। गगनचुंबी डोलर, चकरी, झूले, टुरिंग टाकिज, बर्तनों की दूकानें तथा रात में रंग–बिरंगी जगमग करती लाईटें मेले की शोभा में चार चाँद लगाकर अनायास किसी का मन मोह लेते हैं।

वर्ष 1960 में एक छोटे से हाट बाजार के रूप में शुरू हुआ केलवाड़ा का सीताबाड़ी मेला आज हाड़ौती के प्रसिद्ध आदिवासी लघुकुम्भ के नाम से विख्यात हो चुका है। बुजुर्गों की माने तो समूचे क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला ही क्षेत्रीय ग्रामीणों के लिए पूरे साल के घरेलू सामान खरीदने का एक मात्र जरिया है। सहरियाओं का कुम्भ मेला माने जाने वाले इस सीताबाड़ी मेला का इंतजार सहरियाओं को पूरे वर्ष बड़ी बेसब्री में रहता है।

(ii) तेजाजी का मेला – सहरियाओं का दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला 'तेजाजी का मेला' है जो भादो मास में तेजा दशमी के दिन सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में भरता है। कई स्थानों पर यह मेला एक दिवसीय होता है तो कई स्थानों पर दस दिवसीय। तेजा दशमी के दिन तेजाजी के थानकों पर सहरिया श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। इस दिन सहरियाओं द्वारा लोक देवता की पूजा अर्चना की जाती है तथा थानको पर दूध, श्रीफल, लड्डू–बाटी का भोग लगा कर मन्नते मांगी जाती हैं।

तेजाजी के मेले के दिन रात्रि जागरण, भजन संध्या, तेजाजी की सवारी, तेजाजी का खेल, तेजाजी–गायन के साथ–साथ आर्केस्ट्रा, रंगा–रंग कार्यक्रम की प्रस्तुति इत्यादि

से मनमोहक संमा बंध जाता है। अलगोजों व मंजीरे की धुन पर तजाजी के गायन की प्रस्तुति देखना सुनना, थानकों की मण्डलियों द्वारा नृत्य देखना अपने आप में एक दिलचस्प अनुभव है।

(iii) डोल मेला – सहरियाओं के लिए बाराँ का प्रसिद्ध 'डोल मेला' भी खास महत्व रखता है। हाड़ौती के प्रसिद्ध डोल मेले का मुख्य आकर्षण जल–झ्लनी ग्यारस के दिन देव विमानों के विशाल जुलूस के साथ होता है।

डोल मेला सहरियाओं के लिए मनोरंजन की तमाम सौगातें लेकर आता है। विभिन्ना प्रकार के चकरी झूले, हवाई झूले, मौत का कुआँ, पशुओं के करतब, मीना बाजार, चाट–पकौड़ी, हाथीजाम, आईसक्रीम की विभिन्ना दुकानें आदि सहरियाओं के साथ–साथ शहरी, ग्रामीण जनता का मन मोह लेते हैं। डोल मेलों में सहरियाओं के लोक–जीवन, लोक व्यवहार, संस्कृति के चित्र भी साकार हो उठते हैं। यह मेला जहाँ सहरियाओं के जीवन की नीरसता को तोड़ता है, वहीं उनकी सांस्कृतिक सद्भावना के प्रेरणास्त्रोत एवं लोक उत्सव का प्रतीक भी है।

(iv) अन्य मेले – सहरियाओं के अन्य मेलों में सीताबाड़ी में लगने वाला सोमवती अमावस्या का एक दिवसीय मेला, शारदीय नवरात्रा तथा कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला रामगढ़ माताजी का मेला, सोरसन का ब्रह्माणी माता का मेला एवं कपिलधारा का मेला भी मुख्य हैं। जिनमें सहरियाओं के लोग उमंग–उत्साह और आनन्द के

साथ मेले का लुप्त उठाते हैं। इन मेलों में सहरियाओं की आस्था, श्रद्धा एवं संस्कृति का अनूठा संगम साकार होता है।

d. सहरियाओं के पर्व त्यौहार एवं लोकात्सव – पर्व त्यौहार एवं लोकोत्सव सहरिया लोक–संस्कृति का अभिन्ना अंग हैं। सहरिया हिन्दुओं के समस्त त्यौहारों जैसे– मकर–संक्रांति, शिवरात्रि, दीपावली, होली, दशहरा, नवरात्रा, भाईदूज, जन्माष्टमी आदि के साथ–साथ तेजादशमी, आखातीज, देवउठनी, जलझूलनी एकादशी, घास–भैरू की सवारी, गुडी–पडवा, माई साते, भोजली इत्यादि अनेक पर्व त्यौहारों एवं लोकोत्सवों को बड़ी श्रद्धा, उमंग एवं हर्षोउल्लास के साथ मनाते हैं।

VIII. परिवार – गोत्र कुल

सहरिया समाज अनेक गोत्रों में विभक्त सामाजिक संगठन का एक प्रमुख आधार होने के साथ–साथ अलग–अलग परिवारों के अस्तित्व एवं पहचान का प्रतीक भी है। सहरिया समुदाय में एक गोत्र वाले सभी सदस्य 'गोती–भाई' या 'गोती' के नाम से जाने जाते हैं।

जनजाति समाज वाला सहरिया निम्नांकित चार गोत्रों में विवाह संबंध की स्वीकृति नहीं देता हैं 1. स्वयं का गोत्र 2. माँ का गोत्र, 3. माँ के ननिहॉल का गोत्र और 4. पिता के ननिहॉल का गोत्र। इस समाज में गोत्र सामाजिक नियम का आधार हैं। सहरिया समाज में अन्य जाति के लड़का या लड़की से विवाह करना अच्छा नहीं

माना जाता है। यह परम्परा कुछ अपवादों को छोड़कर अब तक इस समाज में चली आ रही है। 'नाता–प्रथा' में भी सहरिया में गोत्रों का ध्यान रखा जाता है।

सहरियाओं के प्रमुख गोत्रों में 1. चौहान, 2. सोलंकी, 3. परमार, 4. नौगापान, 5. पवार, 6. डोरिया, 7. कररिया, 8. पारोनी, 9. सोहरा, 10. मारिया, 11. चाकरिया, 12. अलेरिया, 13. कुड़ावत, 14. डोडिया, 15. गरवाड़, 16. सोलिया, 17. वाघेला, 18. मोवार, 19. अलेरिया, 20. मोहल, 21. बगरूलिया, 22. जेसवाल, 23. नमोरिया, 24. कडेवाल, 25. परागिया, 26. कुशपाल इत्यादि उल्लेखनीय हैं।

सहरियाओं के गोत्रों के साथ धार्मिक विश्वास भी जुड़ा हुआ है। सहरियाओं का मानना है कि गोत्र में कोई न कोई देवी शक्ति होती है जो उसकी तथा उनकी कुल की रक्षा करती है। इस प्रकार सहरिया समाज में गोत्र की सामाजिक, वैवाहिक एवं धार्मिक दृष्टि से काफी महत्ता है।

IX. सामाजिक स्थिति

प्राचीन काल में सहरियाओं की स्थिति गुलामों एवं बेगारों की जैसी थी, और उनके हाथ का भरा पानी पीना खटास मानते थे। सहरियाओं से लोग छुआ–छूत मानते थे, घर–आँगन की बात तो दूर सहरियाओं को दुकान पर भी नहीं चढ़ने देते थे। इन्हें निम्न जातियों की श्रेणी में रखा जाता था। आज भी सहरियाओं की समाज में स्थिति निम्न हैं। समाज में उन्हें वह आदर व सम्मान प्राप्त नहीं है जो मीणा, भील, गरासिया इत्यादि अन्य जनजाति के लोगों को प्राप्त है।

X. आर्थिक जीवन

राजस्थान की अन्य जाति मीणा, भील, गरासिया, डामोर इत्यादि की तुलना में सहरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति बदतर है। उनकी आर्थिक स्थिति तंगी, अभाव एवं कष्टों की महागाथा हैं। आर्थिक सम्पन्नता इनसे कोसो दूर है।

XI. राजनैतिक योगदान

राजनैतिक दृष्टि से सहरिया जनजाति अत्यधिक पिछड़ी हुई है, परन्तु अनुसूचित जनजाति में आरक्षित सीट पर केवल इसी जनजाति को मौका मिलता है, इसी कारण सहरियाओं का योगदान राजनीति में भी देखने को मिलता हैं। पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत कई ग्राम पंचायतों में सहरिया सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, उपप्रधान जैसे पदों पर निर्वाचित हुये हैं जो समाज का संवैधानिक नेतृत्व करते हैं। सहरिया राजनैतिक पदों पर हीरालाल सहरिया (विधायक 2008 से पूर्व), निर्मला सहरिया विधायक (2008–2013), गजरीबाई सहरिया प्रधान शाहबाद, बालमुकन्द सहरिया, फूलचंद सहरिया, माधोलाल सहरिया आदि के नाम चर्चित हैं, जिन्होंने राजनैतिक स्तर पर सहरिया समाज की ओर से राजनैतिक नेतृत्व किया।

XII. शिक्षा

राजस्थान में सहरिया जनजाति शिक्षा के प्रति उदासीन रहती है। इसी कारण अत्यन्त कम संख्या में लोग शिक्षा

ग्रहण कर पाते हैं। सहरिया जनजाति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास करवाये जा रहे हैं। बाराँ जिले के अन्तर्गत तहसीलवार शैक्षिक सरंचना निम्न प्रकार से देखी जा सकती हैः

सारणी – 4.1

तहसीलवार शैक्षिक संरचना, जिला बाराँ

	तहसील				
	अटरू	**किशनगंज**	**मांगरोल**	**शाहबाद**	**कुल योग**
आंगनबाड़ी	23	96	16	60	**195**
प्राथमिक स्कूल	26	121	18	89	**254**
उच्च प्राथमिक स्कूल	17	33	9	34	**93**
माध्यमिक स्कूल	6	9	2	7	**24**
उच्च माध्यमिक स्कूल	2	4	2	6	**14**
महाविद्यालय	1		1	1	**3**

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

बाराँ जिले में तहसीलवार शैक्षिक संरचना में कुल आंगनबाड़ी की संख्या 195 है। जिसमें 23 आंगनबाड़ी केन्द्र अटरू में, किशनगंज में 96, मांगरोल में 16 और शाहबाद में 60 है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या अटरू में 26, किशनगंज में 121, मांगरोल में 18 और शाहबाद में 89 है। इस प्रकार कुल प्राथमिक स्कूलों की संख्या

आरेख संख्या – 3 : तहसीलवार शैक्षिक संरचना, जिला बाराँ (वर्ष–2011)

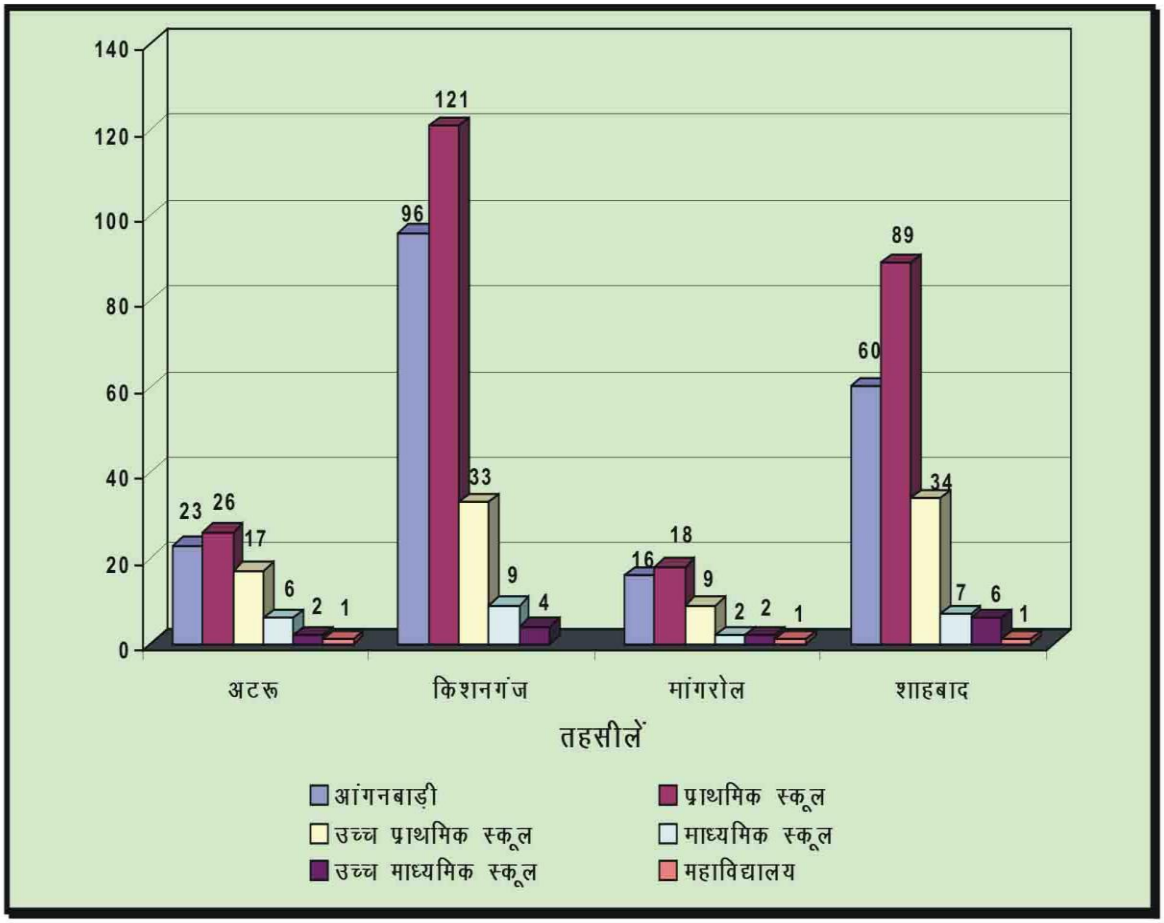

254 है। उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थिति अटरू में 17, किशनगंज में 33, मांगरोल में 9 और शाहबाद में 34 है। कुल उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या 93 है। माध्यमिक स्कूल कुल 24 है। जिनमें 6 अटरू में 9 किशनगंज में 2 मांगरोल में 7 शाहबाद में। उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या 14 है। जिनमें 2 अटरू में, 4 किशनगंज में, 2 मांगरोल में और 6 शाहबाद में। बाराँ जिले में एक महाविद्यालय अटरू में, 1 मांगरोल में और 1 शाहबाद में स्थित है। इस प्रकार इन तहसीलों में कुल महाविद्यालयों की संख्या तीन है। जिनमें यहाँ पर निवास करने वाले छात्र छात्राऐं उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं।

4.2 व्यवसाय

सहरिया मुख्य रूप से मजदूरी का ही कार्य करते हैं। यह अपने घर से रोज सुबह 8 बजे मजदूरी पर जाते हैं तथा वहाँ से शाम को 5 बजे लौटकर आते हैं। यह पूरे दिन कठिन परिश्रम करते हैं, तब कहीं जाकर अपने लिए शाम व सुबह के भोजन की सामग्री जुटा पाते हैं। सहरियाओं में केवल पुरूष ही नहीं बल्कि महिलाएँ भी व 13–14 वर्ष के बच्चें भी मजदूरी करते हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं का पूरा कर सके। कुछ सहरिया जिनके पास खेती के लिए जमीन है, वे अपने खेतों पर कृषि कार्यों में लगे हुये हैं, वे भी अपने खेतों पर सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं। इस कार्य में मुखिया के साथ–साथ उसके परिवार के अन्य सदस्य भी कार्य करते हैं। कुछ सहरिया

सरकारी नौकरी, चरवाह आदि कार्य भी करते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सहरियाओं के व्यवसाय से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः

सारणी – 4.2

सहरिया जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
मजदूरी	29537	88.09
खेती	1863	5.6
हाली	1682	5.1
अन्य	440	1.3
योग	33532	100

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

आरेख संख्या – 4 : सहरिया जनजाति की व्यावसायिक संरचना (वर्ष–2011)

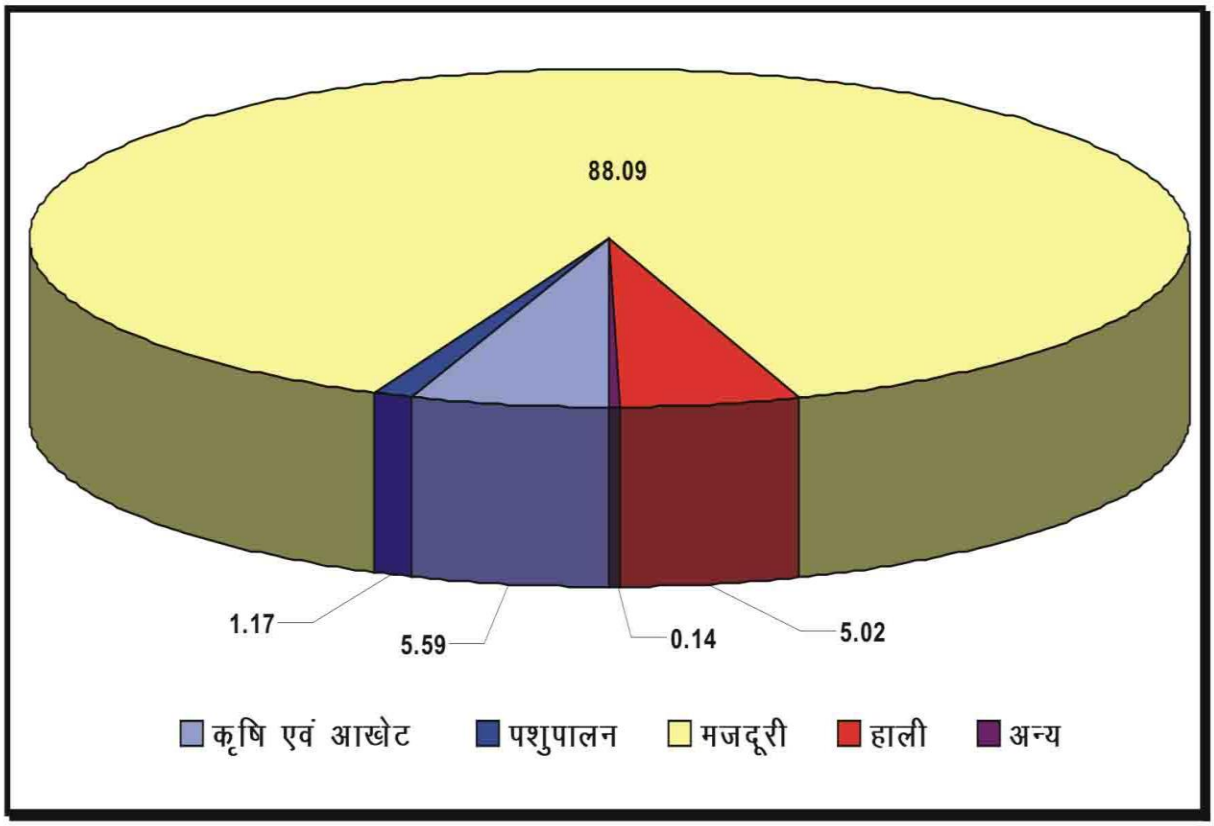

अध्याय–पंचम्

सहरिया जनजाति की आर्थिक संरचना

5.1 कृषि

5.2 पशुपालन

5.3 मजदूरी

अध्याय–पंचम्

सहरिया जनजाति की आर्थिक संरचना

सहरिया जनजाति मुख्य रूप से आदिम जनजाति होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पूर्णरूप से वनों पर आश्रित रहती है। वनों के विभिन्ना उत्पाद इनके आजीविका का मुख्य साधन हैं। प्राचीन काल से ही सहरिया जनजाति का मुख्य कार्य वन उत्पादों का संग्रहण रहा है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति होने के कारण यह जनजाति अभी भी आखेट व्यवसाय में संलग्न है। शाहबाद की उपरेटी (उच्च भूमि) में शाहबाद, शाहपुर, मुण्डियार एवं समरानिया से केलवाड़ा तक सहरिया क्षेत्र है। शाहबाद से लेकर देवरी व कस्बाथाना तक पूरे क्षेत्र को तलहटी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र है, जिसे पूर्व में कोटा के शासक ''जंगली निजामत'' कहते थे। कोटा के शासकों ने इस क्षेत्र में सिख समुदाय एवं जाट जाति के लोगों को प्रवासियों हेतु कम कीमत में जमीन दे दी। इन प्रवासियों ने किशनगंज पर अपना अधिकार जमा लिया और सहरिया जनजाति धीरे–धीरे शाहबाद के जंगलों की ओर पलायन कर गये। इनकी जमीनों की निलामी करवा दी गई, जिसके कारण सहरिया जनजाति भूमिहीन होती गई। अन्ततः परिवार के भरण–पोषण हेतु यह लोग मजद्री करना पसंद करने लगे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह मजदूरी बंधुवा मजदूरी में रूपान्तरित हो गई, जिसके कारण सहरिया जनजाति के लोग ऋण के बोझ में दबते चले गये, जिसके कारण ऋण ग्रस्तता की चादर बढ़ने लगी।

महाजनों एवं जमीदारों ने सहरियाओं पर अत्यधिक दबाव बनाया जिसके कारण यह जनजाति कृषि कार्य हेतु जमीदारों के पास रहने लगे, जिसे स्थानीय भाषा में हाली कहा जाता है। यह लोग परिवार की सामाजिक परम्पराओं का निर्वहन हेतु जैसे – शादी, जन्म संस्कार, मुण्डन एवं अन्य सामाजिक रीतियों के लिए जमीदारों से ऋण लेने लगे। इस प्रकार ऋण एवं उसके ब्याज के कारण यह लोग अत्यन्त दरिद्र हो गये। सहरिया जनजाति स्वभाव से आलसी होने के कारण शराब के आदि होते हैं, और इसके लिए इनकों बड़ी राशि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे कई दिनों तक दूसरे कार्य करते ह, और इस प्रकार उनकी आय दिनों दिन कम होती जाती हैं और वह ऋण ग्रस्तता के शिकार होते जा रहे हैं। गरीबी के कारण कुपोषित भोजन ग्रहण करने से अनेक बीमारियाँ इनके शरीर में जन्म ले रही हैं और इन बीमारियों के कारण सर्वाधिक कुपोषण इस जनजाति में ही देखने को मिलता है। जिसके कारण हाल में कई बच्चों की मृत्यु हुई हैं। बीमारी के कारण इलाज हेतु भी यह लोग ऋण लेते हैं, जिसके कारण सहरिया गाँव में ऋण ग्रस्तता बढ़ती जा रही है। वर्ष 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 65 से 84 प्रतिशत सहरिया परिवार ऋण ग्रस्त पाये गये।

सहरियाओं का आर्थिंक जीवन मुख्य रूप से आखेटक माना जाता हैं, जो जंगली जड़ी बूटियों, दवाइयों, शहद एकत्रण, विभिन्न वन उत्पादों से प्राप्त होता हैं। वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सहरियाओं का मुख्य व्यवसाय जंगल के उत्पादों को एकत्र करना एवं शिकार करना था।

सहरिया निवास क्षेत्र मुख्य रूप से जंगलों से घिरे होने के कारण यह अत्यधिक अविकसित एवं पिछड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आजीविका के साधन सहजता से नहीं मिल पाते। यही कारण हैं कि इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय निर्धारित नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए यह लोग मौसम के अनुसार कार्य करते हैं। इसी कारण कई बार कार्य नहीं मिलने के कारण यह लोग आजीविका नहीं कमा पाते। सहरिया महिलाएँ मुख्य रूप से जमीदारों के यहाँ मजदूरी का कार्य करती हैं तथा पुरूष बन्धुवा मजदूर के रूप में 24 घन्टे इनके कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। जिसके लिए इनकों निर्धारित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। यही कारण है कि यह शोषण का शिकार होते जा रहे हैं।

इस जनजाति के लोगों के मुख्य व्यवसाय के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता हैः

सारणी – 5.1
सहरिया जनजाति की व्यावसायिक संरचना (2011)

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
कृषि एवं आखेट	1873	5.59
पशुपालन	392	1.17
मजदूरी	29537	88.09
हाली	1682	5.02
अन्य	48	0.14
कुल योग	33532	100

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, जिला बाराँ

5.1 कृषि

सहरिया जनजाति के लोगों के पास सरकार द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त भूमि का वितरण किया गया जिससे सहरियाओं का आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके एवं आदिम जनजाति दासता से मुक्त हो सके।

वर्ष 2006–07 में सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया भूमि का वितरण निम्न प्रकार हैः

सारणी – 5.2

आर्थिक विवरण (2006–07)

भूमि के प्रकार	भू–स्वामित्व परिवारों की संख्या	भूमि का कुल क्षेत्रफल	प्रति परिवार उपलब्ध भूमि (बीघा में)
सिंचित	1019	7252.97	7.1
असिंचित	6266	51808.69	8.3
कुल	**7285**	**59061.66**	**8.1**

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

राज्य सरकार द्वारा कृषि विकास के फलस्वरूप कई योजनाऐं प्रारम्भ की गई हैं जिसके द्वारा सहरिया जनजाति को कृषि भूमि के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके तथा बंजर भूमि में कृषि कार्य किया जा सके।

बाराँ जिले में भूमि उपयोग को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता हैंः

छायाचित्र संख्या –14 : पठारी प्रदेश, जिला बाराँ

छायाचित्र संख्या – 15 : कृषि भूमि, जिला बाराँ

सारणी – 5.3

सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2010–11)

भूमि उपयोग	क्षेत्र (हैक्टेयर)	प्रतिशत
जंगलात	215680	30.84
कृषि अयोग्य भूमि	63374	9.06
कृषि योग्य भूमि (बंजड)	21289	3.04
स्थाई चारागाह	35972	5.14
बाग तथा वृक्ष समूह	177	0.03
चालू पडत भूमि	12816	1.83
अन्य पडत भूमि	21089	3.02
निबल बोया गया क्षेत्रफल	329064	47.05
कुल क्षेत्रफल	699461	100.00

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बारां

सारणी – 5.4

सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2011–12)

भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रतिशत
जंगलात	216363	30.93
कृषि अयोग्य भूमि	63994	9.15
कृषि योग्य भूमि (बंजड)	19823	2.83
स्थाई चारागाह	35264	5.04
बाग तथा वृक्ष समूह	181	0.03
चालू पडत भूमि	10335	1.48
अन्य पडत भूमि	19835	2.84
निबल बोया गया क्षेत्रफल	333666	47.7
कुल क्षेत्रफल	699461	100

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बारां

आरेख संख्या – 5 : सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2010–2011)

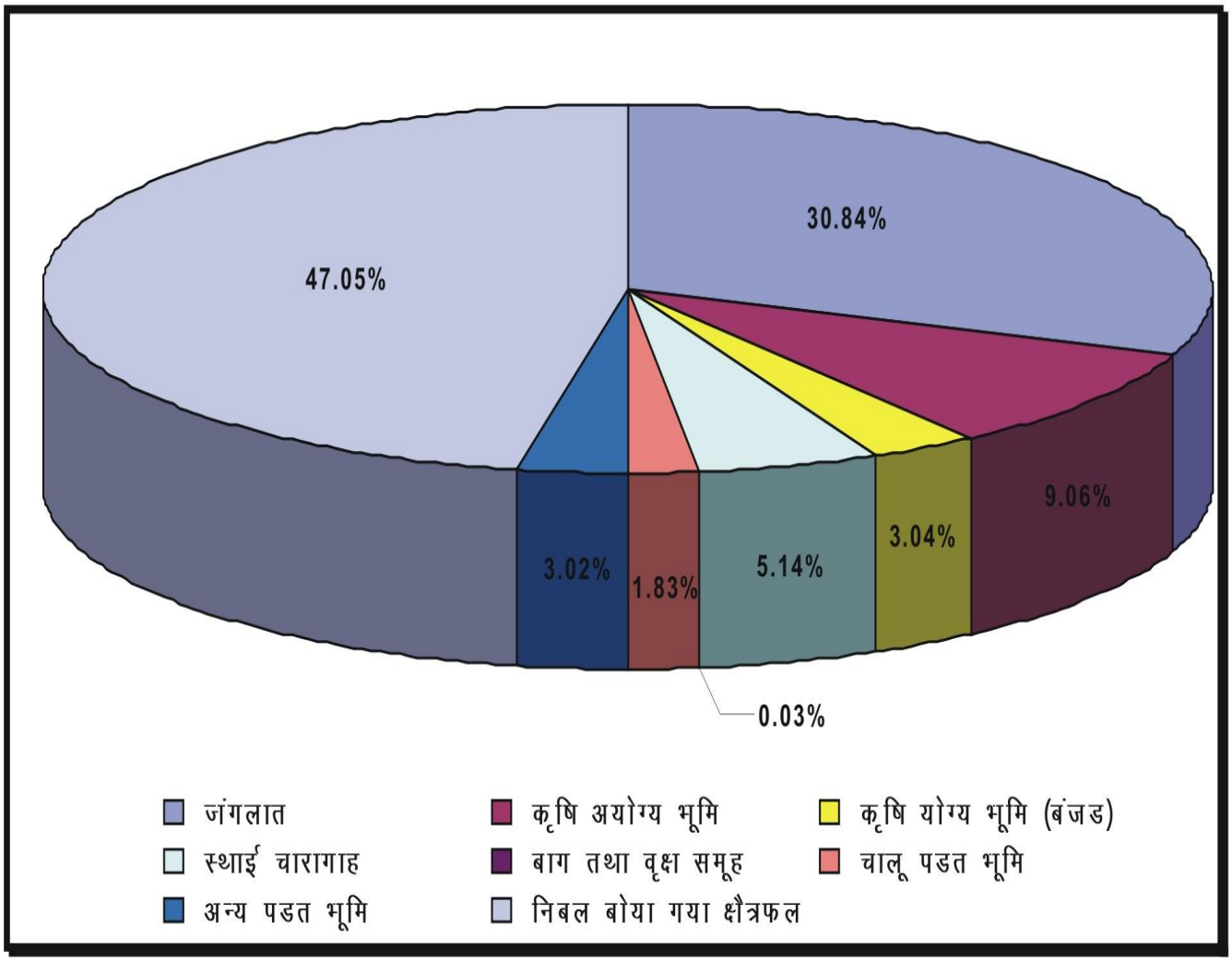

आरेख संख्या – 6 : सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2011–2012)

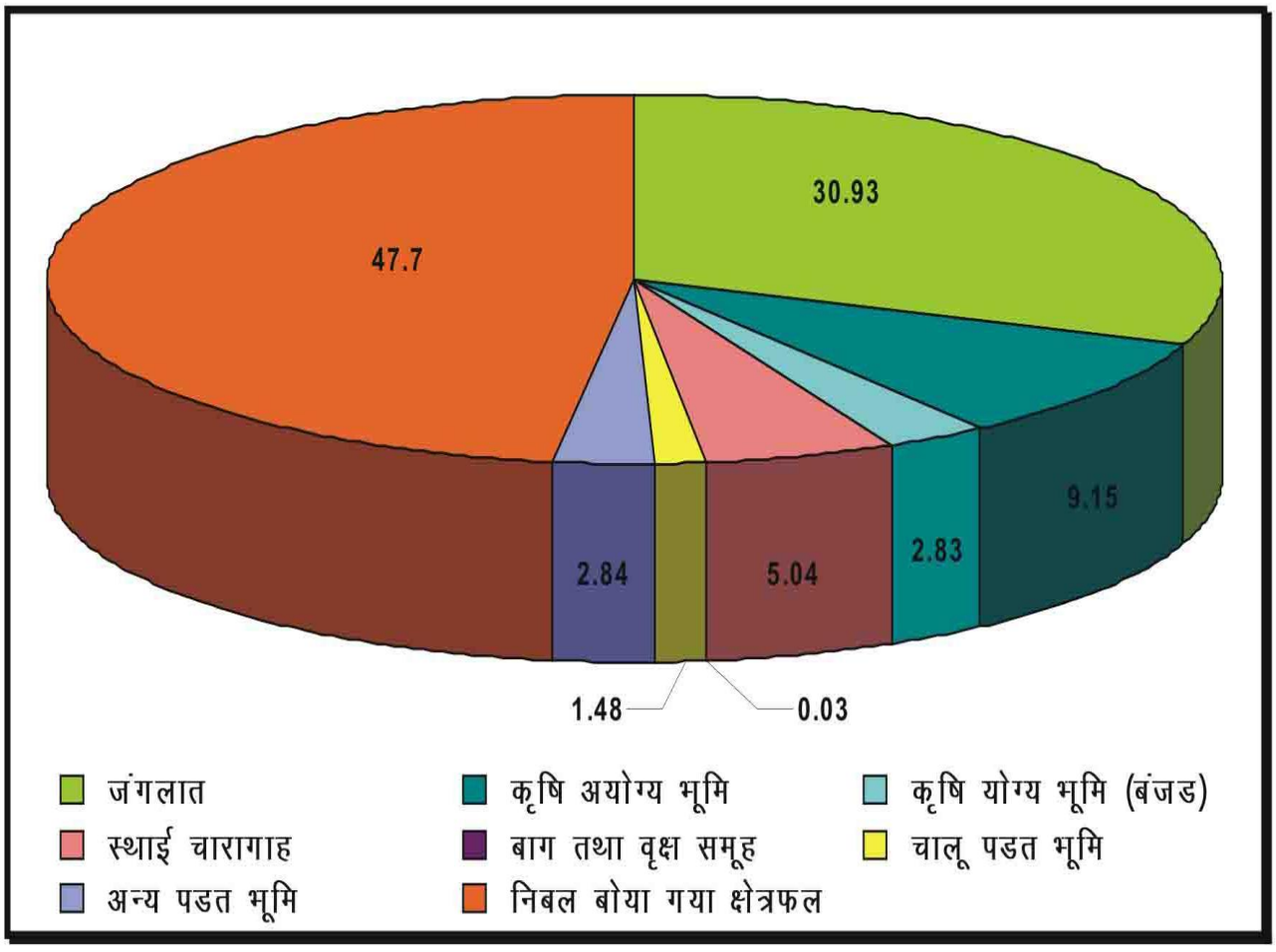

सारणी – 5.5
सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2012–13)

भूमि उपयोग	क्षेत्र (हेक्टेयर)	प्रतिशत
जंगलात	216334	30.93
कृषि अयोग्य भूमि	64432	9.21
कृषि योग्य भूमि (बंजर)	17023	2.43
स्थाई चारागाह	34802	4.98
बाग तथा वृक्ष समूह	183	0.03
चालू पडत भूमि	8974	1.28
अन्य पडत भूमि	16541	2.36
निबल बोया गया क्षेत्रफल	341172	48.78
कुल क्षेत्रफल	**699461**	**100**

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

सारणी – 5.6
सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2013–14)

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रतिशत
जंगलात	216618	30.97
कृषि अयोग्य भूमि	65283	9.33
कृषि योग्य भूमि (बंजर)	14066	2.01
स्थाई चारागाह	34751	4.97
बाग तथा वृक्ष समूह	185	0.03
चालू पडत भूमि	7567	1.08
अन्य पडत भूमि	15599	2.23
निबल बोया गया क्षेत्रफल	345392	49.38
कुल क्षेत्रफल	**699461**	**100**

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

आरेख संख्या – 7 : सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2012–2013)

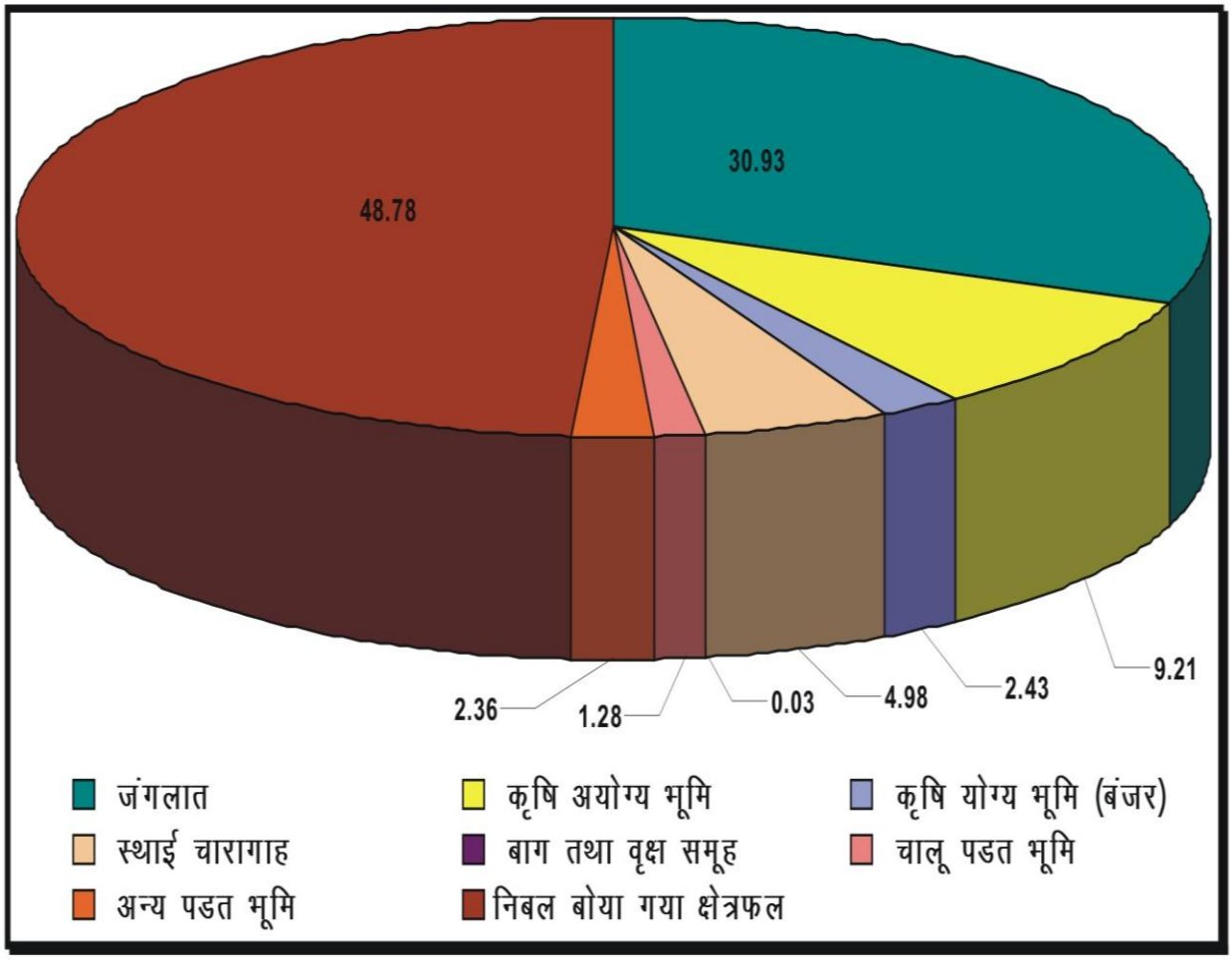

आरेख संख्या – 8 : सहरिया क्षेत्र में भूमि उपयोग (2013–2014)

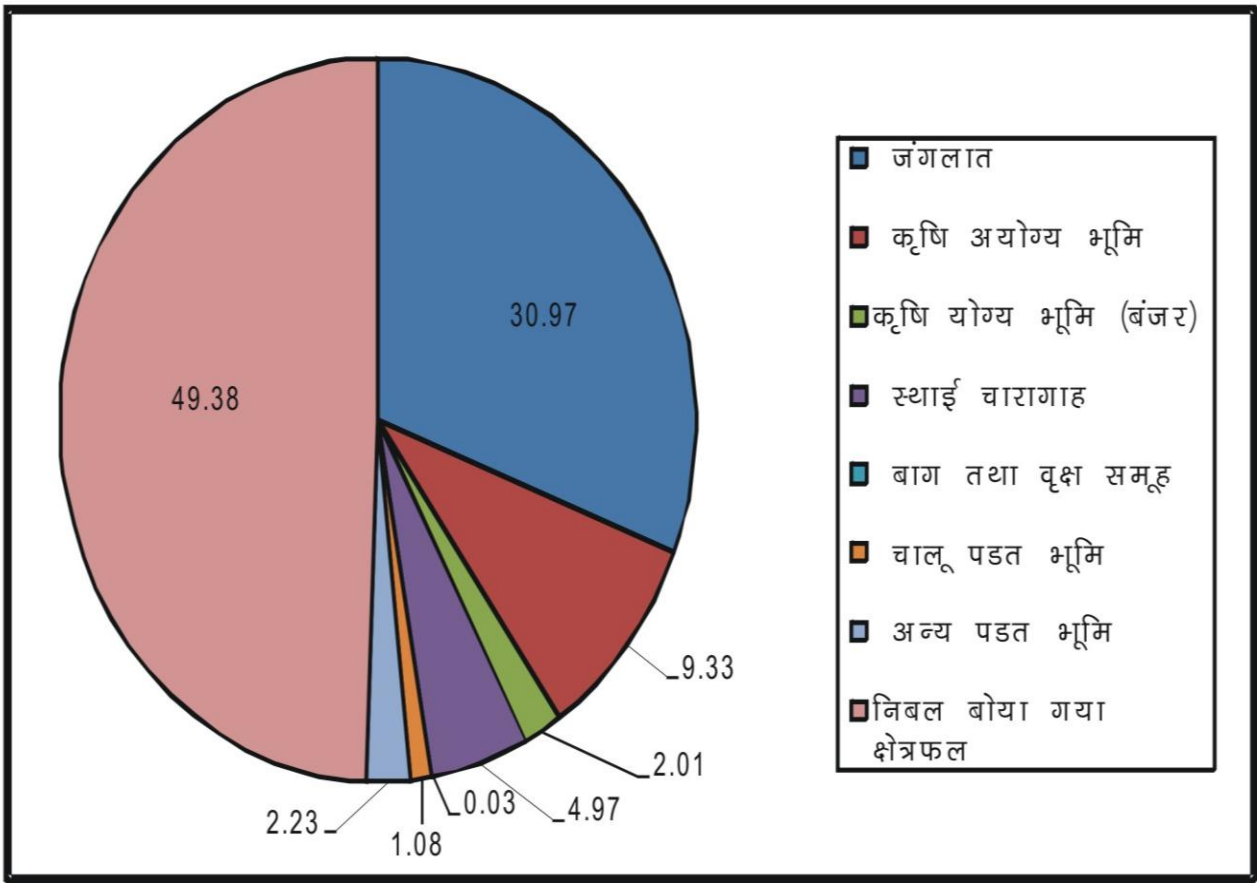

I. सिंचाई के साधन : सहरिया जनजाति के लोग सिंचाई के साधनों में तालाब, नलकूप, कुएँ, नहरें, एनिकट आदि को काम में लेते हैं।

कुल कृषि भूमि के मात्र 12.3 प्रतिशत भाग सिंचित भूमि है, जिसमें 60 प्रतिशत नलकूप द्वारा, 28 प्रतिशत कुओं द्वारा, 7 प्रतिशत नहरों द्वारा एवं 5 प्रतिशत एनिकट द्वारा है। बाराँ जिले में सहरिया निवास क्षेत्र कृषि एवं सिंचाई की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर विभिन्ना संसाधनों द्वारा कृषि भूमि सिंचित की जाती है।

II. प्रमुख उपजे : इस जनजाति के लोग कृषि उपजों में सीमित रूप से गेहूँ, चना, सरसों, सोयाबीन, धनिया, लहसुन आदि की फसले उगाते हैं। यहाँ पर अधिकांशतः लोग कृषि उपजों को केवल खाद्य पूर्ति के लिए ही पैदा करते हैं तथा आजीविका के लिए यह लोग आखेट पर निर्भर रहते हैं।

प्राचीन समय मे कृषि करने का रिवाज प्रचलित नहीं था जिसका मुख्य कारण घनें जंगल पहाड़ी क्षेत्र, चट्टानी मिट्टी अनुपजाऊ मिट्टी का होना है। जब सहारियाओं ने कृषि को अपनाया तब प्राचीन अवस्था थी। जंगलों की सफाई करने के बाद उन्होंने अपने हाथों से जमीन को खोदकर उसमें बीज बोये, जो कि उत्पादन की दृष्टि से परिवार का भरण–पोषण नहीं कर पायें, परन्तु आजकल राजस्थान सरकार द्वारा कृषि से सम्बन्धित कार्य तथा बैलों की खरीद के लिए ऋण तथा मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराई गई है।

छायाचित्र संख्या – 16

पार्वती नदी का विहंगम दृश्य, जिला बाराँ

सहरिया जनजाति जो जंगली क्षेत्रों में निवास करती हैं उन्होंने जनजाति आर्थिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहरिया कृषि उपकरणों, आवास निर्माण सामग्री, भोजन, ईंधन आदि के लिए जंगली उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। सबसे अधिक जंगली उत्पाद इस क्षेत्र में ईमारती एवं जलाव लकड़ी है। छोटे उत्पादों के रूप में चिरोंजी, मूसली, तेंदू पत्ते, गोंद, शहद, महुआ के फूल, फल, घास और जड़ी बूटियाँ हैं। इस जनजाति के आर्थिक व्यवसाय में जंगल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

III. जंगल के उत्पाद : वनों के उत्पादों का उपयोग खुले रूप से नहीं किया जा सकता क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अन्तर्गत वन विभाग ने वनों की कटाई पर राक लगा रखी है। इस कारण विभागों के नियमानुसार विभिन्न उपजों की निलामी होती है। ईंधन के रूप में जलाने की लकड़ी, ईमारती लकड़ी इन्हीं लोगों के द्वारा एकत्रित की जाती है। उनकों बिना किसी कर के कीमती वस्तु का एकत्रण करने की अनुमती दी जाती है, जैसे– शहद, मूसली, तेंदू पत्ता आदि। गाँव वालों को इसके लिए नाम मात्र का वेतन दिया जाता है। वनों के फल व दूसरे उत्पाद इस जनजाति के लोग एकत्रित करते हैं, जब वह जंगल जाते हैं तब उनका ध्यान केवल शहद तथा गोंद मूसली, चिरोंजी, तेंदु पत्ता आदि के एकत्रण पर रहता है।

IV. शहद का एकत्रीकरण : शहद को मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त किया जाता है जो बहुत ऊँचें पेड़ों पर पर्वतीय चट्टानों पर पाये जाते हैं। सहरिया इन छत्तों पर

रात्रि में जाते हैं और लोहे की छड़ घुसा देते हैं जिससे मधुमक्खियां दूर भाग जाती हैं और पेड़ पर चढकर व्यक्ति शहद निकाल लेता है। शहद को बेचकर यह अपनी आजीविका निर्वहन करते हैं।

V. अचार का एकत्रीकरण : अचार एक पेड़ का फल होता है जो शाहबाद के जंगलों में पाया जाता है। यह पेड़ फाल्गुन के बाद लगभग अप्रेल में फल देना प्रारम्भ कर देता है। इस पेड़ के फल लगभग 18 फीट की ऊँचाई पर आते हैं। पेड़ों पर चढ़कर अचार के फल एकत्रण किया जाता है। अचार के फल के गुर को चिरोंजी कहा जाता है जो एक सूखा स्वादिष्ट फल होता है। जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। लगभग 20 किलो अचार से 3 किलो चिरोंजी निकाली जा सकती है।

VI. महुआ का एकत्रीकरण : महुआ वृक्ष के फलों को जून एवं मई के महीने में इकट्ठा किया जाता है। एक व्यक्ति एक दिन में 5 किलो महुआ का एकत्रण कर लेता है। जब महुआ फल पूर्ण रूप से सूख जाता है तो उसके बीच से तेल प्राप्त किया जाता है। 1 किलो महुआ में लगभग 300 ग्राम तेल निकलता है। महुआ के फल को सड़ाकर शराब बनाई जाती है। इस क्षेत्र में महुआ की शराब का प्रचलन अत्यधिक पाया जाता है।

VII. तेंदू वृक्ष के पत्तों का एकत्रीकरण : शाहबाद के जंगलों में अच्छी किस्म के तेंदू के पत्ते प्राप्त किये जाते हैं। तेंदू के पत्तों से बीड़ियाँ बनाई जाती है। महिलाएँ

विभिन्न समूहों में इन पत्तियों का एकत्रण करती हैं व इन पत्तियों को बेचकर आजीविका चलाती हैं।

VIII. गोंद एकत्रण : गोंद एक ऐसा उत्पाद हैं जो वृक्षों से प्राप्त किया जाता हैं। अधिकांशतः गोंद प्रकृति द्वारा अशुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है तथा चैत्र के महीने में सहरिया जनजाति के लोग गोंद को बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं।

IX. कत्था एकत्रीकरण : कत्था खेर के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में खेर के वृक्ष अधिक पाये जाते हैं। सहरिया जनजाति के लोग कत्था बनाने में प्रवीण होते हैं। प्रारम्भ में बोहरा एवं ठेकेदारों को कत्था उद्योग का एकाधिकार प्राप्त था। उस समय एक व्यक्ति इस व्यवसाय में 80 हजार रूपये राज्य सरकार को देने तथा निर्माण कार्यों में खर्च करने के बाद 50 हजार रूपये प्राप्त कर सकता था। सहरिया इन उद्योगों में कीमत पर काम करते हैं और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार होता है। इस प्रकार बोहरा जाति इनका शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करते हैं।

5.2 पशुपालन

सहरिया जनजाति के लोग कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिनमें यह लोग मुरगी पालन, गाय, भैस, बकरी आदि को पालते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एवं पशुपालन को ध्यान में रखते हुये बाराँ जिले के शाहबाद क्षेत्र में कई

सहरियाओं को खरगोश पालन से जोड़ने के लिए निःशुल्क खरगोश के जोड़े दिए गए परन्तु कुछ वर्ष बाद यह खरगोश गायब हो गए। इससे स्पष्ट है कि सहरिया जनजाति की रूची पशुपालन में नगण्य है। यहाँ पर विभिन्ना पशुओं का विवरण निम्न प्रकार है–

सारणी – 5.7
सहरिया जनजाति द्वारा पशुपालन का विवरण (2011)

क्र.सं.	पशु	संख्या
1	गाय–बेल	436
2	भैस	171
3	भेड़	41
4	बकरियां	832
5	कुर्त्ते	372
6	खरगोश	59
7	अन्य पशु	517
	कुल योग	2428

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

5.3 मजदूरी

कृषि एवं पशुपालन सहरिया जनजाति के लिए आजीविका का प्रमुख आधार न होने के कारण यह जनजाति जीविकोपार्जन हेतु मजदूरी पर आश्रित है। लगभग 98 प्रतिशत सहरिया लोग मजदूरी करते है। कुछ सहरिया कृषि कार्य हेतु मजदूरी करते हैं तो कुछ रोजाना दिन मजदूरी करते हैं। सहरिया लोग मजदूरी के लिए बड़ी

आरेख संख्या – 9 : सहरिया जनजाति का पशुपालन विवरण (वर्ष–2011)

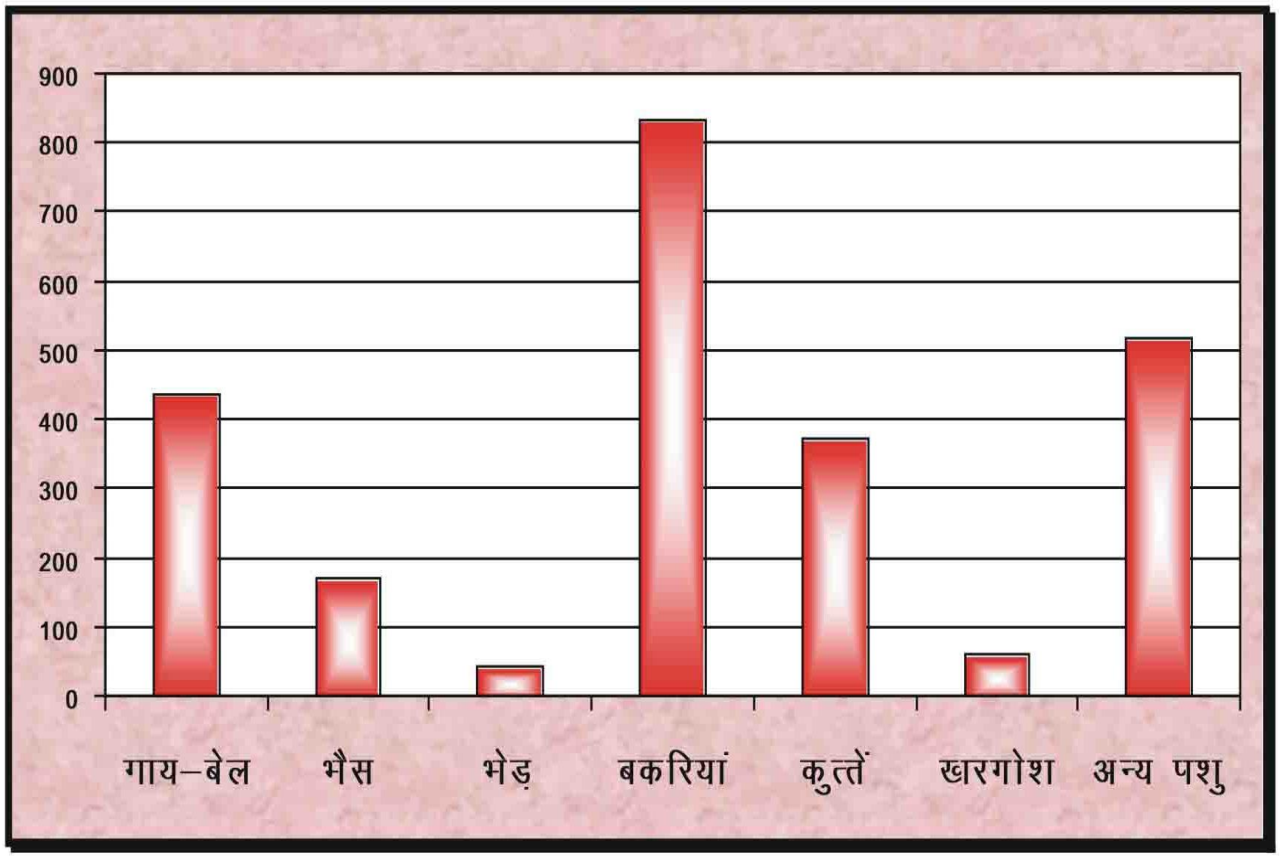

संख्या में प्रवास करते हैं तथा मजदूरी हेतु यह लोग परिवार सहित बाहर रहना भी पंसद करते हैं। भारत सरकार द्वारा रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत संचालित महात्मा गाँधी रोजगार योजना में भी यह लोग मजदूरी करते हैं। बाराँ जिला रोजगार की दृष्टि से भारत का पहला ऐसा जिला है जिसमें किसी जाति विशेष के लिए 100 दिन के स्थान पर 200 दिन तक रोजगार सरकार द्वारा प्राप्त है। इस योजना के अन्तर्गत इन लोगों को दोहरा लाभ प्राप्त है। सहरियाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने क लिए सरकार द्वारा 35 किलो निःशुल्क गेंहूँ, घी, कृषि सामग्री, 2 लीटर तेल, विभिन्न दालें आदि उपलब्ध कराने का प्रावधान है, परन्तु जानकारी का अभाव होने के कारण यह लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

बाराँ जिले में मजदूरी की दृष्टि से सहरिया व्यक्तियो को निम्न श्रेणी में बांटा जा सकता है–

सारणी – 5.8 : मजदूरी की दृष्टि से सहरिया जनजाति का वितरण (2011)

क्र.सं.	मजदूरी का प्रकार	तहसील				कुल योग
		मांगरोल	अटरू	किशनगंज	शाहबाद	
1	कृषि	16	12	1266	579	1873
2	हाली	169	173	997	343	1682
3	श्रमिक	1209	1064	12895	14369	29537
4	अन्य	6	8	128	298	440
	कुल योग	1400	1257	15286	15589	33532

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

आरेख संख्या – 10 : सहरिया जनजाति का मजदूरी की दृष्टि से विवरण (वर्ष–2011)

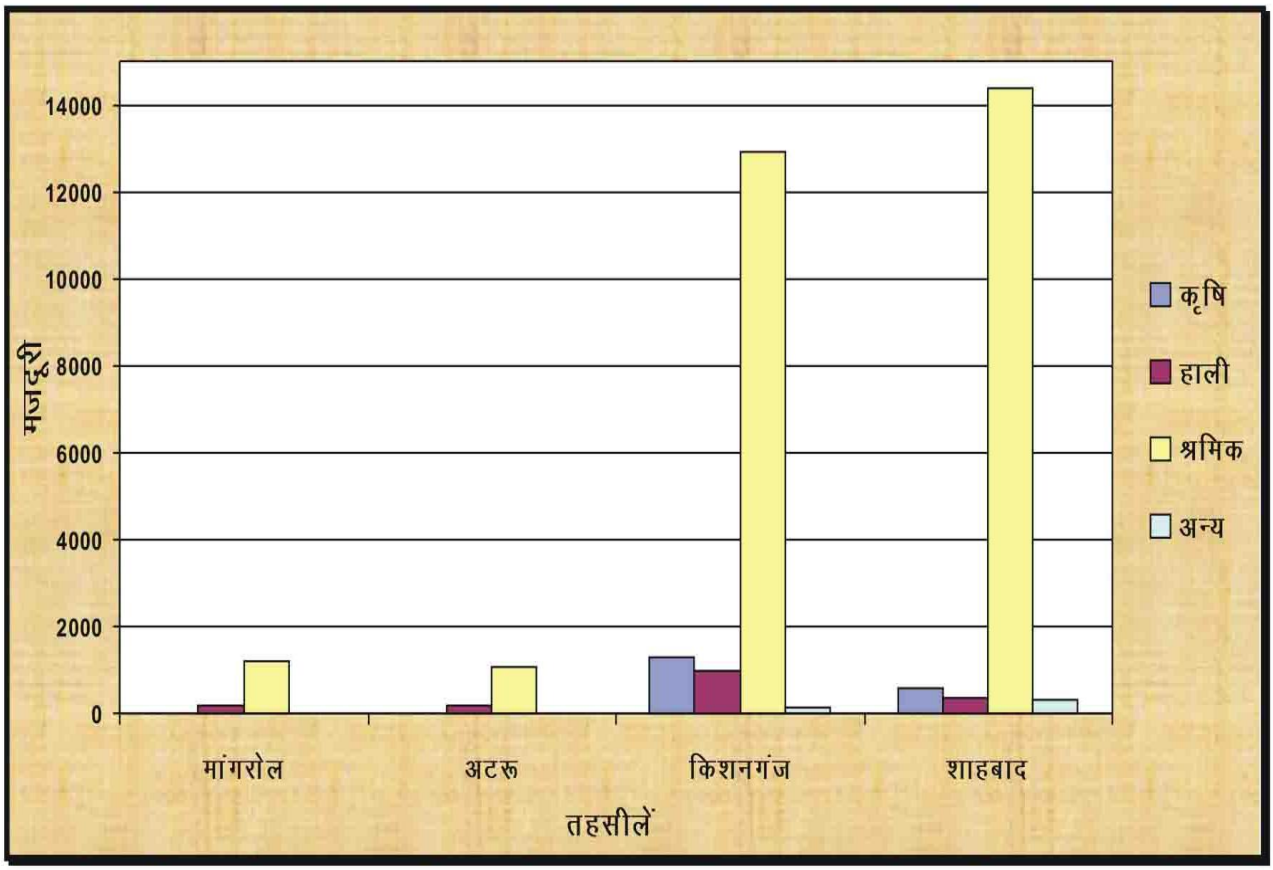

अध्याय–षष्ठम्

सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन

6.1 रीति–रिवाज

6.2 मान्यताऐं

6.3 रहन–सहन

6.4 सामाजिक व्यवस्था

अध्याय–षष्ठम्

सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन

मनुष्य जन्म से सामाजिक प्राणी होता हैं, समाज में रहकर वह कई प्रकार की प्रथाऐं, संस्कृति, मान्यताऐं, परम्परा आदि का निर्वहन समाज के अनुसार करता है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को समाज प्रेरित करता है, जिसके कारण कई प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को व्यक्ति सम्पादित करता है। सामाजिक जीवन से जुड़ें कुछ तथ्यों का अध्ययन निम्न प्रकार किया जा सकता हैः

6.1 रीति–रिवाज

सहरियाओं के रीति–रिवाज, लोक संस्कृति, संस्कार कई प्रकार के त्यौहार मनाने की परम्परा रही हैं, परन्तु इन संस्कृतियों में कुछ ऐसे रीजि–रिवाज हैं जिनको यह आवश्यक रूप से पूरा करती है। इनके प्रमख रीति–रिवाज निम्नलिखित हैंः

I. गोद भराई संस्कार : इसके अन्तर्गत गर्भधारण करने के सात माह पश्चात् गर्भधारण संस्कार मनाने का रिवाज है जिसमें महिला को चौक में बैठाकर उसकी विधिवत् तरीके से गोद भराई की जाती है।

II. जन्म संस्कार : पुत्र प्राप्ति के बाद इस जनजाति के लोग जन्म संस्कार को आवश्यक मानते हैं। इस संस्कार के अन्तर्गत महिला के परिवार–जन जामना लेकर आते हैं जिसमें महिला को कई प्रकार की सामग्री भेंट दी जाती है। सहरिया समाज में पुत्र होने पर तगाड़ी,

थाली बजाकर एवं पुत्री होने पर सूपड़ा बजाकर स्चना देने का रिवाज है।

IIII. नामकरण संस्कार : सहरिया जनजाति के लोगों में नामकरण संस्कार मुख्य रूप से जन्म के 6–7 दिनों में हो जाता है। इनमें परिवार के वृद्धजन बच्चें का नामकरण करते हैं। नामकरण सामान्यतः उस समय की विभिन्ना दशाओं के आधार पर भी किया जाता है।

IV. मुण्डन संस्कार : सहरिया जनजाति के लोग बच्चें की उम्र 2 से 7 वर्ष के बीच होने पर मुण्डन संस्कार का आयोजन रखते हैं, जिसमें बच्चें को चौक पर बिठाकर उसके बाल काटे जाते हैं। यह संस्कार किसी देव स्थान पर आयोजित किया जाता है, जिसमें देवताओं के प्रसाद एवं भोजन का आयोजन किया जाता है।

V. विवाह संस्कार : इस समुदाय के अन्तर्गत अंतर्विवाह होता है, जिसमें सीताबाड़ी के मेले में नवयुवक युवतियाँ अपनी पंसद से विवाह करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं तथा इसी मेले में अपने मेल के वर एवं वधु का चयन करके विवाह सम्पन्न किया जाता है। सहरिया समुदाय में कई प्रकार से विवाह किया जाता है जिसमें प्रेम–विवाह, गंधर्भविवाह, ब्रह्मविवाह, पिशाच विवाह, आदि को समाज में एक समान मान्यता

हैं, परन्तु अपराधिक प्रवृति होने पर समाज पंचायत द्वारा दण्डित किया जाता है।

VI. मृत्यु संस्कार : सहरियाओं की मृत्यु होने पर मृत्यु संस्कार करना अनिवार्य माना जाता है, जिसमें निम्न प्रकार के प्रमुख संस्कारों का आयोजन किया जाता हैः

(i) दाह संस्कार : सहरियाओं में दाह संस्कार से पूर्व शव को स्नान कराया जाता है तथा इसके बाद शरीर पर मेहन्दी एवं हल्दी का लप किया जाता है। इसके बाद सहरियाओ में बहनोई द्वारा कफन मंगवाया जाता है। उसके बाद शव को जलाते हैं।

(ii) बेलपत्ती या धारी संस्कार : सहरिया की मृत्यु के बाद तीसरे दिन धारी संस्कार मनाया जाता है, जिसमें शमशान की भूमि में चावल एवं पुष्प चढ़ाकर अस्थियों का संचय किया जाता है।

(iii) नवमीं की रस्म : सहरिया समाज में मृत्यु के नौ दिन बाद नवीं का नहान रस्म निभाई जाती है जिसमें विभिन्ना परिवार जनों के बाल काटे जाते हैं।

(iv) खच्च–मौसर : इस रिवाज के अन्तर्गत पुरूष की मृत्यु होने पर बारहवें दिन मृत्यु भोज करवाया जाता है एवं महिलाओं के मौसर ग्यारवें दिन किया जाता है।

6.2 मान्यताऐं

सहरिया समाज द्वारा अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित कई लोक परम्पराओं एवं मान्यताओं का निर्वहन किया जाता

है। मान्यताऐं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने पूर्वजों द्वारा गमन करती हैं। यह स्वभावतः विवेक पर निर्धारित होती हैं। इसीकारण हमारी संस्कृति से कई मान्यताऐं स्वतः ही समाप्त हो गई हैं तथा कई मान्यताऐं रीति–रिवाज बन गई हैं। सहरियाओं द्वारा निर्धारित प्रमुख लोक मान्यताऐं निम्नलिखित हैंः

I. जादू टोना : इसके अन्तर्गत सहरिया जनजाति के कई लोग मनोरंजन के लिए जादू टोना करते हैं। जादू टोना एक विशेष प्रकार की कला है जिसको सम्भवतः आजीविका के लिए सम्पादित किया जाता है।

II. मंत्र–तंत्र : मंत्र–तंत्र इनमें देव स्तुति का प्रमुख मार्ग माना जाता है, जिसके माध्यम से ईश्वर की शक्ति का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण व्यक्ति ईश्वर को खुश करने के लिए कई मंत्र–तंत्र का जाप करता है।

III. भूत प्रेत : यह मान्यताऐं व्यक्ति की आत्मा से सम्बन्धित मानी जाती हैं, जिसका सम्पर्क किसी व्यक्ति से न होकर कल्पना आधारित होता है। सहरिया समाज में ऐसी मान्यता है कि भूत–प्रेत ऐसी आत्माऐं होती हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल पाती है तथा इनके अनुसार आत्माऐं व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर व्यक्ति को अनियंत्रित बना देती हैं।

IV. झाड़–फूक : इस मान्यता का निर्वहन महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। महिलाऐं नज़र से बचने के लिए झाड़–फूक करवाती हैं।

V. छपड़ाव : इस मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तेजाजी के थानक पर चढ़े दूध को मकान एवं घर के चारों ओर छिड़कने पर जहरीले साँपों का भय नहीं होता। इसे घर के चारों ओर छिड़क दिया जाता है।

VI. गन्ना निषिद्धः इसके अन्तर्गत इन लोगों को ऐसी मान्यता है कि देवउठनी से पूर्व लोग गन्नों को तोड़ना निषेद्य मानते हैं। देवउठनी पर गन्नों की पूजा की जाती है, उसके बाद यह लोग गन्नों को तोड़ते हैं।

VII. घास भैरू की संवारी : सहरिया लोगों का विश्वास है कि गाँव में बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए घास भैरू की सवारी निकालते हैं, जिसे डोल के साथ सभी गाँववासी बैलों से घसीटते हुये घास भैरू की प्रतिमा को गाँव में घुमाते हैं, जिसे घास भैरू की सवारी कहते हैं।

6.3 रहन–सहन

सहरिया जनजाति का सहन–सहन दयनीय है। सामान्य जीवन को निवर्हन करने वाले यह लोग अधिकांशतः कच्ची झोपडियों में निवास करते हैं तथा भोजन की दृष्टि से भी इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्धता का अभाव रहता है। रहन–सहन की दृष्टि से सहरियाओं के जीवन का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः

I. निवास क्षेत्रः सहरिया जनजाति के लोग सामान्यतः राजस्थान के दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र में बाराँ जिले के गाँवों में निवास करते हैं। सहरियाओं के गाँव सामान्यतः प्रकीर्ण आवास प्रारूप में बने हुये हैं, जिनमें सहरियाओं

के निवास स्थान दूर–दूर बिखरे हुये होते हैं। इनके निवास स्थान पहाड़ी एवं उबड–खाबड़ क्षेत्र में वनों से घिरे हुये हैं, इन क्षेत्रों में समतल भूमि का अभाव पाया जाता है। इसी कारण इनके पास कृषि योग्य भूमि का अभाव होता हैं। सहरिया निवास को स्थानीय भाषा में 'सहराना' कहा जाता है। इनके मकान को टापरी कहा जाता हैं।

सारणी – 6.1
बाराँ जिले में तहसीलवार सहरिया गाँवों एवं परिवार का विवरण (2011)

क्र.सं.	तहसील	गावों की संख्या	परिवारों की संख्या
1	शाहबाद	142	10978
2	किशनगंज	49	3719
3	मांगरोल	17	327
4	अटरू	35	516
	कुल योग	243	15540

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

II. भोजन : सहरिया जनजाति जंगलों में निवास करने के कारण इनका भोजन मुख्य रूप से जंगलों से प्राप्त वस्तुऐं रही हैं, परन्तु जंगलों की कमी के कारण यह लोग धीरे–धीरे कृषि से प्राप्त अनाजों को भोजने के रूप में लेने लगे। इनका भोजन गेंहूँ, ज्वार, चावल आदि पमुख हैं। सहरिया लोग जंगली शिकार, कंद, मूल फल आदि को

भी बड़े चाव से खाते हैं। यह लोग मदिरा के शौकीन होते हैं तथा महुवा की मदिरा स्वयं बनाकर उसे पीते हैं।

III. वस्त्र : सहरियाओं के मुख्य आभूषण धोती, कुर्ता, घाघरा, लूगड़ी, अंगिया आदि माना जाता है। सहरिया लोगों के शरीर पर कपड़ों का अभाव रहता है। सामान्यतः सहरिया बालक निःवस्त्र देखे जाते हैं। आधुनिकीकरण के कारण सहरियाओं के वस्त्रों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है।

6.4 सामाजिक व्यवस्था

सहरिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था आदिवासी होने के कारण अन्य जनजातियों के समकक्ष मिलती–जुलती है परन्तु विविध पक्षों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता हैः

I. परिवार : सहरियाओं में ऐसी परम्पराऐं देखी जाती है जिसके अन्तर्गत विवाह के पश्चात् पुत्र पिता के साथ नहीं रहता तथा एकल परिवार सहरियाओं में अधिकतर देखे जाते हैं। विवाह के बाद पुत्र अलग से झोपड़ी बनाकर स्वतंत्र रूप से निवास करता है, परन्तु कुछ परिवारों में पिता–पुत्र साथ रहते हैं, जिन्हें यह लोग स्थानीय भाषा में कुटुम्ब कहते हैं। सहरियाओं में सामान्यतः हिन्दू रीति–रिवाज के अन्तर्गत सभी कार्य किये जाते हैं। इनके परिवार पितृ–सत्तात्मक होते हैं, जिसमें पिता ही सर्वेसर्वा होता है तथा पिता से अलग रहते हुये भी पुत्र कर्त्तव्यों का पालन एवं पिता के आदेशों की पालना करता है।

II. पुरखत : सहरिया कुटुम्ब की विभिन्न पीढ़ियों को सामूहिक रूप से पुरखत कहा जाता है जिसमें विभिन्न पुरखों की संतानों को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः चार–पाँच पीढ़ियों के परिवारजनों को पुरखत माना जाता है, जिनमें रक्त सम्बन्ध होता है तथा यह एक दूसरे के भाई–बन्धू होते हैं।

III. कुल : सहरिया पुरखत मिलकर कुल बनता है, कुल विभिन्न क्लानों में बँटें होते हैं। सहरियाओं के क्लानों में राजोरा, कुहार, खनवार, बेडगौर, बडुरिया, बरलिया, दोसानिया, चौकद्वार, गरबार, बदराली, चौहान, सोलंकी, रठवार आदि हैं, जो समूह के रूप में एक दूसर से जुड़े रहते हैं।

IV. गोत्र : सहरिया कुल विभिन्न गोत्रों में विभाजित होते हैं जिनके आधार पर अलग–अलग परिवारों को पहचाना जाता है। एक ही गोत्र के सहरियाओं को गोती कहा जाता हैं। स्वयं के गोत्र के साथ विवाह निषेध माना जाता है तथा विवाह सम्बन्ध हेतु सहरिया समाज स्वयं के गोत्र, माँ का गोत्र, दादी का गोत्र एवं नानी के गोत्र में विवाह की अनुमति नहीं देता।

सारणी 6.2 : सहरियाओं के गोत्र

क्र.सं.	गोत्र	क्र.सं.	गोत्र
1	चौहान	14	डोडिया
2	सोलंकी	15	गरवाड

3	परमार	16	सोलिया
4	नौगापन	17	वाघेला
5	पवार	18	मोवार
6	डोरिया	19	अलेरिया
7	कसरिया	20	मोहल
8	पारोनी	21	बगरूलिया
9	सोहरा	22	जेसवाल
10	मारिया	23	नमोरिया
11	चाकरिया	24	कडेवाल
12	अलेरिया	25	पगारिया
13	कुण्डावत	26	कुशपाल

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

अध्याय–सप्तम्

सहरिया जनजाति के विकास हेतु सरकारी प्रयास

7.1 सरकार की योजनाएँ

7.2 स्वयं समूह संस्थाओं का सहयोग

7.3 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

अध्याय–सप्तम्

सहरिया जनजाति के विकास हेतु सरकारी प्रयास

स्वतन्त्रता के बाद 26 जनवरी, 1950 को स्वीकार किये गये भारतीय संविधान में, भारत में रहने वाली सहरिया जनजाति की उन्नति के लिए कई नीतियों का निर्माण किया गया। इस प्रकार सहरिया जनजातियों की एकता के लिए संविधान में 10 वर्ष की अवधि के लिए सहरिया जनजाति तथा अन्य अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान की। सन् 1960 तक सहरिया जनजाति को शिक्षा का ज्ञान, छात्रवृत्ति, विद्यालय फीस में छूट और विशेष मदद, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, संसद में स्थान, राज्य सभा और क्षेत्रीय परिषद् में स्थान, क्षेत्रीय संगठन तथा राज्य में सहरिया जनजाति के लिए विशेष कोष की स्थापना आदि सहायता सरकार द्वारा दी गई है। संविधान में अनुसूचित जाति तथा जनजाति जो पिछड़ी हुई थी, को विशेष अधिकार उपलब्ध कराये गये हैं। उनके विकास के लिए प्रयास किए गए तथा यह प्रयास वर्तमान में भी जारी हैं। सन् 1951 में जनजाति कल्याण विभाग प्रारम्भ किया। इसका कार्य सरकार द्वारा चलाये गये विकास कार्यक्रम को पूरा करना था। पंचवर्षीय योजनाओं ने इस कल्याण विभाग को अत्यधिक योगदान दिया और उपकरणों तथा औजारों को खरीदने के लिए इनके कोष को सहायता राशि भी दी। सहरियाओं के अत्यधिक लाभ तथा कल्याण के लिए छोटे–छोटे ब्लॉक बनाये जिनकों ''जनजाति विकास विभाग'' कहा गया। इनका निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। इन विभागों में सहरियाओं के कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया गया। जिसका बेहतर परिणाम लगातार

सामने आ रहा हैं। वर्तमान में भी सरकार इनकी आर्थिक व सामाजिक उन्नति करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

सारणी 7.1
सहरिया क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2004-5	394.27
2	2005-6	579.93
3	2006-7	560.93
4	2007-8	980.18
5	2008-9	1870
6	2009-10	364.72
7	2010-11	1802.85
8	2011-12	3994.08
9	2012-13	4055
10	2013-14	4474.32

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

7.1 सरकार की योजनाऐं

सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सहरियाओं के विकास के लिए कई योजनाऐं स्वीकृत की गई। जिनमें विभागों के अनुसार विभिन्ना योजनाओं का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता हैः

आरेख संख्या – 11 : सहरिया क्षेत्र में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)

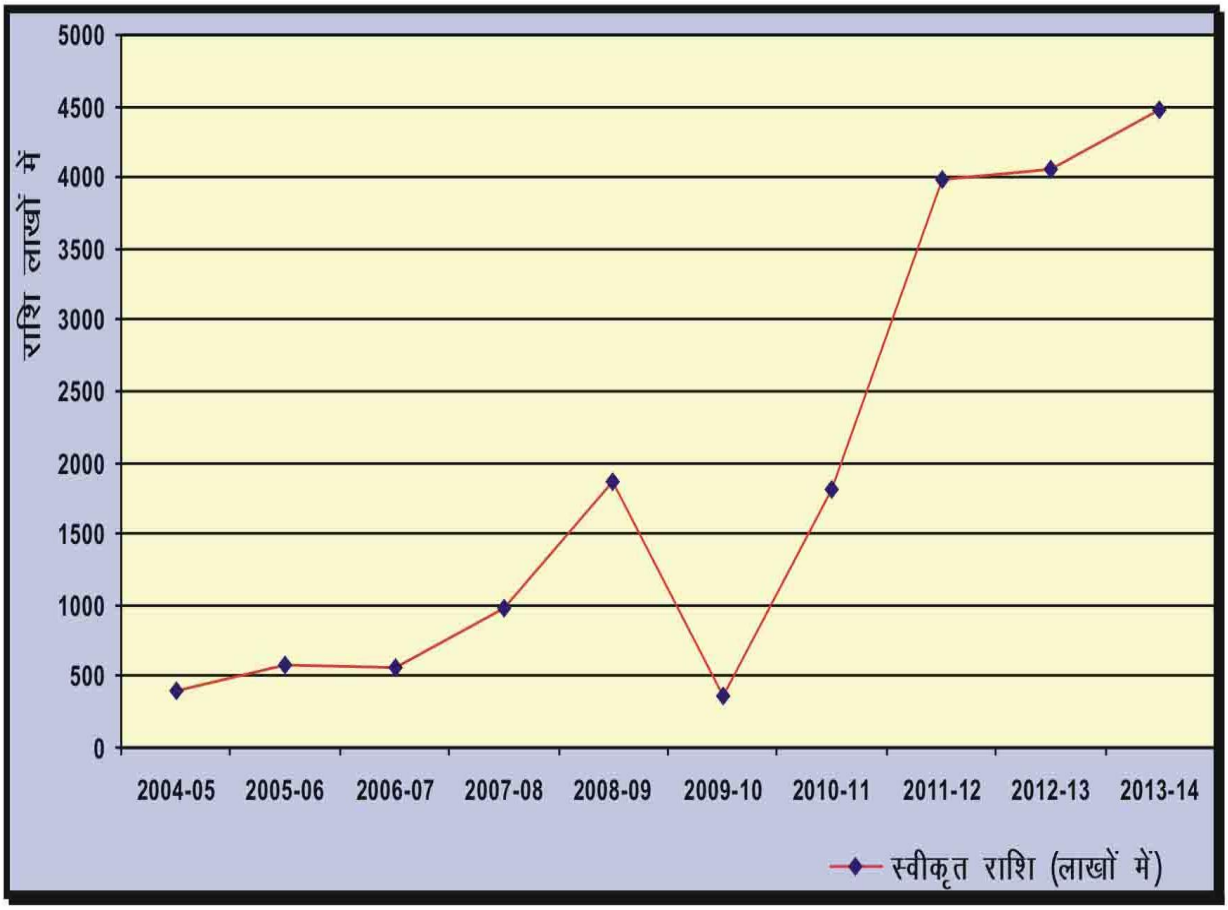

I. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग : इस विभाग के अन्तर्गत महानरेगा, बीपीएल आवास, परिवार कल्याण आदि योजनाओं को रखा जाता है, जिसके अन्तर्गत शाहबाद व किशनगंज सहरिया क्षेत्रों में क्रमशः 3854, 16178 श्रमिक महानरेगा में कार्यरत हैं। इस प्रकार यह देखा गया है कि यहाँ पर श्रमिकों की संख्या संतोषजनक नहीं है, केवल परिवार के एक या दो वयस्कों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस प्रकार महानरेगा योजना का लाभ इन व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कई कारण अध्ययन के दौरान सामने आये, जो निम्नलिखित हैं:

- योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से सहरियाओं को प्राप्त नहीं होता।
- स्वभाव से सहरिया जाति के लोग आलसी होने के कारण नरेगा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
- महानरेगा योजना के अन्तर्गत परिवार के केवल कुछ ही व्यक्तियों को रोजगार मिल पाता है, अन्य लोग बेरोजगार रहते हैं।
- योजना में विभिन्ना ग्राम पंचायतों में पदस्थापित कार्मिकों का व्यक्तिगत रवैया इनके प्रति संतोषजनक नहीं होता।
- इस योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्य एक साथ काम नहीं कर सकते। इस कारण एक

व्यक्ति कार्य करता हैं एवं परिवार के अन्य सभी सदस्य बेरोजगार रहते हैं।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना में सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत की गई राशि के अनुसार मकानों का कार्य प्रगति पर है जिसमें शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में वर्षवार आवासों की स्वीकृति का विवरण निम्न प्रकार हैः

सारणी 7.2

शाहबाद व किशनगंज में आवासों का विवरण

वर्ष	शाहबाद में स्वीकृत आवास	किशनगंज में स्वीकृत आवास
2011-12	737	1221
2012-13	719	1234
2013-14	702	243

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

II. बाल विकास परियोजना

इस योजना का मुख्य कार्य बालकों पर केन्द्रित होता है, जिसमें शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के विभिन्ना गाँवों के सर्वे से स्पष्ट हुआ है कि शाहबाद ब्लॉक में 0–6 आयु वर्ष के कुल 14545 बच्चें पंजीकृत हुये। जिसमें 1700 बच्चें 2014 में कुपोषित माने गये तथा 266 बच्चों को युनिसेफ द्वारा किये गये सर्वे में कुपोषित माना गया। कुपोषित बालकों के कुपोषण को मिटाने के लिए सरकार द्वारा एक आंगनबाडी कार्यकर्ता के लिए पाँच परिवारों को

दायित्व दिया गया जो अविलम्ब इनको कुपोषण से बाहर करने में सहायक सिद्ध होंगे। सरकार द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ियों द्वारा कुपोषण को समाप्त करने की योजना बनाई।

III. चिकित्या एवं स्वास्थ्य विभाग

इस विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की योजनाऐं सरकार द्वारा संचालित हैं जिसके अन्तर्गत सभी बीमार व्यक्तियों को निःशुल्क दवा वितरण का प्रावधान रखा गया तथा दूरदराज स्थित गाँवों में वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई जिसके माध्यम से सहरिया नवजात बालकों को सुविधा प्रदान हो सके जिससे सहरियाओं के बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सहरियाओं को विभिन्न प्रकार की सरकारी जाँच करवाने पर शुल्क मुक्त रखा गया। जिससे विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाऐं इन्हें निःशुल्क प्राप्त हैं।

IV. जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

शाहबाद ब्लॉक में दो पाईप्ड स्कीम है जो कस्बाथाना एवं शाहबाद में स्थित है। शाहबाद तहसील के अर्न्तगत ग्राम पंचायत केलवाड़ा, समरानिया, राजपुर, देवरी आदि पंचायतों में जल सुविधा पाइप लाइनों द्वारा उनुलब्ध हैं। जनता जल योजनान्तर्गत महोदरा, मामोनी, केदारकुई, हलवानी, गणेशपुरा, जकोणी, खैराई एवं गगरेटा, परेदुआ आदि में यह योजना संचालित है तथा ग्राम बैटा, तैलनी, बडारा, खाण्डा, सहरोल एवं कलौनी की स्कीमें नलकूप फेल

हो जाने से बन्द हैं। विभाग द्वारा ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी हैं।

सारणी 7.3

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि
1	कन्या आवासीय विद्यालय किशनगंज में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण	2012-13	19.04
2	कन्या आवासीय विद्यालय शाहबाद में पेयजल व्यवस्था हेतु पाईप लाईन बिछाने बाबत्	2013-14	9.44

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

V. सार्वजनिक निर्माण विभाग

सार्वजनिक निमार्ण विभाग के द्वारा बाराँ जिले में सहरिया विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008 से 2013–14 में 4 करोड़ 97 लाख रूपये की राशी स्वीकृत की गई जिससे वर्ष 2008–09 में 50 लाख छात्रावास भवन निर्माण रामगढ़ के लिए एवं 2010–11 में छात्रावास भवन जलवाड़ा के लिए 50 लाख, वर्ष 2011–12 में छात्रावास बांसथूनी के निर्माण के लिए 50 लाख, छात्रावास हाटड़ी के लिए 50 लाख एवं सहरिया बस्ती कल्वर्ट निर्माण के लिए 51 लाख रूपये स्वीकृत किये गये तथा आवासीय विद्यालय परानिया और आवासीय विद्यालय खुशियार के लिए 55–55 लाख रूपये वर्ष 2011–12 में वित्तीयन किया गया। सार्वजनिक निर्माण

विभाग बाराँ द्वारा आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कवाई के लिए वर्ष 2013–14 में 98 लाख एवं आवासीय विद्यालय भवन कोयला हेतु 98 लाख रूपये स्वीकृत किये गये।

सारणी 7.4

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि
1	छात्रावास भवन निर्माण रामगढ़	2008-09	50
2	छात्रावास भवन निर्माण जलवाड़ा	2010-11	50
3	छात्रावास भवन निर्माण बासथूनी	2011-12	50
4	छात्रावास भवन निर्माण हाटडी	2011-12	50
5	सहरिया बस्तीयों में कल्वर्ट निर्माण	2011-12	51
6	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण परानिया	2011-12	55
7	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण खुशियार	2011-12	55
8	सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां आवा. वि. भवन निर्माण कवाई हेतु	2013-14	98
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां आवा. वि. भवन निर्माण कोयला हेतु	2012-13	98

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

VI. कृषि विभाग

बाराँ जिले में सहरिया लघु सीमान्त कृषकों के समेकित विकास के लिये वर्ष 2010–11 में 124.29 लाख रूपये स्वीकृत किये गये एवं वर्ष 2011–12 में 15.8 लाख रूपये लघु कृषकों के लिए स्वीकृत किये गये जो वर्ष 2012–13 में राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ाकर 70 लाख रूपये लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये भूमि सुधार एवं फसल विकास हेतु कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये और 2013–14 में 10 लाख रूपये कृषि में सिंचाई साधनों के उन्नयन हेतु स्वीकृत किये गये।

अतः वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक सहरिया कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 20 लाख रूपये राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये। जिससे सहरिया कृषकों की आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव आया है। परम्परागत बीजों के स्थान पर अब कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित हाईब्रिड बीजों का उपयोग करने लगा है। फसलों को रोगमुक्त रखने के लिए रासायनिक दवाओं का उपयोग करने के साथ ही खेतों म आधुनिक कृषि यंत्र जैसे– हार्वेस्टर, रोटावेटर, क्रेवलर, सीडड्रिल व सिंचाई में पलेवा (Flud Pattern) के स्थान पर स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करने लगे हैं।

सारणीः 7.5

कृषि योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि
1	लघु कृषकों के लिए समेकित विकास योजना	2010-11	124.29
2	लघु कृषकों के लिए समेकित विकास योजना	2011-12	15.8
3	लघु कृषकों के लिए समेकित विकास योजना	2012-13	70
4	लघु कृषकों के लिए समेकित विकास योजना	2013-14	10

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

VII. विद्युत विभाग

सहरियाओं को बिजली की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है जिसके अन्तर्गत सभी सहरिया परिवारों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

VIII. रसद विभाग

इस विभाग के अन्तर्गत सहरियाओं को विभिन्न खाद्य सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जाती हैं जिसमें सहरिया परिवारों को खाद्य सामग्री में 2 लीटर तेल, एक लीटर घी, 2 किलो दाल एवं गेहूँ सरकार द्वारा निःशुल्क दिये जा रहे हैं। जिसमें प्रत्येक पंचायत पर उचित मूल्य की दूकान पर खाद्य आपूर्ति की विभिन्न वस्तुऐं उपलब्ध कराई जाती हैं।

IX. अन्य विभिन्न योजनाऐं

विभिन्न विभागों के अतिरिक्त सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक सरकार द्वारा सहरियाओं के विकास के लिए कई प्रयास किये गये जिसमें सहरियाओं के लिए लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता हैंः

- जनजाति कल्याण विभाग, 1951ः सहरियाओं के लाभ एवं कल्याण हेतु 1951 ई. में इस विभाग का गठन हुआ तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे और भी प्रभावी बनाया गया।
- राजस्थाान ऋणग्रस्तता मुक्ति अधिनियमः गरीब सहरियाओं को जमींदारों के चंगुल से बचाने हेतु 1957 ई. का यह अधिनियम उन्हें कर्ज से सुरक्षा प्रदान करता है। राजस्थान साहूकार अधिनियम,1963 के अनुसार कोई भी ऋणदाता ब्याज की रकम मूल से अधिक वसूल नहीं कर सकता।

- बधुआ मजदूरी से मुक्ति अधिनियम, 1961: इस अधिनियम के तहत कोई सहरिया किसी जमींदार से कर्ज न चुकाने की स्थिति में उसके घर या खेत में मजबूरन काम करने के लिए बाध्य नहीं है।
- ऋणग्रस्तता मुक्ति अधिनियम,1976 : सहरिया समुदाय के 96 सहरियाओं के कर्ज में डूबी जमीन जायदाद को इस अधिनियम के अन्तर्गत मुक्त कराया गया।
- विशेष विकास कार्यक्रम, 1977–78 : सहरियाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से गठित इस विशेष विकास कार्यक्रम में 435 गाँवों को शामिल किया गया।
- स्वास्थ्य कार्यक्रम, 1991 : किशनगंज, कलवाडा, देवरी, कस्बाथाना आदि 15 सहरिया बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम 1991 के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हुई, जहाँ सहरियाओं को निःशुल्क उपचार एवं दवा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- रिवालियन फंडः इसके अन्तर्गत महाजनों के चंगुल से मुक्ति हेतु सहरियाओं को कृषि सामान हेतु ब्याज–मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया।
- डीजल विद्युत पंप सेट वितरण योजना, (1986–87)– इस योजना का उद्देश्य सहरिया कृषक की सिंचाई सुविधा को बढ़ाना है।

- अंशपूंजी क्रय अनुदान योजना : सहरियाओं को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने के उद्देश्य से उनके शेयर क्रय करने हेतु अनुदान की योजना है।
- सहरिया बस्ती में हैंण्ड पम्प योजना : पेयजल की विकट समस्या को दूर करने एवं स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने हेतु इस योजना में सहरिया बस्तियों में हैंण्डपम्प लगाने का प्रावधान है।
- गाय क्रय अनुदान : दुग्ध–उत्पादन हेतु दो गायों की एक युनिट सहरिया लाभार्थी को पचास प्रतिशत के अनुदान पर देय है।
- क्षय–रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य कर्मी योजना : सहरियाओं में साधारण जनता की तुलना में कई गुना अधिक क्षय रोग विद्यमान हैं। क्षय रोग के निवारण हेतु यह याजना गठित की गई है।
- मुख्यमंत्री जीवनरक्षा कोष योजना : इसके अन्तर्गत सहरिया परिवारों को आउटडोर एवं इनडोर स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।
- सहरिया विकास कार्यक्रम : इसके अन्तर्गत वर्ष 1977–78 से 1995–96 तक आवंटित 9 करोड़ 72 हजार 300 रू. की राशि में स 7 करोड़ 41 लाख 34 हजार 500 रू. व्यय किये गये। इनमें प्राथमिकता सिंचाई एवं शिक्षा को दी गई तथा 6 करोड़ 6 लाख 79 हजार 200 रू. की राशि से स्थायी संपत्तियाँ भवन–एनिकट निर्माण, जलोत्थान

- सिंचाई योजना, हैंण्डपंप स्थापना, डीजल पम्पसेट गृहनिर्माण, अस्पताल, छात्रावास, भवन–निर्माण, सड़क–निर्माण, सहरिया बस्तियों में विद्युतिकरण आदि अर्जित की गई। इनके अलावा आश्रम छात्रावास के संचालन पर 99 लाख 39 हजार 200 रू. व्यय किये गये तथा 1 करोड़ 37 लाख 900 रू. की राशि कृषि सेवाओं, चिकित्सा–शिविरों, निःशुल्क पुस्तकें, पौशाक वितरण, छात्रवृति, सहकारिता, प्रशिक्षण एवं वन विकास आदि पर व्यय किये गये।
- सहरिया विकास परियोजना : किशनगंज – शाहबाद के सहरियाओं के उत्थान के लिए वर्ष 1977–78 में अलग से सहरिया विकास परियोजना बनाई गई थी। यहाँ अलग से अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया जो सहरिया विकास परियोजना के रूप में कार्य करते हैं। इस परियोजना के आधीन 4 आवासीय विद्यालयों, 24 छात्रावासों, 200 से अधिक माँ–बाड़ी केन्द्रों के संचालन व भवन निर्माण समेत कुछ जगह चिकित्सालयों में एमटीसी, जिले के सहरियाओं का निःशुल्क दाल, तेल, घी की योजना, सहरिया आवासों के निर्माण समेत कई योजनाओं के लिए अब तक बजट मिलता आया है। एमटीसी में सहरिया बच्चों के परिजनों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का वहन भी परियोजना करती है।

- सहरिया विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्ना योजनाऐंः इसके अन्तर्गत 22 सहरिया आश्रम छात्रावासों को संचालन, दो आवासीय सहरिया विद्यालय का संचालन, शाहबाद एवं किशनगंज में जन श्री बीमा योजना में 6750 सहरिया व्यक्तियों का बीमा, मुफ्त पोशाक वितरण, मुफ्त स्टेशनरी वितरण, निःशुल्क सामुदायिक डीजल पम्प का वितरण, सहरिया कृषकों को भूमि सिंचित करने हेतु सामुदायिक कृषि ट्यूबवेल, शाहबाद तहसील में 2658 एवं किशनगंज तहसील में 1842 सहरिया आवास, कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक सहरिया छात्रों को 20 हजार रू. सहरिया छात्रवृति बीए.एस.टी.सी. परीक्षार्थी को 40 हजार रू. देय।
- जनजाति कल्याण निधि योजना : शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा आर.ए.एस. की प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर सेन्ट्रल फोर ट्राइवल डेवलपमेंट की ओर से अनुप्रति योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि स्वरूप 25 हजार रू. दिये जाने का प्रावधान है।
- औद्योगिक क्षेत्र में सहरियाओं को नौकरी : 21 अप्रेल 2011 की रीको के तत्कालीन प्रबंध निदेशक राजेन्द्र भाणावत द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उद्यमियों द्वारा सहरियाओं को नौकरी देने पर उन्हें सरकारो अनुदान दिया जायेगा।

- कुपोषित बच्चों में कुपोषण निवारण : सहरिया कुपोषित बच्चों में कुपोषण से निवारण हेतु पूर्व मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने सहरिया परिवारों में 35 किलो गेहूं के अलावा 2 किलो दाल एवं 5 किलो तेल देने की दिनांक 3 नवम्बर 2012 को शाहबाद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी। इससे 22 हजार सहरिया परिवार लाभाविन्त हो रहे हैं।
- 3500 सहरिया परिवार लाभाविन्त : मार्च 2013 से किशनगंज शाहबाद की तरह बारां जिले के अन्य तहसीलों के 3500 सहरिया परिवारों के लिए भी सहरियाओं को दी जाने वाली तमाम सुविधाऐं लागू कर दी गई हैं। अब तक बाराँ जिले के सिर्फ किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में रहने वाले सहरिया ही राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित थे।
- महानरेगा में 100 की जगह 200 दिन का रोजगार : बाराँ जिला देश का पहला जिला है जहाँ सहरिया परिवारों को साल में 200 दिन के रोजगार की गांरटी सरकार की ओर से प्रदान की गई है।
- वर्ष 2011–12 के बजट में विशेष पैकेज : विशेष पैकेज के अन्तर्गत सहरियाओं के कल्याणार्थ आवासीय विद्यालयों के लिए 2 करोड़ रू. की स्वीकृति जारी, 50 माँ–बाड़ी केन्द्रों की स्थापना, शाहबाद में आईटीआई की स्थापना, महिलाओं के 534

स्वयं सहायता समूहों का गठन व 104 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया है। बाराँ के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में सहरिया जनजाति की महिलाओं की स्वयं सहायता समूह द्वारा लिये जाने वाले बैंक ऋणों पर 50 प्रतिशत का प्रावधान कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उन्हें ब्याज–अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहन। अब तक 304 समूह का गठन एवं 39 स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण प्रदान की गई है।

- सहरिया जनजाति की 400 महिलाओं को रोजगार : अगस्त 2013 में बाराँ जिला के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के गाँवों में कुपोषण, क्षय राग एवं अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियों के रोगियों की पहचान एवं पूर्ण स्वस्थ्य होने तक आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सहरिया जाति की 400 महिलाओं को प्रशिक्षित कर नियुक्त किया गया।

भविष्य में सहरियाओं के कल्याणार्थ ऐसी कई अन्य योजनाऐं लागू किये जाने की सहरियाओं को सरकार से आशा है। देखना होगा कि राज्य सरकार सहरियाओं के विकास एवं कल्याण के लिए क्या–क्या नई योजनाऐं लागू करती है?

7.2 स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग : राजस्थान सरकार के सहयोग एवं केन्द्र सरकार से स्वीकृत राशि के सहयोग से विभिन्न स्वयंसेवी संगठन (NGO) भी सहरियाओं

के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा हैं जिसमें विभिन्न संस्थाओं के कार्य का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः

सारणीः 7.6

स्वच्छ परियोजना द्वारा संचालित योजना

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	सहरिया आवास निर्माण	2008-9	509.4
2	सहरिया आवास निर्माण	2009-10	439.4
3	मॉ बाडी भवन निर्माण (50)	2011-12	155
4	मॉ बाडी भवन निर्माण (27)	2011-12	29.16
5	मॉ बाडी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	2012-13	284
6	सहरिया आवासो में रसोईघर एवं पक्का फर्श निर्माण	2012-13	334.59
7	डेकेयर भवन निर्माण	2013-14	264.2
8	क्षय रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य कर्मी योजना	2013-14	39.75
9	मॉ बाडी केन्द्रों के कर्मिको का प्रशिक्षण	2013-14	15

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

I. सहरिया आवास निर्माण (2008–09) : वित्तीय वर्ष 2008–09 में 583 आवास स्वीकृत हुये थे। उक्त आवास निर्माण हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी को 509.40 लाख रू. हस्तान्तरित किये गये थे जिसमें कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 500 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। 583 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

II. सहरिया आवास निर्माण (2010–11) : वित्तीय वर्ष 2009–10 में 503 आवास स्वीकृत हुये थे। उक्त आवास निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी को 439.40 लाख रू. हस्तान्तरित किये गये थे। जिसमें कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 285.30 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। जिसमें 327 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 176 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

III. माँ–बाडी भवन निर्माण : वित्तीय वर्ष 2010–11 में 50 माँ–बाड़ी भवन निर्माण हेतु 150.00 लाख रू. स्वीकृत हुये थे। उक्त राशि कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित कर दी गई जिसमें कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 59.28 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। माँ–बाड़ी निर्माण कार्य 20 का पूर्ण हो चुका है।

IV. माँ–बाड़ी भवन निर्माण : वित्तीय वर्ष 2011–12 में 27 माँ–बाड़ी भवन निर्माण हेतु 29.16 लाख रू. स्वीकृत हुये थे। उक्त राशि कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित कर दी गई जिसमें कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

V. माँ–बाड़ी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण : वर्ष 2012–13 में 284.00 लाख रू. स्वीकृत हुये थे। उक्त माँ–बाड़ी में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी को 284.00 लाख रू. हस्तान्तरित किये गये थे जिसमें कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 12.00 लाख रू. व्यय किये जा चुके है।

VI. सहरिया आवासों में रसोई घर एवं पक्का फर्श निर्माण : वर्ष 2012–13 में 334.59 लाख रू. स्वीकृत हुये थे। उक्त सहरिया आवास में रसोई घर एवं पक्का फर्श निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी को 161.34 लाख रू. हस्तान्तरित किये गये थे जिसमें कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 15.44 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2009–10 में स्वीकृत आवास 503 के विरूद्ध 146 आवासों पर फर्श एवं रसोई का कार्य पूर्ण किया हैं। 67 आवासों पर कार्य प्रगति पर हैं एवं 213 आवासों का कार्य शेष है। वर्ष 2008–9 में स्वीकृत आवास 583 के विरूद्ध 331 आवासों में फर्श एवं रसोई का कार्य पूर्ण किया गया है।

VIII. डे–केयर भवन निर्माणः वर्ष 2013–14 में 264.20 लाख रू. स्वीकृत हुये थे। 50 डे–केयर भवन निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी को 132.10 लाख रू. हस्तान्तरित किये गये थे जिसके विरूद्ध 20 का निर्माण किया गया है। 27 माँ–बाड़ी केन्द्र वर्ष 2011 के अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं जबकि सभी के पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

IX. क्षय रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य कर्मी योजना : इस योजना के अन्तर्गत क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके लिए बजट राशि 39.75 लाख रू. में से वर्ष 2013–14 में 8.65 लाख रू. व्यय किये जा चुके है। वर्तमान में 31.10 लाख रू. बचत राशि एजेन्सी के पास उपलब्ध हैं। उक्त कार्य सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी के माध्यम से करवाया जाता हैं। इसके अन्तर्गत सर्वे कराया जाकर क्षय रोगियों को चिन्हित किया जाता है तथा उनका उपचार प्रारम्भ करवाया जाता हैं। माह अगस्त 2014 तक 206 नवीन रोगियों की पहचान की गई। जिनमें 156 रोगियों का इलाज पूर्ण हो चुका है।

X. माँ–बाड़ी केन्द्रों के कार्मिकों का प्रशिक्षण : फेसिलिटेटर के लिए स्वच्छ परियोजना 15.00 लाख रू. आवंटित किये गये थे परन्तु इसके सम्बन्ध में स्वच्छ परियोजना द्वारा 3.49 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। शेष राशि 11.51 लाख रू. परियोजना स्वच्छ के पास उपलब्ध हैं।

सारणी 7.7
IIRD द्वारा सहरिया आवास निर्माण का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	सहरिया आवास निर्माण	2011-12	1190.76
2	सहरिया आवास मय फर्श एवं रसोईघर	2013-14	129.58
3	सहरिया आवास निर्माण	2013-14	660.00

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी विभाग, बाराँ

(i) सहरिया आवास निर्माण (2011–12) : वर्ष 2011–12 में उक्त आवास निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी को 1190.76 लाख रू. स्वीकृत हुये थे जिसमें से कार्यकारी एजेन्सी को 1071.68 लाख रू. हस्तान्तरित किये गये थे। जिसके द्वारा 1364 आवासों का निर्माण किया जाना था जिसमें 583 पूर्ण हो चुके हैं शेष 704 आवास निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। शेष 77 सहरिया आवासों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया हैं।

(ii) सहरिया आवास मय फर्श एवं रसोईघर (2013–14) : वर्ष 2012–13 में उक्त सहरिया आवास में रसोई घर एवं पक्का फर्श निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी को 129.58 लाख रू. हस्तान्तरित किये गये थे जिसमें कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 128.4 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।

(iii) सहरिया आवास निर्माण (2013–14) : वर्ष 2012–13 में 1000 आवास निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी को प्रति आवास 1.50 लाख के हिसाब से 440 आवास हेतु 660.00 लाख प्राप्त कर कार्यकारी एजेन्सी को हस्तान्तरित किये गये थे। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा 440 मकान बनाने थे, जिसमें से राशि व्यय शुन्य हैं। आवास निर्माण कार्य पारम्भ नहीं किया है।

7.3 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

बाराँ जिले में सहरियाओं के जीवनयापन एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सम्बन्धित जानकारियों को भी प्रस्तुत

शोध में समाहित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर निवास करने वाली सहरिया जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। इनका जीवन दुर्लभ हैं कि इन परिवारों का खर्चा इनसे नहीं चल पाता है। जब इस क्षेत्र में कुपोषण फैला तो यह खबर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा में रही। इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जैसे यूनीसेफ व विकसित राष्ट्र जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों ने सहरिया जनजाति को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कई तरह से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जैसे– माँ–बाड़ी पोषण संस्थाएँ जिसके द्वारा 0–6 वर्ष के बच्चे का पोषण पूर्ण रूप से करने के लिए इन संस्थाओं के द्वारा विभिन्न वित्तिय वर्षों में लाखों रूपयों का वित्तियन किया गया। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को पूर्ण पोषण के लिए यूनिसेफ के द्वारा विभिन्न प्रकार की दवाईयाँ व न्यूट्रिशन मिल्क पाउडर व मौसमी बिमारियों से बचने के लिए समय–समय पर विशेष योजनाएँ चलाई जाकर इनकों आर्थिक–सामाजिक रूप से विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्याय–अष्टम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

8.1 सहरियाओं की समस्याएँ

8.2 सहरियाओं के कल्याणार्थ सरकारी योजनाओं की क्रियान्विती

8.3 सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद द्वारा संचालित विविध योजनाएँ

8.4 सुझाव

अध्याय–अष्टम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

सहरिया जनजाति इस भूमि के मूल निवासी हैं। आर्य लोगों के भारत में आने से पहले ही ये लोग विभिन्न भागों में बस गये थे। उन्होंने धीरे–धीरे थोड़ी–थोड़ी संख्या में अपने आवास को छोड़कर आगे बढ़ना शुरू किया जब तक कि उनको अपनी राज्य स्थली घने जंगल, पहाड़ियाँ, पर्वतीय ढालू क्षेत्र आदि नहीं मिल गये और यह प्रकिया कई शताब्दियों तक चलती रही।

बाद में भारत में विदेशियों का आगमन हुआ और उन्होने इन जनजातियों की भूमि पर आक्रमण करके सहरियाओं को अपनें स्थान से भगा दिया। उच्च संस्कृति के होने के कारण प्रवासी लोग इस कार्य में सफल हो गये परन्तु वहाँ अभी भी इतनी खाली जगह थी कि सहरियाओं ने अपने स्थानों को छोड़कर वहाँ जाकर बसना शुरू कर दिया, जहाँ पर उनके जीवन इतिहास में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसी तरीके से यह जनजाति जंगलों की आदी बन गई और सहरिया जाति इसके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकती थी। सहरियाओं के सामाजिक रीति–रिवाज हिन्दुओं से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं और वे भी हिन्द धर्म के देवी–देवताओं जैसे कि राम, हनुमान, तेजाजी, दुर्गा आदि की पूजा करते हैं। इस प्रकार जितने त्यौहार हिन्दुओं द्वारा मनाये जाते हैं उतने ही सहरियाओं द्वारा भी मनाये जाते हैं। जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि इसके बावजूद यह अंधविश्वासी हैं, जैसे भूत व चुड़ेल की आत्मा में, शरीर में देवी–देवताओं के निवास में।

सहरियाओं द्वारा हिन्दू सभ्यता और संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया रही है जो जनजातियों की संस्कृति पर आर्यों की संस्कृति का प्रभाव दर्शाती है। इसके अतिरिक्त सहरियाओं ने अपनी अलग स्थिति के अनुसार स्वयं की पंचायत का निर्माण करके अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा है। इस पंचायत के नियमों में सभी सहरिया बंधे होते हैं। इस प्रकार से यह पंचायत सहरियाओं के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धर्म के मामले में वैसे भी वे हिन्दु धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। वे अपने पूजा स्थलों को अपने समाज से विशेष रूप से बाहर ही बनाते हैं। उनकी बहुत सारी परम्परायें हिन्दुओं से भिन्न हैं।

सहरिया समुदाय में पण्डित और पुजारी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इस जनजाति में पण्डित का कार्य या तो परिवार के बड़े आदमी या फिर गाँव के बुजुर्ग व्यक्ति से करवाये जाते हैं। शादी समारोह में भी उनके रीति–रिवाज भिन्न होते हैं। जो हिन्दुओं में नहीं होते। जैसे कि दुल्हा फेरे करवाता है दुल्हन नहीं। यहाँ तक की दुल्हे के पिता द्वारा ही शादी समारोह में खाने–पीने का कार्यक्रम किया जाता है।

सहरियाओं के चरित्र में कुछ खास बातें होती हैं, वे ईमानदार होते हैं, वे अपराधी नहीं होते हैं। वे चोरी से घृणा करते हैं और इसे समाज में बहुत बुरा कार्य समझा जाता है। यह देखा गया हैं कि अदालत में सहरियाओं के इस मामले में एक भी मुकदमा नहीं है।

सहरिया शान्ति से रहने वाली जनजाति है। ये संघर्ष नहीं करना चाहते हैं।

हिन्दुओं में सहरियाओं का सम्बन्ध मुख्य रूप से महाजनों से होता है। क्योंकि ये आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हीं से धन उधार लेते हैं। दूसरे रूप में ये जमोंदारों से कर्ज लेते हैं और उन्हीं के यहाँ मजदूरी करते हैं।

सहरिया जनजाति की आर्थिक स्थिति में अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। उनकी आय कम होने के कारण उन्हें मजबूरी में महाजनों या जमींदारों से ऋण लेने पड़ते हैं। तब से ही ये जमींदार उनसे अपने खेतों पर कार्य करवाते हैं। सहरियाओं को उनका कर्ज चुकाने व अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके यहाँ पर एक निश्चित अवधि तक हाली (बंधुआ मजदूर) के समान कार्य करना पड़ता है।

सहरियाओं के मध्य भूमि स्वामित्व की समस्या सामन्तवादी प्रथा की ही एक प्रवृत्ति है। सहरिया अत्यधिक गरीब होते हैं, इसलिए अन्य हिन्दू जातियों सिक्ख, जाट आदि ने इनकी गरीबी का पूरा–पूरा लाभ उठाया है। यहाँ तक कि इनकी जमीनों को भी हड़प लिया है। सहरियाओं के हाथों से जमीन जाने का मुख्य कारण इनकी अज्ञानता तथा निरक्षरता है। इन लोगों ने सहरियाओं के साथ मजदूरों के समान व्यवहार किया और कभी भी उनको अच्छा जीवन नहीं जीने दिया। खराब भूमि को सबसे पहले सहरियाओं

ने ही साफ किया और उस पर कृषि दूसरे लोगों द्वारा की गई और उन्होंनें अपने नाम से उस जमीन के पट्टे बना लिये। वास्तव में सहरिया लोगों ने ही कृषि के उपकरणों को बनाया परन्तु सिक्ख और जाट लोगों ने जमीन और इन चीजों पर अपना स्वामित्व जमा लिया और सहरिया जनजाति को निराश कर दिया परन्तु अन्य जाति के लोगों ने उनका भरपूर शोषण किया जिससें सहरियाओं का धीरे–धीरे पतन हो गया।

स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों में भी सहरियाओं ने हमेशा प्राचीन तौर तरीके ही अपनाये हैं। किसी बीमारी की शुरूआत में वे किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं। अपेक्षाकृत इसके वे जंगली जड़ी–बूटियों से बनी हुई दवाइयों का ही प्रयोग करते हैं। केवल जब बीमारी गम्भीर या दीर्घ स्थायी हो जाती है, तो फिर वे डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं परन्तु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे सही उपचार तथा नियमित दवाईयाँ नहीं ले सकते हैं। कभी–कभी तो वे इन बीमारियों का कारण चुड़ेल या बुरी आत्माओं का बताते हैं। साथ ही वे मानव शरीर में देवी–देवताओं के निवास पर भी विश्वास करते हैं। डॉक्टर की सलाह लेने की बजाय वे स्वयं ही डॉक्टर बन जाते हैं। सहरिया का इलाज उस एकान्त स्थिति में होता है जहाँ न तो कोई डॉक्टर पहुँच पाता है और न ही शीघ्रता से मरीज को किसी डॉक्टर के पास ले जाया जा सके।

सहरियाओं में बीमारी का मुख्य कारण उनका गन्दे परिवेश मे रहना तथा उपर से अपनी स्वयं की सफाई पर

ध्यान नहीं देना है। वे 3 से 4 दिन में ही नहाते हैं और गन्दे वस्त्र पहनते हैं। इसके साथ ही सहरियाओ में नशा प्रवृत्ति होती है। वे शराब पीने, गुटखा खाने, धूम्रपान आदि के आदी होते हैं, जो उनको घातक बीमारियों की तरफ धकेल देते हैं।

भारत का संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथ्यों के आधार पर प्रत्येक समाज की अच्छाई को देखते हुए बनाया गया है। यह एक सन्तुलन प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को आधारभूत मूलभूत अधिकार मानकर सुरक्षित रखा गया है। यही नहीं सहरिया जनजाति के राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक अधिकारों की विशेष सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष कदम उठाये गये हैं। नियमों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए सहरिया जनजाति के कल्याण के लिए सरकार ने छोटे–छोटे विभाग बनाये हैं। इनके विकास के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकार दोनों ही प्रयत्नशील हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमन्त्री तथा साथ ही समाज कल्याण मन्त्री को जनजाति क्षेत्र मे विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन करने का कार्य का भार सौंपा गया है।

सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे कृषि भूमि स्वामित्व, ऋण ग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी, साक्षरता का कम प्रतिशत, भूमि विहीन, गिरा हुआ स्वास्थ्य, दूषित भोजन, नशाखोरी, सामाजिक असमानताएँ और राजनीतिक अनभिज्ञता आदि से सम्बन्धित प्राचीन तौर तरीकों को अपनाते हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि

गरीबी को सहरियाओं से दूर किया जावे। क्योंकि यह ही सभी दूषित प्रवृत्तियों की जड़ है। सहरियाओं के भूमि से सम्बधित विवाद की रिपोर्ट सरकार के पास होनी चाहिए। काश्तकारी अधिकार, भूमि के बँटवारे से सम्बन्धित नियमों को सहरियाओ को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जंगल म रहने वाले सहरियाओं को उनके मूलभूत अधिकारों से अवगत करना चाहिए। सहरियाओं को जमींदारों से बंधुवा मजदूरी से ऋण से मुक्त करना चाहिए। शिक्षा से सम्बंधित सुविधाओं का सहरिया बस्तियों में जाकर प्रचार–प्रसार करना चाहिए। जमींदारों तथा साहुकारों के हाथों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकों मुफ्त कानून सेवा देनी चाहिए। सहरिया क्षेत्रो में जल, बिजली, सड़क, नालियों, प्राथमिक विधालय, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र आवास आदि सेवाओं का उचित वितरण सहरियाओं के खुशहाल जीवन बिताने के लिए किया जाना चाहिए।

सबस अधिक आवश्यकता भूमि की सिंचाई की है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा नहरों की तथा नालों की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

यद्यपि राजस्थान की राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार सहरियाओं के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा चुकी है परन्तु अभी भी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर इन सुविधाओं की बिल्कुल अनभिज्ञता है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र में सहरियाओं के विकास के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। राजस्थान

आदिम जाति सेवक संघ ने इस क्षेत्र में खादी वस्त्र केन्द्र, छात्रावास तथा शाहबाद में आश्रम विद्यालय खोले हैं। सहरियाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का यह ठोस प्रयास है। इसी प्रकार से माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर सहरिया जनजाति के विकास के लिए नई योजनाओं तथा कार्यक्रमों को चालू करने में पूर्णतया सक्रिय है। बाराँ जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील में सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद द्वारा इस समुदाय में अनुसंधान तथा प्रचार–प्रसार के कार्य के सम्बन्ध में विशेष प्रयास कर रही है। यह सरकार का ध्यान सहरियाओं की तरफ होने का एक विशेष कदम है और इससे सहरिया जनजाति से सम्बन्धित ज्वलंत मुद्दे भी सामने आते हैं।

यद्यपि सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद के कार्यक्रम जैसे– विशेष केन्द्रीय सहायता, महाराष्ट्र प्रणाली योजना, सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम, राज्य योजना, संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रम आदि किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में चलाये जा रहे हैं परन्तु फिर भी सहरियाओं को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया है। वर्तमान में भी अधिकतर सहरिया ऐसे हैं जिनको इन अभियानों के बारे में जानकारी नहीं है। यद्यपि यह सरकार का सराहनीय कदम है लेकिन फिर भी इससे लाभान्वित होने वाले सहरियाओं की संख्या कम है।

इसके लिए सरकार को कठोरता से कानून बनाकर इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए। आज भी

अधिकांश सहरिया गंदे वातावरण के अभावों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार को कठोरता से विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए। तब कहीं जाकर समाज में यह जनजाति अपना स्थान प्राप्त कर सकती है।

8.1 सहरियाओं की समस्याएँ

सहरियाओं की समस्याओं की अनगिनत कहानियाँ हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य की कोई भी सरकार सत्ता में रही हो, करोड़ा रूपयें सहरिया जाति के उत्थान के लिए व्यय करने के बावजूद उपलब्धियों या विकास के नाम पर संतोष या गर्व के साथ अधिक कुछ कहने के लिए नहीं है। यह कटु सत्य है कि करोड़ों रूपये सहरियाओं के कल्याणार्थ व्यय करने के उपरांत भी कुछ बदलावों को छोड़कर सहरियाओं की स्थिति जस–की–तस है। सहरियाओं का जीवन अब भी दुःख–दर्द, अभाव–पीड़ा का अफसाना बना हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी बेकारी के साथ–साथ जल, जंगल, जमीन, आवास, शिक्षा, सड़क, पेयजल इत्यादि जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित सहरिया आज भी बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, शोषण के साथ–साथ अन्य कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सहरियाओं की प्रमुख समस्याओं को इस प्रकार देखा जा सकता हैः

I. **गरीबी एवं बेरोजगारी** – आजादी के 67 वर्षों के पश्चात् आदिम जनजाति सहरियाओं की गरीबी पर दृष्टिपात करने पर जो तस्वीर उभरती है, यह बेहद दर्दनाक है।

सहरियाओं की टापरियों के भीतर का कारूणिक दृश्य, महिलाओं की रूग्ण अवस्था, शरीर पर धारण करने वाले गिने–चुने 1–2 वस्त्र, अनाज का अभाव, पेयजल हेतु लंबी कतारें, खराब स्वास्थ्य इत्यादि के आधार पर कहा जा सकता है कि गरीबी ही इनके जीवन की गाथा है। आजादी के बाद सहरियाओं की गरीबी दूर करने की स्थिति का विश्लेषण किया जाये तो यही कहा जा सकता है कि आजादी के बाद भी उनके भाग्य में गरीबी एवं बेरोजगारी ही हाथ लगी है। कमरतोड़ महंगाई व रोजगार के अभाव ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। वस्तुतः गरीबी एवं बेरोजगारी सहरियाओं के दुःख–दर्द की अंतहीन कहानी है।

II. ऋणग्रस्तता की समस्या – सहरियाओं के समक्ष ऋणगस्तता की भी गंभीर समस्या है। बहुत सारे ऐसे सहरिया परिवार हैं, जिन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर सेठ–साहूकारें से ऋण प्राप्त किए हैं, जो चुकने में नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के संयुक्त सचिव के. राजू और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव धीरज श्रीवास्तव के समक्ष 27 फरवरी, 2011 को ऋणग्रस्तता के शिकार व पीड़ित कई सहरियाओं का दर्द छलक उठा। आलमपुरा गाँव के एक दर्जन सहरिया परिवारों ने मूलधन के ब्याज के बदले साल–दर–साल काम करने की पीड़ा व्यक्त की।

III. बंधुआ मजदूरी की समस्या – ऋणग्रस्तता के कारण राजस्थान के सहरिया बंधुआ मजदूरी के शिकार

हैं। कुछ रूपयों के बदले जीवनभर की मजदूरी के लिए अपने आपको गिरवी रखने वाले सहरिया जनजाति के बंधुआ मजदूरों की समस्याऐं एवं पीड़ा अनन्त हैं। किसानों के यहाँ हाली के रूप में काम करने वाले सहरिया अग्रिम में कुछ रूपये ले लेते हैं और फिर लिये गये रूपये नहीं चुकाने की स्थिति में 'बन्धुआ—मजदूर' के रूप में आजीवन जीवनयापन करने के लिए विवश हो जाते हैं। भारतीय किसान संघ इन्हें अग्रिम भुगतान लेकर काम करने वाले हाली कहता है। किसानों के यहाँ पूरे वर्ष हाली के रूप में काम करने के बदले सहरिया 20 से 30 हजार रूपये अग्रिम लेते हैं। इसके बाद हाली कभी अवकाश पर जाता है तो उस दिन रात के 100—100 रूपये अर्थात् 24 घंटे के अवकाश के हिसाब से कुल दो सौ रूपये उधार माने जाते हैं। सहरियाओं के बंधुआ मजदूर होने की यही दर्दनाक कहानी है। बंधुआ मजदूरी से सहरियाओं को निजात कब मिलेगी? कब वे इससे मुक्त होगें? यह भविष्य के गर्भ में छिपा हैं।

IV. जल की समस्या — सहरियाओं के समक्ष जल, जंगल एवं जमीन की भीषण समस्या है, जिससे सहरियाओं का जीवन संकटग्रस्त बना हुआ ह। राजस्थान में शाहबाद में 1 हजार 969 किमी. तथा किशनगंज में 1 हजार 429 वर्ग किमी. सहरिया क्षेत्र है। सहरिया क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है। इसलिए यहाँ शुद्ध पेयजल का गंभीर संकट प्रारम्भ से रहा है। बदन सिंह वर्मा लिखते है — ''तालाबों से या छोटे—मोटे नदी—नालों से इस क्षेत्र के आदमी पीने का पानी

काम में लेते हैं। अधिकतर ऐसे स्थान इस सहरिया क्षेत्रों से थे, जहाँ गर्मियों में पानी नहीं मिल पाता था।

शाहबाद, किशनगंज, केलवाड़ा, समरानिया, देवरी, कस्बाथाना इत्यादि सहरिया क्षेत्रों में पाइप लाइनें अवश्य बिछ रही हैं, किन्तु अन्य सहरिया क्षेत्र पाइप लाइन से रहित क्षेत्र हैं। सहरिया क्षेत्रों में भँवरगढ़–केलवाड़ा के बीच गढ़ावली नदी, देवरी में कुनू नदी, समरानिया में समरानिया नदी एवं किशनगंज में पार्वती नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त सहरिया कई क्षेत्रों में खाल (बडे नाले, जैसे–शाहबाद में) एवं भँवरगढ़ में विलास डैम हैं। खालों का अस्तित्व बरसात में होता है, फिर लुप्त हो जाता है। नदियाँ भी गर्मियों में सूख जाती हैं। इस प्रकार वर्षपर्यन्त जल के गंभीर संकट की स्थिति सहरिया क्षेत्रों में है।

v. जंगल की समस्या – सहरियाओं की अर्थव्यस्था जंगलों पर आाधारित थी। वनोत्पाद एवं शिकार करना ही इनका मुख्य पेशा था। एक समय वन, वनोत्पाद, वन के जानवर इनके गुजर–बसर एवं आजीविका के प्रमुख स्त्रोत थे। वस्तुतः जंगल इनके लिए कभी वरदान था। जंगल से ही इनके जीवन का आरंभ होता था और जंगल में हो परवान चढ़ता था किन्तु आज सहरियाओं के लिए जंगल खुशकिस्मत की चीच नहीं रही है। जंगलों के अंधाधुंध कटाई, सरकार के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप वन–उपज के काम का पंगु होना, जगंली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध इत्यादि के कारण जंगल की आबोहवा व सुख के साधन सहरियाओं के लिए वह नहीं रही, जो कभी थी।

VI. जमीन की समस्या – सहरियाओं के समक्ष जमीन की समस्या अत्यंत गंभीर है। सहरियाओं द्वारा वनों के अंधाधुंध कटाव और डांडाडाई काश्त से ध्यान हटाने एवं जमीन तथा कृषि की ओर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1961 ई. में शाहबाद के सीताबाड़ी–तीर्थस्थल पर तत्कालीन मुख्यंमत्रो स्व. मोहन सुखाडिया, माणिक्यलाल वर्मा, भीखाभाई भील, भोगीलाल पाण्डया, दामोदरलाल व्यास के तत्वावधान में एक विशाल सहरिया सम्मेलन आहूत किया गया था। इसके फलस्वरूप 1961 ई. में सहरियाओं के बीच भू–आवंटन का अभियान चलाया गया। शाहबाद के 75 गाँवों के 1292 सहरिया परिवारों को 15337 बीघा तथा किशनगंज तहसील के 63 सहरिया गावों के 644 सहरिया परिवारों को 8419 बीघा 19 बिस्वा भूमि पहली बार आवंटित की गई।

भोले–भाले सहरियाओं की ये जमीने दबंगों एवं प्रभावशाली लोगों द्वारा दबा ली गई अथवा कर्ज का दबाव देकर जमीनें अपने नाम से लिखवा ली गई या फिर गिरवी पर रख ली गई। 1968–69 ई. से सहरियाओं की ये समस्याऐं आज भी हल नहीं हो पाई हैं।

VII. शिक्षा की समस्या – आजादी के बाद शिक्षा की दृष्टि से सहरियाओं ने क्या पाया? यह प्रश्न कल तक बेहद चिंता का प्रश्न था किन्तु अब स्थिति बदलने के आसार नजर आने लगे हैं। आरंभ में सहरियाओं में शिक्षा का स्तर अत्यन्त न्यून था। शैक्षणिक दृष्टि से सहरिया जनजाति के लोग काफी पिछड़े हुए थे। 2001 की जनगणना

के अनुसार सहरियाओं में शिक्षा का प्रतिशत पुरूषों में 35.27 है जबकि महिलाओं में यह महज 5 प्रतिशत है। इस समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में 6 सहरिया महिलाऐं ग्रेजुएट एवं शहरी क्षेत्रों की 4 महिलाऐं ग्रेजुएट हुई।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी एवं परम्परावादी जीवन जीने को अभिशप्त सहरिया जनजाति के युवक–युवतियों में इधर कुछ वर्षों से शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सहरिया बाहुल्य बाराँ जिला में वर्तमान में 1200 से अधिक सहरिया बच्चें कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत हैं, जिनमें बालिकाओं की संख्या 500 के लगभग है। बाराँ, किशनगंज, केलवाड़ा, शाहबाद आदि क्षेत्रों में सहरिया छात्रावास हैं, जहाँ सहरिया स्कूली छात्र–छात्राऐं शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं। कुछ सहरिया छात्र/छात्राऐं उच्च शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं किन्तु शिक्षा का स्तर इनमें बेहद कमजोर है।

VIII. स्वास्थ्य की समस्या – सहरिया जनजाति के लोगों में खान–पान में पौष्टिक तत्व एवं संतुलित आहार नहीं के बराबर होते हैं। गरीबी के कारण संतुलित भोजन एवं पौष्टिक आहार न मिलने से अधिकांश सहरिया कुपोषण के शिकार हैं। राजकीय सहरिया कन्या एवं बालक छात्रावास किशनगंज, केलवाड़ा एव बाराँ जिला के समस्त सहरिया छात्रावासों में स्कूली छात्र–छात्राओं जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसका मीनू निम्न प्रकार है–

सारणी : 8.1

छात्राओं को देय सामग्री का विवरण

क्र.सं.	समग्री	प्रति छात्रा देय	विवरण
1	चाय	एक कप	प्रतिदिन प्रातः
2	नाश्ता	50 ग्राम	प्रतिदिन प्रातः
3	दाल	40 ग्राम	प्रतिदिन प्रातः
4	चपाती	भरपेट	प्रातः व सायं
5	हरी सब्जी	150 ग्राम	प्रतिदिन सायं
6	दूध	200 मि.ली.	प्रतिदिन सायं
7	चावल	200 ग्राम	साप्ताहिक

स्त्रोत : समाज कल्याण विभाग, बाराँ

कहने की आवश्यकता नहीं है कि संतुलित एवं पौष्टिक भोजन की दृष्टि से सहरिया छात्राओं को दी जाने वाली ये सामग्री पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों, महिलाओं एवं पुरूषों की स्थिति गरीबी के कारण और भी बदतर है। संतुलित आहार एवं पौष्टिक भोजन इनकी किस्मत में कहाँ? जिसका प्रत्यक्ष परिणाम सहरियाओं का कमजोर स्वास्थ्य, रूग्ण शरीर है एवं कुपोषण की समस्या है।

IX. समान अधिकार की समस्या — राजस्थान के बाराँ जिला के किशनगंज–शाहबाद तहसीलों के सहरियाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाऐं हैं किन्तु बाराँ जिला के ही 6 अन्य तहसीलों के 190 गाँवों में बसे 4 हजार से अधिक सहरिया परिवार सरकार के दोहरे मापदंड के शिकार हैं। बाराँ जिला के 6 तहसीलों के सहरिया आदिवासी सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2013 के दौरान 8 अप्रेल, 2013 को कोटा में आयोजित सहरिया जनजाति के तीन सहरिया युवकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि वह किशनगंज एवं शाहबाद क्षेत्र के रहने वाले नहीं थे।

रामप्रसाद मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहबाद के अनुसार– 'किशनगंज–शाहबाद को 35–36 वर्ष से सहरिया विशेष का दर्जा प्राप्त है। इस क्षेत्र के सहरिया परिवारों के लिए अनेक योजनाऐं हैं किन्तु दूसरे क्षेत्र के सहरिया परिवारों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाराँ, छबड़ा, छीपाबड़ौद, अंता, मांगरोल के सहरिया परिवारों की लाचारी पर राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर चर्चा खूब होती है। इन सहरिया परिवारों को समान अधिकार देने के प्रस्ताव मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किये गये हैं किन्तु हकोकत तो यह है कि एक ही जाति के लिए सरकारी नजरिया अलग है। बाराँ, छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू, अंता, मांगरोल के सहरिया समान अधिकार की समस्या से जूझ रहे हैं।

X. बाल विवाह की समस्या – सहरियाओं में बाल विवाह का उल्लेख न किया जाये तो सहरियाओं की समस्या की बात अधूरी होगी। सहरियाओं में बाल विवाह की समस्या प्रारम्भ से ही विद्यमान रही है। सहरियाओं में दूध पीते लड़का–लड़की की शादी गोद में लेकर या थाली में बिठाकर कर दी जाती थी। बालविवाह निषेध–अधिनियम के अर्न्तगत बाराँ जिला प्रशासन हर वर्ष सतर्क एवं मुस्तद रहता है कि सहरियाओं में बाल विवाह न हो परन्तु अनपढ़, अशिक्षित कई सहरिया कानून को ठेंगा दिखाते हुए बाल विवाह कर ही देते हैं। इसके पीछे सहरियाओं की अशिक्षा, जागरूकता की कमी, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि विविध कारण हैं।

XI. योजनाओं में ढ़िलाई व अनियमितताओं की समस्या – बाराँ जिला के जनजाति बहुल क्षेत्र किशनगंज–शाहबाद में सहरियाओं के उत्थान, जीवन–स्तर में सुधार हेतु हर साल लाखों एवं अब तक करोड़ों रूपये व्यय करने के बावजूद सरकारी योजनाओं में ढिलाई व अनियमितताओं के कारण अपेक्षित परिणाम नहों मिल पाये हैं। वर्ष 1977–78 में सहरिया विकास परियोजना गठित की गई थी और इस परियोजना के अन्तर्गत सहरियाओं के कल्याण एवं विकास के लिए अनेक कार्य हुये किन्तु खामियाँ भी रही। वर्ष 2004–05 से लेकर 2013–14 तक सहरिया विकास परियोजना के अन्तर्गत खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

सारणी 8.2

सहरिया विकास परियोजना अन्तर्गत खर्च का ब्यौरा

वर्ष	बजट मिला (लाखों में)	खर्च (लाख में)
2004-05	394.27	417.25
2005-06	579.93	478.07
2006-07	560.47	554.88
2007-08	980.18	658.45
2008-09	1870	657
2009-10	364.72	1169.19
2010-11	1802.85	1593
2011-12	3994.08	1276
2012-13	4055	1420
2013-14	4474.32	4741.97

स्त्रोत : समाज कल्याण विभाग, बाराँ

XII. अन्य समस्याएँ – सहरियाओं का जीवन समस्याओं का घर है। सहरियाओं में मद्यपान, नशाखोरी की लत इस कदर है कि घर में खाने के दाने भले न हो परन्तु शराब पीना इनकी मानसिकता है एवं इनके जीवन

का अभिन्न अंग है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप सहरियाओं की जहाँ श्रम शक्ति कम हुई है, वहीं ये नाना प्रकार की बीमारियों से घिरने लगे हैं। सर्वे के दौरान ज्ञात हुआ कि 90 प्रतिशत से अधिक सहरिया आदिवासी पुरूष कोई–न–कोई नशा अवश्य करता हैं तथा 70 प्रतिशत के करीब महिलायें भी नशे की किसी–न–किसी लत का शिकार हैं। नशाखोरी के कारण इनमें टी.बी. की बीमारी भी बढ़ी है।

सहरियाओं की अन्य समस्याओं में सहरिया गाँवों में बिजली नहीं पहुँचने के कारण अँधेरा पसरे रहने की समस्या, अनेक सहराने में बिजली कनेक्शन की समस्या, सहरिया आवास–योजना के रेंगते हुए पहुँचने की समस्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल व चीनी नहीं मिलने की समस्या, सहरिया क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय, माँ–बाड़ी केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित न खुलने की समस्या आदि महत्वपूर्ण समस्याऐं हैं, जिनसे नित्य दैनिक सामाचार पत्र रंगे होते हैं। इन समस्याओं पर गंभीरतापूवर्क सरकार को ध्यान देने एवं इन समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत होने की शीघ्र से आवश्यकता है।

8.2 सहरियाओं के कल्याणार्थ सरकारी योजनाओं की क्रियान्विति (1947–फरवरी, 2014)

1947 ई. में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से लेकर अब तक सरकार द्वारा सहरियाओं के विकास हेतु निम्नांकित मुख्य कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गई हैं–

I. जनजाति कल्याण विभाग, 1951— सहरियाओं के लाभ एवं कल्याण हेतु 1951 ई. में जनजाति विकास विभाग गठित हुआ तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे और भी प्रभावी बनाया गया।

II. राजस्थान ऋणग्रस्तता मुक्ति अधिनियम, 1957— गरीब सहरियाओं को जमींदारों के चंगुल से बचाने हेतु 1957 ई. का यह अधिनियम उन्हें कर्ज से सुरक्षा प्रदान करता है। राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 के अनुसार कोई भी ऋणदाता ब्याज की रकम मूल से अधिक वसूल नहीं कर सकता।

III. बंधुआ मजदूरी से मुक्ति अधिनियम, 1961— इस अधिनियम के तहत कोई भी जमींदार से कर्ज न चुकाने की स्थिति में उसके घर या खेत में मजबूरन काम करने के लिए बाध्य नहीं है।

IV. ऋणग्रस्तता मुक्ति अधिनियम, 1976 — सहरिया समुदाय के 96 सहरियाओं के कर्ज में डूबी जमीन जायदाद को इस अधिनियम के अन्तर्गत मुक्त कराया गया।

V. विशेष विकास, कार्यक्रम, 1977—78— सहरियाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से गठित इस विशेष विकास कार्यक्रम में 435 गाँवों को शामिल किया गया।

VI. स्वास्थ्य कार्यक्रम, 1991— किशनगंज, केलवाड़ा शाहबाद, देवरी, कस्बाथाना आदि 15 सहरिया बाहुल्य

क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम 1991 के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हुई, जहाँ सहरियाओं को निःशुल्क उपचार एवं दवा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

VII. रिवालिवन फण्ड– इसके अन्तर्गत महाजनों के चंगुल से मुक्ति हेतु सहरियाओं को कृषि सामान हेतु ब्याज–मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया।

VIII. डीजल विद्युत पम्प सेट वितरण योजना, 1986–87– इस योजना का उद्देश्य सहरिया कृषक की सिंचाई सुविधा को बढ़ाना है।

IX. अंशपूंजी क्रय अनुदान योजना– सहरियाओं को सरकारी संस्थाओं से जोड़ने के उद्देश्य से उनके शेयर क्रय करने हेतु अनुदान की योजना है।

X. सहरिया बस्ती में हैण्ड पम्प योजना– पेयजल की विकट समस्या को दूर करने एवं स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने हेतु इस योजना में सहरिया बस्तियों में हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान है।

XI. गाय क्रय अनुदान– दुग्ध उत्पादन हेतु दो गायों की एक युनिट सहरिया लाभार्थी को पचास प्रतिशत के अनुदान पर देय है।

XII. क्षय रोग नियंत्रण एवं स्वास्थ्य कर्मी योजना– सहरियाओं में साधारण जनता की तुलना में कई गुना

अधिक क्षय रोग विद्यमान है। क्षय रोग के निवारण हेतु यह योजना गठित की गई है।

XIII. मुख्यमंत्री जीवनरक्षा कोष योजना – इसके अन्तर्गत सहरिया परिवारों को आउटडोर एवं इनडोर स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है।

XIV. सहरिया विकास कार्यक्रम– इसके अन्तर्गत वर्ष 1977–78 से 1995–96 तक आवंटित 9 करोड़ 72 हजार 300 रूपये की राशि में से 7 करोड़ 41 लाख 34 हजार 500 रूपये व्यय किये गये। इनमें प्राथमिकता सिंचाई एवं शिक्षा को दी गई तथा 6 करोड़ 6 लाख 79 हजार 200 रूपये की राशि से स्थायी संपत्तियाँ भवन–एनिकट निर्माण, जलोत्थान सिंचाई योजना, हैण्डपम्प, डीजलपम्प सेट, गृहनिर्माण, अस्पताल, छात्रावास, भवन निर्माण, सड़क निर्माण सहरिया बस्तियों में विद्युतीकरण आदि अर्जित की गई। इनके अलावा आश्रम छात्रावास के संचालन पर 99 लाख 39 हजार 200 रूपये व्यय किये गये।

XV. सहरिया विकास परियोजना– किशनगंज–शाहबाद के सहरियाओं के उत्थान के लिए वर्ष 1977–78 में अलग से सहरिया विकास परियोजना बनाई गई थी। यहाँ अलग से अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया जो सहरिया विकास परियोजना के रूप में कार्य करते हैं। जिले में सहरियाओं को निःशुल्क दाल, तेल, घी की योजना, सहरिया आवासों के निर्माण

समेत कई योजनाओं के लिए अब तक बजट मिलता आया हैं। एमटीसी में सहरिया बच्चों के परिजनों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का वहन भी परियोजना करती हैं।

8.3 सहरिया विकास परियोजना शाहबाद द्वारा संचालित विविध योजनाएँ

इसके अन्तर्गत 22 सहरिया आश्रम छात्रावासों का संचालन, दो आवासीय सहरिया विद्यालय का संचालन, शाहबाद एवं किशनगंज में जन श्री बीमा योजना में 6750 सहरिया व्यक्तियों का बीमा, मुफ्त पोशाक वितरण (1–5 कक्षा के छात्र–छात्रा हेतु), मुफ्त स्टेशनरी वितरण (1–3 कक्षा के छात्र–छात्रा हेतु), निःशुल्क सामुदायिक डीजल पम्प का वितरण, सहरिया कृषकों को भूमि सिंचित करने हेतु सामुदायिक कृषि ट्यूबवेल, शाहबाद तहसील में 2658 एवं किशनगंज तहसील में 1842 सहरिया आवास, कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक सहरिया छात्रों को 20,000 रूपये सहरिया छात्रवृति, बीएसटीसी परीक्षार्थी को 40,000 रूपये देय।

I. जनजाति कल्याण निधि–योजना– शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (आर.ए.एस.) की प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर सेन्ट्रल फोर ट्राइबल डेवलपमेंट की ओर से अनुप्रति योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि स्वरूप 25000 रूपये दिये जाने का प्रावधान।

II. औद्योगिक क्षेत्र में सहरियाओं को नौकरी— 21 अप्रेल, 2011को रीको के तत्कालीन प्रबंध निदेशक राजेन्द्र भाणावत द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उद्यमियों द्वारा सहरियाओं को नौकरी देने पर उन्हे सरकारी अनुदान दिया जायेगा।

III. मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन का रोजगार— बाराँ देश का ऐसा पहला जिला है, जहाँ सहरिया परिवारों को साल में 200 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार की ओर से प्रदान की गई है।

IV. वर्ष 2011—12 के बजट में विशेष पैकेज— विशेष पैकेज के अन्तर्गत सहरियाओं के कल्याणार्थ आवासीय विद्यालयों के लिए 2 करोड़ रूपयें की स्वीकृति जारी, 50 माँ—बाड़ी केन्द्रों की स्थापना, शाहबाद में आई.टी.आई. की स्थापना, महिलाओं के 534 स्वयं सहायता समूहों का गठन व 104 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया है।

V. आदिवासी क्षेत्र से मिटेगें कुपोषण— शाहबाद एवं किशनगंज क्षेत्र के 253 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 0—6 वर्ष की आयु के सहरिया बच्चों में कुपोषण रोकने के लिये उचित प्रबंधन किये जाने की योजना है। महिला एवं बाल—विकास विभाग बाराँ के साथ मिलकर आई.सी.आई.सी.आई. फाउन्डेशन ने दिनांक 6.7.2012 से इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण अभिमुख कार्यक्रम की शुरूआत की है।

VI. कुपोषित बच्चों में कुपोषण निवारण– सहरिया कुपोषित बच्चों में कुपोषण से निवारण हेतु पूर्व मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने सहरिया परिवारों में 35 किलो गेहूँ के अलावा 2 किलो दाल एवं 5 किलो तेल देने की दिनांक 3 नवम्बर 2012 को शाहबाद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की थी। इससे 22,000 सहरिया परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

VIII. सहरिया जनजाति की 400 महिलाओं को रोजगार– अगस्त 2013 में बाराँ जिला के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के गाँवों में कुपोषण, क्षय रोग एवं अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियों के रोगियों की पहचान एवं पूर्ण स्वस्थ्य होने तक आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सहरिया जाति की 400 महिलाओं को प्रशिक्षित कर नियुक्त किया गया।

8.4 सुझाव

I. सहरिया समुदाय हमारी आदिम जनजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी ही है। जमींदार इन्हें हाली बनाकर अपना गुलाम बना लेते हैं। जिससे इनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती ह। इन्हें अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि ये गुलामी से मुक्त हो सके।

II. सरकार द्वारा 78 रू. प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी निर्धारित कर देने के बाद भी जमींदार इन्हें 50 रू.

प्रति दिन की मजदूरी देते हैं जो इनके लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को कठोरता से मजदूरी नीति का पालन करवाना चाहिए।

III. सहरियों में बचत न के बराबर होती है। उन्हें बचत पर अधिक ब्याज दर प्रदान करके बचत की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए।

IV. सहरियाओं को जमीदारों व महाजनों की ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलवानी चाहिए, ताकि उनका भौतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास हो सके।

V. शिक्षा के प्रति सहरियाओं में रूचि नहीं है। इसकी अपेक्षा वे अपने बच्चों को मजदूरी पर लगाने पर बल देते हैं। उनमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागृति पैदा करनी चाहिए। शिक्षा को आकर्षक बनाकर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए।

VI. सहरिया जनजाति अंधविश्वासों से घिरी हुई है। चिकित्सा सुविधाऐं भी ये अन्त में प्राप्त करते हैं जब तक कि मरीज की मृत्यु नहीं हो जाती हैं। इनके क्षेत्रों में चिकित्सालय स्थापित कर, उन्हें सफाई के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।

VII. सहरियाओं मे जनसंख्या वृत्रिद्ध की समस्या बढ़ती जा रही है। सहरिया परिवारों में 3 से 5 तक बच्चें हैं। ये बड़ी ही घातक समस्या है। परिवार नियोजन के प्रति इनमें जागरूकता लाने के लिए प्रचार–प्रसार किए जाने चाहिए।

VIII. सहरिया जनजाति में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पहले शराब का नशा करते थे। अब गुटखा की नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसके लिए क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नशामुक्ति कार्यक्रम संचालित किये जाने की आवश्यकता है।

IX. किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के किसी भी विद्यालय में सी. सै. स्तर पर विज्ञान (बायो/मेथ्स), होम साइंस, कामर्स एवं एग्रीकल्चर के विषय नहीं हैं। इनका विस्तार किया जाना चाहिए।

X. सभी सहरिया परिवारों को निष्पक्ष रूप से आवास सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए।

XI. माह मई–जून में कुछ गाँवों में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होती है। इस हेतु टैंकों के निर्माण का कार्य किया जावे।

XII. विकास कार्यक्रम का पूर्ण लाभ सहरियाओं को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी व बिचोलिओं की मध्यस्थता है। इन असामाजिक तत्वों को दूर किया जावे।

XIII. सरकारी अधिकारियों का व्यवहार सहरियाओं के साथ उचित एवं ठीक नहीं है। इस ओर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए।

XIV. विकास कार्यक्रमों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट

1. शाहबाद तहसील में ग्रामों के अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

2. किशनगंज तहसील में ग्रामों के अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

3. मांगरोल तहसील में ग्रामों के अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

4. अटरू तहसील में ग्रामों के अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

5. सहरिया आश्रम छात्रावासों की सूची, वर्ष 2014

6. माँ–बाड़ी भवनों पर किया जाने वाला वार्षिक खर्च, वर्ष 2014

परिशिष्ट–1

शाहबाद तहसील में ग्रामों के अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

Shahbad					
S.N.	**Village**	**No. of House**	**Population**	**Male**	**Female**
1	Agar	61	303	163	140
2	Ahera	25	127	58	69
3	Ajrora	126	632	312	320
4	Amkhoh	96	480	242	238
5	Amrod	77	383	214	169
6	Anjani	24	119	61	58
7	Bahrai	219	1094	550	544
8	Baint	50	252	120	132
9	Bainta	192	960	487	473
10	Balapura	2	6	4	2
11	Balda	157	785	391	394
12	Balharpur	4	22	13	9
13	Balharpur	96	478	231	247
14	Baman Gawan	121	604	338	266
15	Bans Khera Googal	16	79	47	32
16	Banskhera Mal	52	261	138	123
17	Barara	74	370	182	188
18	Baseli	113	563	276	287

19	Beel Kheramal	1	1	1	0
20	Beer Khera Dang	82	410	191	219
21	Bhanpur	2	6	3	3
22	Bhanpur	24	118	62	56
23	Bhanwatipura	56	281	144	137
24	Bharoli	45	224	108	116
25	Bhoyal	95	477	235	242
26	Bichi	63	317	160	157
27	Biharipura	8	38	18	20
28	Birmani	52	259	147	112
29	Budha Nonera	45	226	117	109
30	Chandan Hera	33	164	88	76
31	Chhichhroni	35	173	85	88
32	Chhipol	23	115	64	51
33	Chindaliya	5	25	14	11
34	Chora Khari	286	1430	701	729
35	Dabari	13	64	33	31
36	Danta	502	2511	1248	1263
37	Deori	123	616	359	257
38	Deori Upreti	21	106	54	52
39	Deori Veeran	31	154	78	76
40	Dhankari	25	126	64	62

41	Dhikwani	155	777	396	381
42	Dhuwan	97	486	251	235
43	Doondabar	43	214	108	106
44	Faredua Taleti	92	460	240	220
45	Faredua Upreti	141	703	397	306
46	Gadar	69	343	162	181
47	Gadreta	50	250	129	121
48	Ganeshpura	71	357	177	180
49	Ganna Kheri	38	191	96	95
50	Ghansuri	33	163	86	77
51	Ghensuwa	61	306	166	140
52	Goyra	157	785	399	386
53	Guwari	78	391	189	202
54	Hadota	63	317	158	159
55	Hanotiya	2	6	2	4
56	Hanotiya	13	67	36	31
57	Haripura	76	380	186	194
58	Hatri	322	1612	805	807
59	Hatwari	140	701	360	341
60	Isatori	2	10	6	4
61	Jabra	38	188	102	86
62	Jakhoni	38	192	92	100

63	Kaloni	103	513	251	262
64	Kaloniya	91	454	215	239
65	Kamal Khera	74	369	191	178
66	Kamlawada	25	126	61	65
67	Karaliya	23	113	51	62
68	Kasba Nonera	85	427	205	222
69	Kasba Thana	165	825	440	385
70	Kedarkui	111	554	275	279
71	Kelwara	62	312	168	144
72	Khadri	20	98	50	48
73	Khairai	99	493	248	245
74	Khanda Sahrol	90	452	221	231
75	Kharda	38	190	100	90
76	Khatka	123	616	314	302
77	Khiriya	157	787	401	386
78	Khirkhiri	1	5	3	2
79	Khyawada	8	38	16	22
80	Kirad Pahari	112	558	276	282
81	Kotra	54	270	135	135
82	Kripalpur	99	496	273	223
83	Kunda	65	323	182	141
84	Kurkuti	17	87	50	37

85	Kushalpura	255	1275	661	614
86	Kushyara	194	970	490	480
87	Maheshpur	75	374	197	177
88	Mahodra	110	548	288	260
89	Mahoori	43	217	112	105
90	Mahua Kheri	71	356	190	166
91	Mahuri Khera	6	29	16	13
92	Majhari	65	324	154	170
93	Majhera	12	62	28	34
94	Mamoni	206	1028	528	500
95	Mandi Bhonra	63	317	160	157
96	Mandi Sahjana	51	255	124	131
97	Mandi Sambhar Singa	17	85	37	48
98	Manka Khera	6	28	13	15
99	Mohanpur	35	177	96	81
100	Moondiyar	18	90	40	50
101	Muhal	30	149	81	68
102	Mungawali	10	48	23	25
103	Munsredi	1	1	0	1
104	Nagori	38	188	89	99
105	Nandiya	45	224	121	103
106	Naran Khera	91	456	224	232

107	Nayagaon	22	112	60	52
108	Niwari	161	806	410	396
109	Nukarra	22	112	58	54
110	Ogar	101	507	276	231
111	Pahari Jageer	141	706	344	362
112	Pathari	148	741	370	371
113	Peepal Kheri	87	433	213	220
114	Penawada	187	933	476	457
115	Rajpur	143	717	362	355
116	Rampura Upreti	8	41	19	22
117	Ranipura	39	195	99	96
118	Ratai Kalan	82	408	202	206
119	Ratai Khurd	24	122	58	64
120	Reejhol	2	7	4	3
121	Sahrol Taleti	53	266	136	130
122	Samraniya	197	987	472	515
123	Sandri	125	623	310	313
124	Sangawan	44	221	122	99
125	Sangeshwar	32	161	88	73
126	Sanwara	151	756	387	369
127	Semli Phatak	148	741	363	378
128	Semra	67	334	173	161

129	Shahbad	114	569	297	272
130	Shahpur	140	647	318	329
131	Shubh Dhara	235	1173	586	587
132	Silora	34	169	78	91
133	Silori	72	361	184	177
134	Sirsod Kalan	33	164	80	84
135	Sirsod Khurd	86	430	217	213
136	Sookha Semli	78	389	192	197
137	Suhan	59	295	130	165
138	Telni	45	227	107	120
139	Tiparka	11	53	25	28
140	Uchawada	47	234	128	106
141	Unee	104	518	272	246
142	Viroli	18	90	42	48
	Total	**10978**	**54813**	**27800**	**27013**

परिशिष्ट–2

किशनगंज तहसील में ग्रामों के अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

Kishanganj					
SN	**Village**	**No. of House**	**Population**	**Male**	**Female**
1	Ahmada	20	138	69	69
2	Akodiya	20	141	75	66
3	Amlawada	23	161	78	83
4	Asnawar	109	760	402	358
5	Bakanpura	134	938	489	449
6	Balapura	16	110	59	51
7	Balapura	57	401	214	187
8	Barooni	74	515	254	261
9	Basthooni	76	533	287	246
10	Bhanwargarh	230	1610	863	747
11	Bhawanipura	1	5	3	2
12	Bilasgarh	63	438	248	190
13	Brahmpura	123	862	426	436
14	Chhinod	57	399	202	197
15	Dhikoniya	64	451	234	217
16	Garda	331	2315	1176	1139
17	Ghatti	108	758	364	394
18	Gobarcha	25	174	93	81
19	Gopalpura	54	379	205	174
20	Hirapur	39	270	131	139

21	Iklera Sagar	62	437	218	219
22	Jagdishpura	34	240	122	118
23	Jalwara	25	174	94	80
24	Kapri Khera	25	172	82	90
25	Karwari Kalan	24	165	80	85
26	Karwari Khurd	95	666	324	342
27	Khandela	138	963	473	490
28	Khandela Kheri	56	395	210	185
29	Khankhara	71	494	249	245
30	Kherla	68	473	231	242
31	Khyawada	52	363	181	182
32	Kishanganj	132	922	417	505
33	Kishanpura	19	134	78	56
34	Kishnaipura	44	311	157	154
35	Kunda	73	509	261	248
36	Mahtabpura	1	4	0	4
37	Maytha	68	476	255	221
38	Misai	57	397	192	205
39	Nahargarh	191	1338	713	625
40	Paraniya	33	229	126	103
41	Phaldi	83	581	295	286
42	Radhapura	24	170	87	83

43	Ramganj @ Nayagaon	58	404	218	186
44	Ramgarh	3	20	14	6
45	Rampuriya Jageer	110	770	400	370
46	Relawan	231	1620	859	761
47	Sakhrawada	82	574	294	280
48	Sewani	94	659	312	347
49	Sodana	142	994	493	501
	Total	**3719**	**26012**	**13307**	**12705**

परिशिष्ट–3

मांगरोल तहसील में ग्रामीण अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

Mangrol					
SN	**Village**	**No. of House**	**Population**	**Male**	**Female**
1	Baldeo Pura	9	65	34	31
2	Balwankheri	5	34	18	16
3	Bamori Kalan	13	93	47	46
4	Bhateriya	3	18	8	10
5	Gudrawani	24	169	82	87
6	Indraheri	1	1	1	0
7	Ishwarpura	29	201	108	93
8	Jetal Heri	12	85	50	35
9	Kishanpura	1	6	5	1
10	Mangrol	177	1241	638	603
11	Mundiya	13	90	48	42
12	Padaliya	4	29	8	21
13	Pipalda	16	109	56	53
14	Raithal	10	70	56	34
15	Rawal Jawal	4	25	10	15
16	Rengarh	3	24	15	9
17	Seeghanya	3	18	10	8
	Total	**327**	**2278**	**1194**	**1104**

परिशिष्ट–4

अटरू तहसील में ग्रामीण अनुसार मकानों की संख्या, कुल जनसंख्या, स्त्री–पुरूष जनसंख्या, वर्ष 2011

Atru					
SN	**Village**	**No. of House**	**Population**	**Male**	**Female**
1	Amli Jageer	2	10	4	6
2	Ardand	5	31	19	12
3	Asan	4	22	8	14
4	Atru (CT)	166	994	528	466
5	Bagli	2	13	9	4
6	Bahadurganj	5	27	13	14
7	Bahlawan	1	7	5	2
8	Berakya	2	14	8	6
9	Charan Kheri	4	26	12	14
10	Dhumen	2	14	9	5
11	Gandoliya	4	22	12	10
12	Gordhanpura	3	17	10	7
13	Hani Hera	4	25	15	10
14	Jharota	7	40	21	19
15	Karadya Gulji	7	43	19	24
16	Karariya Hara	6	33	19	14
17	Kasampura	6	34	16	18
18	Kawai (CT)	89	536	270	266

19	Khanpurya	3	20	11	9
20	Kherli Gaddiyan	2	14	6	8
21	Kherliganj (CT)	129	775	400	375
22	Kishanpura	6	33	17	16
23	Kishanpura Masaldaran	7	43	20	23
24	Manyagan	5	28	8	20
25	Motipura	8	45	25	20
26	Motuka	1	1	1	0
27	Musai Gujran	5	32	18	14
28	Narayanpura	1	7	4	3
29	Narsinghpura	2	14	9	5
30	Narsinghpura	5	30	17	13
31	Panduheri	7	39	21	18
32	Patalya	5	28	16	12
33	Rahlai	3	18	8	10
34	Sahrod	2	14	7	7
35	Teegri	6	35	17	18
	Total	**516**	**3084**	**1602**	**1482**

परिशिष्ट–5

सहरिया आश्रम छात्रावासों की सूची, वर्ष 2014

क्र.सं.	नाम छात्रावास	प्रकार	पंचायत समिति	छात्र क्षमता
1	सहरिया आश्रम छात्रावास आगर	छात्र	शाहबाद	25
2	सहरिया आश्रम छात्रावास कस्बाथाना	छात्र	शाहबाद	25
3	सहरिया आश्रम छात्रावास देवरी	छात्र	शाहबाद	50
4	सहरिया आश्रम छात्रावास बमनगंवा	छात्र	शाहबाद	50
5	सहरिया आश्रम छात्रावास चौराखाडी	छात्र	शाहबाद	25
6	सहरिया आश्रम छात्रावास राजपुर	छात्र	शाहबाद	25
7	सहरिया आश्रम छात्रावास खाण्डासहरोल	छात्र	शाहबाद	25
8	सहरिया आश्रम छात्रावास समरानियॉ	छात्र	शाहबाद	50
9	सहरिया आश्रम छात्रावास शाहबाद	छात्रा	शाहबाद	50
10	सहरिया आश्रम छात्रावास केलवाड़ा	छात्रा	शाहबाद	50
11	सहरिया आश्रम छात्रावास भंवरगढ़	छात्र	किशनगंज	50
12	सहरिया आश्रम छात्रावास गरड़ा	छात्र	किशनगंज	50
13	सहरिया आश्रम छात्रावास रेलावन	छात्र	किशनगंज	50
14	सहरिया आश्रम छात्रावास खण्ड़ेला	छात्र	किशनगंज	25
15	सहरिया आश्रम छात्रावास बिलासगढ़	छात्र	किशनगंज	25

परिशिष्ट–6

माँ–बाडी भवनों पर किया जाने वाला वार्षिक खर्च, वर्ष 2014

क्र.सं.	जनजाति का नाम	भवन का वार्षिक खर्चा	गांव का नाम	तहसील	राशि लाख में	लाभान्वित बच्चें
1	सहरिया	माँ बाडी भवन	लालखांकरी	शाहबाद	2.58	30
2	सहरिया	माँ बाडी भवन	दातां	शाहबाद	2.58	30
3	सहरिया	माँ बाडी भवन	इन्द्रा कालोनी	शाहबाद	2.58	30
4	सहरिया	माँ बाडी भवन	हाटडी	शाहबाद	2.58	30
5	सहरिया	माँ बाडी भवन	समरानिंया	शाहबाद	2.58	30
6	सहरिया	माँ बाडी भवन	गदरेठा	शाहबाद	2.58	30
7	सहरिया	माँ बाडी भवन	फरेदुआ	शाहबाद	2.58	30
8	सहरिया	माँ बाडी भवन	भांतिपुरा	शाहबाद	2.58	30
9	सहरिया	माँ बाडी भवन	तेलनी	शाहबाद	2.58	30
10	सहरिया	माँ बाडी भवन	मामोनी	शाहबाद	2.58	30
11	सहरिया	माँ बाडी भवन	बेटा	शाहबाद	2.58	30
12	सहरिया	माँ बाडी भवन	ख्यावदा	किशनगंज	2.58	30
13	सहरिया	माँ बाडी भवन	कुन्डी	किशनगंज	2.58	30
14	सहरिया	माँ बाडी भवन	खलदा	किशनगंज	2.58	30
15	सहरिया	माँ बाडी भवन	गीगचा	किशनगंज	2.58	30
16	सहरिया	माँ बाडी भवन	नाहरगढ	किशनगंज	2.58	30
17	सहरिया	माँ बाडी भवन	बालापुरा	किशनगंज	2.58	30
18	सहरिया	माँ बाडी भवन	लक्ष्मीपुरा	किशनगंज	2.58	30
19	सहरिया	माँ बाडी भवन	किशनपुरा	किशनगंज	2.58	30
20	सहरिया	माँ बाडी भवन	मायथा	किशनगंज	2.58	30
21	सहरिया	माँ बाडी भवन	तलावडा	किशनगंज	2.58	30
22	सहरिया	माँ बाडी भवन	ततावनी	किशनगंज	2.58	30
				योग	**56.76**	**660**

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

BIBLIOGRAPHY

A. BOOK

Adams Thomas (1935) : "Outline of Towna and City Planning - Russel Sage Foundation". New York

Ayodhya Prasad : "Rural Settlement : Meaning and Scope" Chotanagpur Geography of Rural Settlement.

Berry; B.J.L. (1967) : “Spatial Analysis – A Reader In Statistical Geography” Prentice Hall, New Jersey.

Berry; B.J.L. (1967) : “Geography of Market Centres and Retail Distribution.” Prentice Hall, New Jersey.

Bhat L.S. (1976) : “Micro Level Planning – A case Study of Karnal Area, Haryana, K.B. Publication, New Delhi.

Bijit Ghosh (1976) : “Human Settlements in Developing Asia – Realities & Possibilities Habitat, Nagiya (Japan)

Blache, P. Vidal De La (1956) : “Human Establishments” Principles of Human Geography. (Pub. London)

Boudeville, J.R. (1966) : “Problems of Regional Economic Planning Part I Edinburgh.

Buttimer, A. (1966) : “Social Space in Interdiciplinary Persepective” Reading in Social Geography Emrys Jones.

Carson Deneil, H. (1974) : “Human Habitat and Environmental Education Docker Pub. New York Press.

Choraley, R.J. & Hugget, P. (1967) : "Models in Geography" Mathuen, London.

Christaller, W. (1966) : "The Central Places in Southern Germany" Translated by Baskin, C.W. Prentice Hall, New Jersey.

Clark, P.J. & Evans, F.C. (1954) : "Distance to Nearest Neighbour as a Measure by Spatial Relationship in Population Ecology.

Dickenson, R.E. (1964) : "City & Region" A Geographical Interpretation London.

Doxiadia, C.A. (1966) : "An Introduction to the Science of Human Settlements" London.

Dubos, R.J. "The Quality of Man's Environments".

Fielding, G.J. "Geography As a Social Science".

Forde, D.C. (1964) : "Habitat, Economy & Society". Methuen, London.

Gibbs, J.P. (Ed.) "Urban Research Methods" New York.

Huggett, P. (1965) : "Location Analysis in Human Geography" Edward Arnold, London.

Jhonson, E.A.J. (1965) : "Market Towns and Spatial Development in India" NCAER, New Delhi.

Kayastha, S.L. (1965) : "The Himalayan Deas Basin – A Study in Habitat Economy and Society" (B.H.U.)

Kroeder (1948) : "Anthropology" Oxford & B.H. Publishing.

Mandal, R.B. (1979) : "Introduction to Rural Settlements" B.H.U.

Metha, J.C. (1977) : "Habitat" Human Settlements and Environment Health (A Systems Approach) New Asian Publisher, New Delhi-6.

Mishra, R.N. (2002) : "Tribal Life and Habitat", Ritu Publication, Jaipur (Raj.)

Mishra, R.P. (1979) : "Habitat Asia" (Issues and Responses 3 Vols.)

Mishra, S.N. (1974) : "Sonpur Region (U.P.) – A Study in Human Adaption", Ph.D. (Imp.) Thesis.

Mogey, J. "Society man and Environment" Reading in Social Geography Edt. By Emray Jones.

Negi, B.S. (1964) : "Anthroporgraphy" Kitab Mahal-Allahabad.

Sen, A.L.K., Tripathi, R.N. & Mishra, G.K. (1975) : "Groeth Centres in Raichur"-NICD, Hyderabad.

Sen, L.K. and other (1972) : "Planning Rural Growth Centers for Intergrated Area Development, A Study in Mirya Eguda Taluka NICD, Hyderabad.

Sengh, R.K. (Edt) 1972) : "Rural Settlement in Monsoon Asia".

Singh, R.L. (Edt.) (1975) : "Reading in Rural Settlement Geography", Varanasi.

Singh, R.L., Singh, K.N. & Singh, P.P. Rana (Eds) (1976) : "Geographic Dimenstions of Rural Settlements".

Singh, P.B. Rana (1974) : "Pattern Analysis of Rural Settlement Distribution and Their Types in saran Plain".

Singh, S.P. (1973) : "Nocobar Island, - A Study Inhabita Economy and Society".

Samailes, A.E. (1944) : "The Urban Hiearchy of England and Wales.

Spate, O.H.K. & Learmonth, A.M. (1967) : "India and Pakistan, Methuen", London.

Stamp, L.D. (1960) : "Our Developing World" London.

Shrivastava, V.K. (1975) : “Habitat and Economy in the Upper Son Basin”.

Tailor, K.S.E.B. (1946) : “Anthropology”.

Wasten, J.W. (1955) : “Geography – A Discipline in Distance”.

Weaver, J.C. (1964) : “ Crop Combination Regions in the Middle West”.

Weaver, Mayer & Shabat’ Oscar’ E. : “Human Nature”, Society and Man.

White & Ranner “Human Geography”, Man as a Factor in Geography”.

William, R. Ewald : J.R. (1967) : “Habitat Environment for Man”.

Department of Woman and Child Development, “India Nutrition Profile” DWCD, Ministry of Human Resource Development (1998).

Gopalan, C. Ramassastry, B.V. Balasubramanyam. S.C. Narasinga Rao, B.S., Beosthale, Y.G. and Panth, K.C. Nutritive Value of India Foods. MIN ICMR, Hyderabad, India (1990).

Hanumatha Rao, D., Malikharjuna Rao, K., Radhaiah, G. and Pralhad Ro, N. Nutritional Status of Trible preschool children in three Ecological Zones of Madhya Pradesh, India Pediatries, 31 : 635-640 (1993).

Hanumatha Rao, D., Mallikharjuna Rao, K., Levels of Malnutrition and Socio-economic conditions among maria Gonds. J. Hum., Ecol., 5 : 185-190 (1994)

Hanumatha Rao, D., Brahman, G.N.V., Malidharjuna Rao, K., Gal Reddy, Ch. And Pralhad Rao, N; Nutrition Profile of certain Indian Tribes. Proceeding of the National Seminar on Tribal Development; Option, held during May 22-23, Prasanna K. Samal (Ed.) Gyanodaya Prakasha, Nanital (1996).

Indian Council of medical Research : Recommended Dietary Allowances for Indians, ICMR, New Delhi (1981).

James, W.P.T., Anna Ferro-iuzzi and Waterlow, J.C. Definition of chronic energy deficiency in adults, Eur; J. Clin. Nutr. 42 : 969-981 (1988).

Mallikharjuna Rao, K., Laxmaiah. A., Ravindranath, M., Venkaiah, K., Hanumantha Rao, D.et.al., Diet nutrition during drought in western Rajasthan, India. J. Hum. Ecol, 14(3) : 153-158 (2003)

Vijavaraghavan, K., Brahman. G.N.V., Venkaiah, K. Malikharjuna Rao, K. and Arlappa, N, edal; diet and nutrition Situation in Drought Affected Areas of Nutrition, Hyderabad (2008).

स्त्रोत :–

स्त्रोत : दीपक माहेश्वरी, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज

स्त्रोत : डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, डॉ. जे.पी. मिश्रा, भारत का वृहत् भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स : आगरा, 2004, पृ.सं. 615

स्त्रोत : दीपक माहेश्वरी, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, विश्व का भूगोल, पृ.सं. 309

स्त्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर

स्त्रोत : जिला सांख्यिकी रूपरेखा (1996–2011)

स्त्रोत : एल.आर. भल्ला, राजस्थान का भूगोल (2011)

स्त्रोत : भूमि रिकार्ड विभाग, जिला कलेक्टर, बाराँ

स्त्रोत : माणिक्य लाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

स्त्रोत : कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) बारां

स्त्रोत : कार्यालय जिला मण्डल वन अधिकारी, बाराँ

स्त्रोत : कार्यालय मण्डल वन अधिकारी, बाराँ (1996), कार्यालय जिला मण्डल वन अधिकारी, बाराँ (2002)

JOURNALS :-

Agrawal, L.C. : Levels of Educational Amenities in Tribal Area : A case study of Kishanganj Tehsil of Baran District (Rajasthan)., In "Environmenal Geography" Edited by Khan & Agrawal, APH Publishing Corporation New Delhi, PP 275-289, 2004

Agrawal, L.C. "Levels of Medical Amenities in Tribal Area" in Geographical Aspects Edited by S.S. Bhatt, PP 73-75, 2004.

Agrawal, L.C. "Demographic Pattern in Baran District (Raj.)" in "Geographical Aspects" Proceeding of the 32nd Annual Conference of RGA, Vol. VII PP 115-118, 2005

Agrawal, L.C. : Spatial Distribution Patterns of Literacy in Tribal Areas (A case study of Kishanganj and Shahbad Tehsil of Baran District (Raj.)) in Annal of RGA, Vol. XXV PP 33-41, 2008

Chakna T. Rao Pv. Palls, Kaushal L.S. Datta M, Tiwari R.S. Survey of Pulmonary tab. In a Primative ribe of Madhya Pradesh Indian Journal of T.B. 2006.

Rao K. Malikharjuna, Kumar R. Hari Venkaiah K. Brahamn G.N.V. Nutritional Status of Saharia. A Primitive Tribe of Rajasthan, Nationa Institute of Nutrition, Indian Council of Medical Research, Jamia Osmania, (P.O.) Hyderabad 500007, Andra Pradesh India, J. Hum Ecl., (19 (2) 117 R 3, 2006.

Jain S. Kumar, Poverty, Migration & National Rural Employment Guarantee Scheme A Case Study on Saharia Primitive Tribal Group in M.P. 2006.

V. Singh and R.P. Panday, “Ethnobotany of Rajasthan, India”.

D.K. Behera and Gorgr Preffer, “Contemporary Society Tribal Studies” Vol. 4 Social Realities.

P.K. Mohanty, “Encyclopedia of Primitive Tribe in India.

Pramod Mishra, “Ecology, Culture and Health : A Primitive Tribe”.

S.N. Tripathy, “Glimpses on Tribal Development”.

Kalipada Chatergee, “Educational, Training, and Public Awareness on Climate Change”.

Abha Chauhan, “Gender Dimension of Social Interaction Among the Saharia Tribe.”

Debabrata Mandal, “Social Structure and Cultural Change in Saharia Tribe”. M.D. Publication. Vidyarthi, L.P. and Raj., B.K., Tribal Culture in India, 1977

Literacy and Levels of Education in India 1999-2000 (NSS 55th Round). National Sample Survey Organisation, Government of India, 2001.

Yash Agrawal, Progress Towards Universal Access and Retention, National Institure of Educational Planning and Administration (NIEPA), 2000 2001 and 2002.

Vimala Ramachandra, Gender and Social Equity in Primary Education : Hierarchies of Access Coordinated. The European Commission, 2002.

LEE, D.R. (1969) “Factors Influencing Choice of House Type-A Geographic Analysis from the Sudan. “The Professional Geographer” Vol. 21.

Leighly, J. (1952) “Population and Settlement : Some Recent Swedish Studies.” G.R. (New York) Vol. 42.

Leslie, C. (1964) “The Random Spatial Economy : An Exploration in Settlement Theory.” A A A G. Vol. 54.

Mann, R.S. (1974) “Rural Settlement Size in Hansi The. (Haryana) The Deccan Geographer, Vol. 12.

Mandal, R.B. (1974) “Rank Size Relationship of Urban Centres in Bihar. G R B I No. 3, Patna.

Manda, R.B. (1974) “Spacing in Urban Places in Bihar.” G R B : No.2 Patna.

Misra, S.N. (1969) “Human Dwellings in Sonpar Regions (UIP) – A Geogl. Analysis NGJI, Vol. 15.

Mukherjee, A.K. (1974) “Spacing of Village Upper Ganga Yamuna Doab” GRI Calcutta, Vol. 36, 2 June.

Nigam, R.K. (1966) “Genesis & Racial Traits of the Bhils”, NGJI – Vol.XII.

Nitya nand (1966) “Distribution and Spatial Arrangement of Rural Population in East Rajasthan” A A A G – Vol. 56.

Patil, S.R. (1973) “Occupational Pattern of Urban Settlements in Mysore State” Geographer (Aligarh). Vol. 20.

Patil, T.P. (1974) “Special Distribution of Village Size and Correlative Analysis of Sholapur District” NGJI – Vol. XX.

Reddy, N.B.K. (1970) “Urban Evolution Growth Pattern and Urbanization Trends in The Krishna and Godawari Deltas” NGJI Vol. XVI Sept.

Singh, A.N. (1977) “Socio-Cultural & Special dements in Rural Developments in Chharpur District”, Deccan Geographer, Vol. XV.

Singh, J. (1973) “Central Places and Special Interaction – A Critical Approach”, NGJI-Vol. 19.

Singh, J. (1973) “Rural Settlement Types and Patterns in Baghal Dhand (M.P.) NGJI-Banaras, Vol. XIV, June-Sept.

Singh, P.B. Rana (1974) "Pattern Analysis of Rural Settlement Distribution and their types in Saran Plain : A Quantitative Approach", NGJI-Vol. 20.

Sinha, V.N.P. (1976) "Hierarchy of Trade Town in Bihar", B.R.B. No.7, Patna.

Thakur, R.C. (1972) "Nearest Neighbour Analysis – As a measure of Urban Place Pattern" Geographical Research Bulletin. No. I Patna.

Tiwari, R.C. (1972) "A Critique of Research Methodology of Rural Settlements" National Geographer, Allah. Vol. 8.

Bhalla, L.R. (1971) "Rajasthan Desert – A Study in Settlement Geography (Unpublished Thesis) R.U.

Ojha, G.K. (1937) "The History of Rajasthan Vol. III Part II History of Banswara State, Ajmer.

Sehsal, K.K. (1974) "Rajasthan District Gazetters Banswara, Director District Gazetters. Government of Rajasthan, Jaipur.

Yadav, Debal Singh (1974) South-East Haryana. A Study in Urban Morphology. (Unpublished Dissertation) Rajasthan University, Jaipur.

Sharma, Surendra (1979) Anthropo-Geography of Tribals in Rajasthan – A case Study of Banswara District, (Unpublished Dissertation) Rajasthan University, Jaipur.

Jyotsna Jha and Dhir Jhingran. Elementary Education of the Poorest and other Deprived Groups : The Real Challenge of Universalisation. Centre for policy Research, Delhi. 2002.

The Delivery of Primary Education : A Study in West Bengal. The Pratichi Trust Team, Pratichi (India) Trust, 2002.

Local Education Report (Six-T^here rural and three urban – area reports). National Institute of Advanced Studies (NIAS), Bangalore, 2002.

Websites:

www.baran.nic.in

www.hindu.com.in

www.ipsnews.net/international.asp (Starvation)

www.ndtv.com

www.samrakshan.org/ki_area.....

www.desertrajasthan.com/sahariya.htm

www.artsci.wustle.edu/another/research/india